खण्ड-256, अंक-4
गुरूवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1887
(1 अप्रैल, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३६३–३६७
सदन में विधायकों के लिए आवागमन की सुविधा की मांग	३६७
प्रश्नोत्तर	३६८–३९८
विविध जानकारी	३९८
विशेषाधिकार समिति का सोलहवां तथा सत्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	३९८
बाराहोती के समीप चीनी चौकी स्थापित होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३९९
जिला चमोली के अंतरिम जिला परिषद् के अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३९९–४००
प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण वर्षा तथा ओले से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४००
ग्राम शाहांपुर–खेता सराय, जिला जौनपुर, में हड्डी का कारखाना खोले जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४००
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय-निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	४००–४०२
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४०२–४०४
१९६४ के रेफरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में संकल्प (पारित)	४०५–४७८
भत्थियां	४७९–४८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिंनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह मदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

मनेशीलाल चौधरी, श्री
मयाप्रसाद, श्री
मयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री

जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध , श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममजन , श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी , श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

सदन में विधायकों के लिये आवागमन की सुविधा की मांग

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक आवश्यक बात निवेदन करना चाहता हूं । मैंने लिख कर भी दे दिया है कि चौराहे पर दुर्घटना होने की संभावना है । आज एक विधायक मोटर से टकरा कर गिरते गिरते बचे । श्रीमन्, यातायात की सुविधा प्रदान की जाय और सुरक्षा दी जाय ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, इस विषय में मैं एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत पहले ही दे चुका हूं । एक दुर्घटना पहले हो चुकी है, जरूर ही कोई मरेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मेरा यह सुझाव है कि सदन की सदस्यता के लिए एक उम्र निश्चित कर दी जाय कि इससे ज्यादा उम्र का कोई आदमी यहां न आ पायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

पार्लियामेंट की यह परम्परा है कि सदन जिस काल में बैठता है, सदन में आने के लिए माननीय सदस्यों को सुविधा दी जाती है । उस समय सड़क का ट्रैफिक बन्द कर दिय जाता है । माननीय सदस्य पौने ग्यारह बजे घर से चलते होंगे तो सम्भव है कि उनको सड़क पार करने में दिक्कत होती हो । समस्त नेताओं से इस संबंध में बातें करके व्यवस्था की जायगी ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

झांसी जिले में श्री गणेशप्रसाद चतुर्वेदी द्वारा अनशन

*१—सर्वश्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित), केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) तथा रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री गणेश प्रसाद चतुर्वेदी, भूतपूर्व चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, कोंच व संयुक्त मंत्री, सं० सो० पा०, झांसी डिस्ट्रिक्ट जेल में अनिश्चित काल के लिए अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या किसी व्यक्ति ने यह अनशन किया था, जिस पर यह सवाल पूछा गया है ? अगर किसी व्यक्ति ने पहले भी कभी अनशन किया था तो उसकी मांगें क्या थीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, श्री गणेश प्रसाद चतुर्वेदी जिनको २२८, ४८० के मातहत २०० रुपया जुर्माना और १ माह की सजा हुई थी, वे जेल भेजे गये और जेल में उन्होंने यह कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा । यह दूसरे दिन भी कहा । उनसे कहा कि यह जेल के नियमों के खिलाफ है । फिर उन्होंने दो रोज के बाद कहा कि जिस मैजिस्ट्रेट ने उनको सजा दी है उसके खिलाफ उनको शिकायत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे कि जिस मैजिस्ट्रेट के खिलाफ उन्होंने शिकायत की, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करायी गयी और अगर करायी गयी, तो क्या तथ्य पाये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैजिस्ट्रेट के खिलाफ हमने जांच कराने के लिए भेजा लेकिन इसी बीच में उसकी अपील कर दी गयी कि यह सजा गैरकानूनी सजा दे दी गयी । इसलिए जांच रोक दी गयी ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

प्रश्न नवम्बर २, १२ नम्बर का दिया हुआ है, लेकिन अब भी क्यों स्थगित किया गया है, समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष—

बगैर पत्रावली देखे मैं कैसे कुछ बता सकता हूं ?

*२—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[सातवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

घाटमपुर मवेशी मेले में पुलिस हस्तक्षेप के विरुद्ध शिकायत

*३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर मवेशी मेले में दिनांक १ मार्च, सन् १९६५, को स्थानीय पुलिस ने अवैधानिक ढंग से बिके हुए जानवर लिखने वाले मुहर्रिरों से रसीद बहियां व कैश बक्स से नकद रुपया जबरन छीन लिया और मेले में कब्जा करके बिके हुए जानवरों की रसीदें पुलिस कर्मचारियों द्वारा लिखी गईं तथा दूकानदारों से टैक्स हजारों रुपया वसूल किया ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी नहीं। पुलिस द्वारा रसीद बहियां व कैश बक्स से रुपया छीने जाने की बात सही नहीं है।

वास्तविकता यह है कि इस मेले के प्रारंभ होने के पहले कुछ लोगों की शिकायतों के आधार पर थानाध्यक्ष घाटमपुर ने बाबा युगराज गिरि से, जिसकी भूमिबारी में यह मेला लगता है, कहा कि मेले में पशुओं की बिक्री के लिए रसीद बुक जिलाधीश के कार्यालय से प्राप्त करें और जो जिलाधीश दर मुकर्रर करें वह दर लें। ऐसा नहीं किया गया और मुहर्रिरों ने मार्च, १९६५ से मेला आरम्भ होते ही निजी रसीद बुक पर पशुओं का बिक्रय अधिक दर पर आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप थाने पर शिकायत प्राप्त हुई। इस पर जब एक सब-इंसपेक्टर ने घटनास्थल पर जांच की कि क्या यह दरें जिलाधीश ने स्वीकार की हैं तब मुहर्रिर बिना कोई उत्तर दिए रसीद बुक छोड़कर भाग गये। इन रसीद बहियों को पुलिस ने अधिकार में ले लिया और मेले में अनियमितता और अशांति रोकने के लिए पुलिस प्रबन्ध जारी रक्खा और पशुओं के क्रय-विक्रय को चलने दिया और रसीदें थाना से किता की गईं। यह कहना गलत है कि पुलिस ने हजारों रुपये टैक्स के रूप में पैदा किया।

*४—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस के विरुद्ध इस अवैधानिक कार्यवाही की सूचना जिलाधीश और एस० एस० पी० कानपुर को तार द्वारा दिनांक १ मार्च, १९६५ को दी गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। तार दिनांक २ मार्च, १९६५ को प्राप्त हुआ। इस तार के पूर्व थानाध्यक्ष घाटमपुर की सूचना दिनांक १ मार्च, १९६५ को प्राप्त हो चुकी थी जिस पर परगनाधीश घाटमपुर को आदेश दिया गया कि वह स्वयं मेले में जाकर जानकारी प्राप्त कर लें और नियमपूर्वक मेले के चलाने का प्रबन्ध करें। फलस्वरूप परगनाधीश घाटमपुर २ मार्च, १९६५, को मेले में गये और उन्होंने समुचित व्यवस्था स्थापित करा दी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

परिवहन मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि उन्होंने फरवरी, १९६४, को विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि परिवहन मंत्री के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच वह एक महीने में करवा लेंगे ? यदि हां, तो परिवहन मंत्री के विरुद्ध जांच किसके द्वारा कराई गई और उसका नतीजा सदन की मेज पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मार्च सन् ६४ में श्रीमती हुरमुजी बेगम को दी गई बस चलाने की परमिट के बारे में जांच श्री मुसद्दी लाल, मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यु, के सुपुर्द की गई थी। बाद में यह निर्णय किया गया कि उक्त जांच कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, १९५२, के अधीन की जाय। अब इसके लिए हाई कोर्ट के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश, श्री जगबंस किशोर टंडन, को एक-सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया गया है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्रीमती हुरमुजी बेगम को दी गयी बस चलाने की परमिट के बारे में जांच करने के लिए आज्ञा दे दी गयी है तो क्या इस संबंध में और बातों पर भी जांच करायी जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वही विषय है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो जांच मेम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यू साहब, को दी थी, उन्होंने क्या कोई जांच की है? यदि हां, तो उन्होंने कितनी जांच की है और उनकी रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वह जांच उन्होंने कुछ दिन की है। करने के बाद यह सवाल उठा कि उनको कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्दर अधिकार देने चाहिए। उस पर सोच विचार हो रहा था कि उन्होंने छुट्टी ले ली। तब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना की कि वे इसमें जांच कर लें क्योंकि वे इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो उन्होंने जनवरी में जवाब दिया कि वे उसकी जांच नहीं करेंगे। इसके बाद यह तय हुआ कि जांच बाकायदा कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट से हो। माननीय मुजफ्फर साहब का भी आग्रह था कि एक जज द्वारा हो। इसलिए जाब्ते से इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

ये जो श्रीमती हुरमुजी बेगम हैं उनके पति बड़े रैवोल्यूशनरी थे, उनके त्याग को देखते हुए परमिट दी गयी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस परमिट के आधार पर जो आपने इस सदन में जांच के लिए आश्वासन दिया है, उसको रिवाइज करने के लिए तैयार हैं कि जांच का कोई मैटीरियल नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

अब तो जांच के लिए दे दिया गया है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-सी तारीख को जांच के लिए जज महोदय को नियुक्त किया गया है और उनके टर्म्स आफ रफेरेंस क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनको २९ मार्च को किया गया है। टर्म्स आफ रेफरेंस वे ही हैं जो पुराने थे। उसके अलावा एक चीज और भी टर्म्स आफ रेफरेंस में हमने कर दी है। उसमें जनरल हमने इतना बढ़ा दिया है। माफ कीजियेगा यह अंग्रेजी में है। यह इस प्रकार है :—

"To recomned action, which may be taken in the light of the investigations of the case and the entire circumstances with reference to the two points referred to"

अर्थात् इसके बारे में जो वे देख सकते हैं वे देख लें ताकि कोई प्वाइन्ट न छूट सके।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो माननीय परिवहन मन्त्री के विरुद्ध जांच आप करा रहे हैं, उसमें परमिट देने के अतिरिक्त और अन्य आरोप भी हैं? और यदि अन्य आरोप हैं तो किस प्रकार के आरोप हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनके खिलाफ और कोई आरोप नहीं हैं। परमिट देने वाली बात जो माननीय गयाप्रसाद जी ने हाउस में उठायी थी केवल वह ही है। मैं यह भी बता दूं कि माननीय मुजफ्फर साहब का खुद का भी यह आग्रह था कि इन्क्वायरी जज द्वारा करायी जाय। उनके आग्रह के कारण मैंने यह इन्क्वायरी जज को सौंपी है।

[१ अप्रैल, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[वापस लिये गये]

जातीयता का आधार

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

२४ अगस्त, १९६४, के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में सरकार ने श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल के पूरक प्रश्न, कि पिछड़ी हुई जातियों की परिभाषा कुछ जातियों के आधार पर की गयी है या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को आधार माना है, के उत्तर में बताया है कि सरकार ने उसके लिए कुछ बनाया है। क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने क्या तय किया अथवा बनाया है?

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की सूची जाति के आधार पर है।

"इंडियन आबजर्वर" पत्रिका के विरुद्ध शिकायतें

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाली "इंडियन आबजर्वर" साप्ताहिक पत्रिका, जो कि गन्दे, फुहश और चरित्रहीन लेखों से सम्पूर्ण होती है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर में पुस्तक भण्डारों पर बेची जाती है?

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

यह साप्ताहिक पत्रिका उत्तर प्रदेश में बेची जाती है। इस पत्रिका में छपें लेखों की अश्लीलता के बारे में विचार किया जा रहा है।

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार उक्त साप्ताहिक पत्रिका के पिछले चन्द मास के पर्चों का अध्ययन करके उस पर उत्तर प्रदेश में दाखिले पर पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वर्तमान कानून के अन्तर्गत अश्लीलता के आधार पर इस पत्रिका के उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

अश्लील साहित्य को रोकने के लिए मन्त्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कानूनी सलाह ली जा रही है कि उन पर मुकदमा चलाया जाय।

बुलन्दशहर जिले में अहेड़ियों में जरायमपेशा

*७—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला बुलन्दशहर में अहेड़िया जाति के पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के नाम पुलिस पूछ-ताछ करके अपने किसी रजिस्टर में दर्ज करती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं।

*८—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों किया जाता है जबकि अहेड़िया जाति के लोग जिला बुलन्दशहर में सुधर गये हैं और बाइज्जत जिन्दगी मेहनत मजदूरी करके गुजारते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न नहीं उठता।

*९—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में प्रत्येक पुलिस थाने में सन् १९६४ में अहेड़िया जाति के लोगों ने कितने जरायम किये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सन् १९६४ में अहेड़िया जाति के १२ लोगों ने १२ जरायम किये। जिन थानों के अन्तर्गत जरायम हुये उनकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७९ पर)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मुझे यह जानकारी है कि अहेड़िया जाति के लोगों को सताया जा रहा है, पुलिस वाले मर्द, औरतों तथा बच्चों का नाम मालूम करते हैं ऐसी हालत में माननीय मन्त्री कैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है और क्या वे इसको रोकने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सवाल नहीं है। आप कोई घटना विशेष बतलाइये, जिससे माननीय मन्त्री जी की जानकारी अशुद्ध सिद्ध हो सकती हो।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरे क्षेत्र में पुलिस ने सबका नाम रजिस्टर में दर्ज करने के लिए पूछा तो इस तरह से उनका अपमान होता है।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल नहीं है। आप व्यक्ति विशेष का नाम ले कर पूछिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

सैकड़ों आदमियों से ऐसा कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—

सैकड़ों में से एक का नाम लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मन्त्री जी यह देखते हुये कि क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट खत्म कर दिया गया है फिर भी जरायम पेशा जाति के लोगों का निरीक्षण उसी तरह से किया जाता है, तो यह किस आधार पर किया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब यह ऐक्ट खत्म किया गया तो सरकार की यह भावना थी कि उन व्यक्तियों को भी, जो प्राचीन काल से इस प्रकार से जुर्म करते थे, समाज के बराबर लाने की कोशिश की जाय और उस समाज की भावना बदली जाय, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही आज भी होती है तो समाज का जो भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही करना पुलिस का कर्त्तव्य है ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पूरी जाति पर नहीं है, कुछ लोगों पर तो जिस स्थान का जिक्र किया गया है, वहां सब लोग क्राइम नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राइम्स करते हैं। लेकिन हर एक के साथ वही बरताव किया जा रहा है जैसा कि एक जरायम पेशा के साथ किया जाता है। क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे और देखेंगे कि जो जुर्म नहीं करता है उसके खिलाफ भी यह चीज जारी है, उस के बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मान्यवर, बुलन्दशहर में इस प्रकार के व्यक्ति ५५२२ हैं और उत्तर प्रदेश में यह बताया गया है कि जयराम करने वाले केवल १२ दर्ज हुये हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है। इसलिए यह कहना ठीक मालूम नहीं होता है कि सबके खिलाफ यह कार्यवाही की जाती है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं नाम बता सकता हूं। श्री हिम्मत सिंह, थाना स्याना, चौकी बुढ़राम। क्या मन्त्री जी ऐसी घटनाओं को आइन्दा रोकेंगे और पुलिस को ऐसी हरकत करने व इस तरह के लोगों का अपमान करने से बाज रक्खेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो मेरे पास जिलाधीश, बुलन्दशहर से सूचना आयी है उसमें इस प्रकार का नाम नहीं मालूम होता है। लेकिन माननीय सदस्य को किसी विशेष नाम की शिकायत है तो वह लिखकर दे दें ताकि कार्यवाही हो सके।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पुलिस इस प्रकार से पूरे समाज को तंग करती है और जब कि क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट खत्म हो गया है तो अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ ही इसे लागू क्यों नहीं किया जाता है? जो जुर्म करे उसी को सजा मिलनी चाहिये।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह केवल एक ही कौम पर आधारित नहीं है। यह तो अनुसूचित समाज का प्रश्न है।

श्री शगुनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जितनी समस्त अपराधी जातियां सारी स्टेट में हैं, पुलिस उन की मर्जी के खिलाफ उनके, उनकी औरतों और बच्चों के अंगूठे ही नहीं लेती है बल्कि उनकी पिटाई भी करती है?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अहेड़ियां तथा दूसरी जरायम पेशा जातियों को बसाने के लिए सरकार ने बुलन्दशहर में कोई कार्य किया है? यदि हां, तो क्या?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह जातियां तो स्वयं खेती का काम करती हैं, टोकरी बनाती हैं और अनेक उद्योग धंधे करती हैं। वही आज भी कर रही हैं। जो सुविधायें सब को दी जाती हैं वही इनको भी दी जाती हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी से सवाल कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल पूछिये। आपका सवाल सरकार से है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार की घटनायें बुलन्दशहर में होती हैं या नहीं कि वहां अनेक क्रिमिनल ट्राइब्स के मर्दों, औरतों और बच्चों के नाम पुलिस अपने किसी रजिस्टर में दर्ज करती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, किसी खास जाति के लोगों की निगरानी नहीं की जाती है लेकिन जिन के ऊपर शक होता है कि ये क्रिमिनल हैं उनकी निगरानी की जाती है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जो लिस्ट मन्त्री जी ने दी है उन में २ नम्बर पर चुन्नी, पुत्र बुद्धा है, ८ नम्बर पर रम्मू, पुत्र चुन्ना है और १० नम्बर पर गुलजारी, पुत्र बुद्धा है, उनको कोई सजा नहीं हुई है, लेकिन मन्त्री जी का कहना है कि जो कसूर करते हैं और सजा-याफ्ता लोग हैं, उनकी निगरानी होती है ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो उन्होंने कहा है ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, उनके खिलाफ कोई भी कंविक्शन इस तरह से नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

एक बात सुन लीजिये, मन्त्री जी ने कहा है कि जिन के सम्बन्ध में सरकार के पास तथ्य होते हैं, जिन से शक हो, उन के चाल-चलन के बारे में उनकी निगरानी होती है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, जरा मेरी बात सुन लीजिये, यह बाप, बेटे जो हैं, उनके प्रति शिकायत है, किन्तु इस पर पूरे परिवार पर निगरानी की जा रही है । तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कन्विक्शन यदि किसी खास आदमी के खिलाफ है तो पूरे परिवार के खिलाफ निगरानी करना कहां तक उचित है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस सूची में पूरे परिवार का जिक्र नहीं है । रामू, पुत्र पुन्ना जिसके ऊपर ४५७ की धारा में कार्यवाही हो रही है, चुन्ना, पुत्र रामू, जिसके ऊपर ४६५ में कार्यवाही हो रही है । बाप-बेटे के नाम में अन्तर है यह एक केस कैसे माना जाय ।

लखनऊ में वेश्यावृत्ति

*१०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में चावल वाली गली से लेकर गोल दरवाजे तक और शुक्ला कालेज के पीछे सराय और सामने के इलाकों में वेश्याओं का काम खुले आम होता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह ठीक नहीं है ।

*११—श्री रियासत हुसैन—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को यह मालूम है कि थाना चौक, लखनऊ की पुलिस इन वेश्याओं से एक बंधी रकम पाती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, यह लखनऊ का हाल है। आप जाकर देख सकते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य जा कर देख सकते हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि लखनऊ के दो मोहल्लों का जब यह हाल है तो कैसे यह जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं है ?

कई सदस्य—

आपने जाकर देखा है ?

श्री रियासत हुसैन—

जी हां, मुझे ठीक से मालूम है हमारे शकील साहब उधर ही रहते हैं, उन्हें मालूम है। और क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि किसी भी जगह लोकल पुलिस सेपरेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट को एफेक्ट देने में नाकामयाब रही है, इस बात पर विचार करेंगे कि इसके लिये कोई स्पेशल स्टेशन या विशेष पुलिस स्कावाएड, समाज कल्याण डाइरेक्टरेट के अन्डर में रहकर काम करे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जहां तक उत्तर का ताल्लुक है, यह तो जिलाधीश से ही उत्तर मंगाये जाते हैं और सम्बन्धित जिलों के अधिकारी जांच करके उत्तर देते हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने पूरे ऐक्ट के बारे में एक विशेष सुझाव दिया है। मेरा निवेदन यह है कि यह ऐक्ट पूरे राज्य पर लागू है, सन् १९५६ से लागू हुआ है। डी० वाई० एस० पी० को इसके द्वारा विशेष अधिकार दिये गये हैं कि वह अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए अचानक छापे मार कर कार्यवाही करेंगे। इस लखनऊ में जहां के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है आज से करीब १५ दिन पहले सूचना मिली थी कि वहां पर इस तरह का कार्य होता है और उसके बारे में इस शिकायत को हमने डाइरेक्टरेट आफिस के सुपुर्द कर दिया है। वह कार्यवाही शीघ्र ही होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुये कि वैश्याओं के पालन पोषण का उनके पास कोई साधन नहीं है, जिसके कारण मजबूरन वे वैश्यावृत्ति करती हैं, उनको कोई कार्य देने की कोशिश सरकार करेगी, जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस ऐक्ट के मुताबिक जो बालिकायें नाबालिग घोषित की जाती हैं, उन के लिए प्रदेश में ५ सदन हैं जहां पर उनके निर्वाह की व्यवस्था है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

१८ वर्ष से कम की बालिकाओं के लिए तो आपने कहा कि इन्तजाम है, लेकिन बहुत सी स्त्रियां जो विवश हो कर अपना पेट पालने के लिए अपना जिस्म बेंचती हैं उनके लिए क्या प्रबन्ध सरकार की ओर से है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

बन्दूक का लाइसेंस देने के लिये सुझाव

*१२—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस प्रकार का कोई आदेश प्रदेश के जिलाधीशों को देगी कि जहां पर आपरेशन एरिया है वहां लोगों को बन्दूकों की दरख्वास्तों पर उनका चाल-चलन तस्दीक करा कर केवल १५ दिन में ही उन्हें लाइसेंस दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेश के ग्रामों में डाकुओं से सुरक्षार्थ ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों तथा अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों को बन्दूक का लाइसेंस शीघ्रातिशीघ्र दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश पहले ही प्रसारित किये जा चुके हैं। पूर्व प्रसारित आदेशों को देखते हुये इस प्रकार के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

*१३—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार जालौन जिले के अधिकारियों को कोई ऐसा आदेश देगी कि वहां की ग्राम रक्षा समितियों को तथा जिन ग्रामों में डकैतियां पड़ी हैं वहां के लोगों को प्रार्थना-पत्र देने पर एक सप्ताह में ही बन्दूकों के लाइसेंस प्राप्त हो जायें, ताकि वहां के आतंकित लोग सुरक्षा पा सकें? यदि हां, तो कब तक?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पूर्व प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित आदेश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। जालौन जिले के लिए अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

जिला कांग्रेस कमेटी, सहारनपुर के कार्यालय में मीटिंग

*१४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २९ जनवरी, १९६५ को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय, सहारनपुर में सदन के सदस्य ठा० फूलसिंह ने जो मीटिंग बुलायी थी उसमें किसी की आज्ञा के अनुसार जिले के बिजली, नहर, चकबन्दी, इत्यादि अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यह किस प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है कि कौन-कौन से अधिकारी इस में शामिल हुये या ऐसी मीटिंग बुलायी भी गयी या नहीं, इन दोनों में से कौन सी सूचना एकत्रित हो रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो सूचना आयी थी जिले से उसको मैंने ठीक नहीं समझा, इस लिए कुछ डिटेल्स मांगे हैं और उसी की प्रतीक्षा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या इस सदन के किसी माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि वे जिले के अधिकारियों को अपनी तरफ से निमन्त्रण दे कर किसी भी मीटिंग में बुला सकते हैं और वहां पर अपनी शिकायतें रख सकते ह? यदि हां, तो क्या वह अधिकार तमाम सदस्यों के लिए है या सिर्फ एक पार्टी के लिए है?

श्री अध्यक्ष—

पहले यह तो निश्चित हो जाय कि ऐसी घटना हुई भी या नहीं। जब जवाब आ जाय तब पूछ लीजियेगा।

बुलन्दशहर जिले में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा सत्याग्रह

*१५—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा कितने लोगों ने सत्याग्रह किया, पते सहित सूची बतायी जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला बुलन्दशहर में रिपब्लिकन पार्टी के कुल ४७९ व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। पते सहित सूची† संलग्न है।

*१६—श्री जसरामसिंह—

जिला बुलन्दशहर में जातीय वर्ग विशेष को उभारने वाले कितने भाषण हुये ? क्या पुलिस के पास कोई रिकार्ड है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकारी सूचना के अनुसार जातीय वर्ग विशेष को उभारने वाला केवल एक ही भाषण हुआ जिसका पुलिस के पास रिकार्ड है।

*१७—श्री जसरामसिंह—

प्रदेश की अन्तरिक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये जातीय व विशेष साम्प्रदायिकता को पनपाने वाले व्यक्तियों की कोई सूची पुलिस द्वारा तैयार करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो कारण बताया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसे व्यक्तियों की सूची पुलिस रखती है। अतः इस विषय में आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जसरामसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ग विद्वेष और साम्प्रदायिकता के जो दुष्परिणाम यह देश काफी भुगत चुका है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने यह जाति विद्वेष का भाषण दिया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उनका नाम संघप्रिय गौतम था। उन्होंने बुलन्दशहर जिले में सैदपुर ग्राम में भाषण दिया था।

श्री जसरामसिंह—

उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह भाषण देखा गया और यही उचित समझा गया कि उनके ऊपर कोई मुकदमा न चलाया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

रिपब्लिकन पार्टी के सत्याग्रहियों की क्या प्रमुख मांगें थीं ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस वक्त यह सूचना हमारे पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

भाषण का वह कौन सा अंश था जिस पर आब्जेक्शन था ? क्या कोई नारे भी वहां लगाये गये थे ? अगर हां, तो वह नारा क्या था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नारे की सूचना तो नहीं है लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया उसकी सूचना है । उसमें उन्होंने यह कहा कि हरिजनों को ब्राह्मण लोग आज भी कुओं से पानी गांवों के अन्दर नहीं लेने देते हैं, दूसरी बात यह कि चमार डिप्टी कलेक्टर को चमार चपरासी ही दिया जाता है और मुसलमान होते हैं तो मुलसमान चपरासी दिये जाते हैं, यह भेदभाव नहीं मिटा है । जो जमीन गांव सभा के पास होती है वह लैंडलैस लोगों को नहीं मिलती है। वह ज्यादातर पिछड़े लोगों को नहीं मिलती है । इस तरह की बातें थीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात हमारे संविधान ने मानी है कि हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जातिविहीन और वर्गविहीन समाज होगा । अगर कोई समाज के अन्दर इस प्रकार की चीज होती है जैसा कि मालूम होता है, आज है और उनको कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कहता है कि यह गलत है और खत्म होना चाहिए तो क्या यह अपराध है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसी लिये मुकदमा नहीं चलाया गया ।

मुहम्मदाबाद थाने में पुलिस से मुठभेड़

*१८—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार प्रथम सत्र १९६५ के प्रथम गुरुवार, ११ फरवरी को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या ४७ तथा ४८ के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि मैजिस्टीरियल जांच किस अधिकारी के आदेश से किस मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी ? क्या जांच के संबंध में उन विधायकों से भी संबंधित मैजिस्ट्रेट द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया था, जिनके उस शिकायत–पत्र पर हस्ताक्षर थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

संबंधित घटना की जांच प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट, श्री जी० एस० तिवारी ने जिलाधीश के आदेशानुसार की ।

मैजिस्ट्रेट की जांच २६–७–६४ को समाप्त हो चुकी थी और ३–८–६४ का शिकायती पत्र जिस पर विधायकों के हस्ताक्षर थे उसके बाद प्राप्त हुआ था अतः उनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१९—श्री सूबेदारसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त केस की जांच के लिये किसी सी० आई० डी० अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उस की रिपोर्ट क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैजिस्ट्रेट की जांच के बाद मामला अपराध अनुसंधान विभाग को जांच के लिये दिया गया है । जांच अभी जारी है ।

*२०--श्री सूबेदारसिंह--

क्या सरकार मारे गये उन व्यक्तियों के नाम उन अभियोगों के विवरण के साथ जिनमें वह फरार थे, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८० पर ।)

श्री सूबेदारसिंह--

मेरा मूल प्रश्न भी शिकायती पत्र से संबंधित था जिस पर विधायक के हस्ताक्षर थे । उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि केस की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा चुकी है और आज बता रहे हैं कि वह पत्र जांच खत्म होने के बाद प्राप्त हुआ था तो मजिस्ट्रेट की जांच जिलाधीश ने किस आधार पर किसके शिकायती पत्र पर कराई थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उस दिन जो उत्तर दिया था वह बिलकुल सही थी। आज आपने यह पूछा था कि विधायक से, जिसकी शिकायत थी, उससे मजिस्ट्रेट ने सम्पर्क क्यों स्थापित नहीं किया। उसमें कारण बताया कि मजिस्ट्रेट साहब अपनी जांच २६ तारीख को समाप्त कर चुके थे और विधायक का पत्र ४ तारीख का दूसरे महीने का है ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी यदि विधायक का पत्र बाद में मिले तो उसको पुनः मजिस्ट्रेट की जांच के लिये भेजेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वह जांच तो पूरी हो गई है। अब तो सी० आई० डी० जांच कर रही है ।

श्री सूबेदारसिंह--

मजिस्ट्रेट की जांच जो कराई गई वह किस आधार पर कराई गई ? और किसने शिकायत की थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मजिस्ट्रेट ने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का हुकुम दिया था तो मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी हुई ।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि किसकी शिकायत पर ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

लोगों की शिकायत ऐसी रही तो उसके आधार पर जांच कराई गई ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस आदमी की शिकायत पर मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वारी कराई गई उसक बयान लिये गये या नहीं और लिये गये तो किस तारीख को ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उत्तर में यह बताया गया है कि मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी हो चुकी है। अब सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री सूबेदारसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी का आदेश कब दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैजिस्ट्रेट की जांच होने के बाद ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

वह कौन कौन सी शिकायतें थीं कि जिन के आधार पर यह मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी सेट-अप की गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

शिकायत यह थी, वास्तव में कोई इंकाउन्टर नहीं हुआ। कुछ लोगों को पकड़ लिया और वहां ले आए और कुछ उनको सामान मिला। तो यह दूसरे लोगों को दिखलाया कि यह अवैध सामान इन के पास मिला है, कुछ कारतूसें, बन्दूक, आदि और यह कर के मार दिया। ऐसी शिकायत थी। इसी पर मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी हुई उसकी रिपोर्ट देखने के बाद मैंने यह ठीक समझा कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच हो ।

*२१---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

[हटा दिया गया ।]

*२२---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

[६ठे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कासगंज में बारह द्वारी पर ध्वजारोहण विषयक प्रस्ताव

*२३---श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कासगंज, जिला एटा की जनता की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा गया है कि २६ जनवरी, सन् १९६५ के दिन कासगंज में कुछ प्रमुख कांग्रेसियों ने बारह-द्वारी घंटाघर पर सरकारी अधिकारियों के कहने के बावजूद भी राष्ट्रध्वज नहीं फहराया और कांग्रेस का झंडा निश्चित समय से पूर्व ही फहराया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ।

*२४---श्री गिरवरप्रसाद---

यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इसको बन्द कराने के कोई आदेश जारी करेगी और झंडा फहरान वालों को दंड देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस प्रश्न से संबंधित तथ्यात्मक सूचना एकत्रित की जा रही है और पूरी बात मालूम होने पर ही सरकार निर्णय ले सकेगी।

श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बतलायेगी कि जो प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है उसका मजमून क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप चाहें तो मैं पढ़ दूं। वैसे मजमून में यह लिखा है कि वहां कांग्रेस का झंडा फहराया गया, चक्र वाल झंडा नहीं फहराया गया।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

जो कांग्रेस का झंडा कासगंज में फहराया गया था उसे क्या वहां की पुलिस ने सलामी दी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

सरकारी अफसरों के अनुरोध के बावजूद भी क्या मंत्री जी ! यह झंडा फहराय गया ? जिलाधीश ने अनुरोध किया था कि यह झंडा न फहराया जाय, क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बतला दूं कि कासगंज में एक घंटाघर बहुत दिनों से है जिसे दाऊदयाल जो ने बनवाया था और आजादी मिलने से पहले यहां कांग्रेस का झंडा वे फहराते आये थे। १९६४ तक उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। ६४ तक यह झंडा फहराते रहे। इस साल चूंकि वहां म्युनिसिपल बोर्ड में जनसंघ वाले आ गये हैं इसलिये उन्होंने एतराज किया कि कांग्रेस वाला झंडा यहां न फहराया जाय, दूसरा झंडा इसके साथ साथ होना चाहिये। (व्यवधान) इसके बाद भी कांग्रेस वालों ने डी० एम० से कहा कि हमको कोई एतराज नहीं है आप दूसरा पोल दे दें तो। कांग्रेस का झंडा इस बात का प्रतीक है कि हमने यहां आजादी की लड़ाई लड़ी है, इसलिये हम यहां कांग्रेस का झंडा फहराते हैं। देश का राष्ट्रीय झंडा फहराने में हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक पोल इस से ऊंचा आप हमें दे दें तो हम उसे फहरा देंगे। जनसंघ के म्युनिसिपल बोर्ड को चाहिये था और उसने वायदा भी किया था कि हम पोल मंगा देंगे, लेकिन वह पोल नहीं दे सके। कांग्रेस वाले छोटे पोल पर देश का झंडा फहराना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस वालों ने वायदा किया है कि अगर जनसंघ वाले ऊंचा पोल नहीं मंगा सकेंगे तो अगले साल हम मंगा लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि सवाल पोल का नहीं झंडे का है ? मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाने से रोका उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें रोकने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या कांग्रेस कमेटी का कोई ऐसा आदेश है कि २६ जनवरी को राष्ट्रीय झंडे के सा थ अपना झंडा भी फहरायें ? यदि नहीं, तो उस दिन राष्ट्रीय झंडा फहराने में कांग्रेस को क्या एतराज था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि यह उनकी वहां एक परिपाटी रही और फहराया करते थे इसलिये फहराया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जांय । उनका बयान है कि कांग्रेस वालों ने भी अनुभव कर लिया कि भविष्य में वह राष्ट्रीय ध्वज वहां फहरायेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

वह तो कहते हैं कि दो फहरायेंगे और एक दूसरा पोल लगेगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहांतक कि प्राइवेट बिल्डिंग का संबंध है झंडे के लिये नियम यह है कि कोई बाध्य नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा ही फहराये, कोई दूसरा झंडा भी फहराया जा सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जब वह एक सार्वजनिक स्थान था और यह अवसर २६ जनवरी का था जब कि आम तौर से आदेश हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोग राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, कोई पार्टी का लिहाज नहीं । तो जब वहां के अधिकारी अनुरोध कर रहे थे कि वहां राष्ट्रीय झंडा फहराया जाय—वह अपनी पार्टी का झंडा फहराये तो दूसरी बात है—तो मंत्री जी क्यों नहीं स्वीकार करते कि उन्होंने गलती की है और वह अब क्यों वकालत करने को तैयार हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि इसकी जांच हो रही है कि यह सार्वजनिक स्थान किस तरह से है । इसकी जांच करने के लिये अपने डी० एल० आर० से पूछा है । असल में जो डीड था, दान—पत्र, उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी जांच हो रही है कि यह सार्वजनिक स्थान किस तरह का है ।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि वहां वह अपना झंडा लगाते थे और जब उनसे राष्ट्रीय झंडा फहराने को कहा गया तो कहा कि ऊंचा बांस लाओ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मंडलीय और राज्य कांग्रेस कमेटी के जो स्थान हैं अपने, वहां भी राष्ट्रीय झंडा फहराने में क्या एतराज था और वहां से राष्ट्रीय झंडा उतरवाने की क्यों राय उन्होंने दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत स्थानों पर यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा ही फहराया जाय । कांग्रेस का फहराया जा सकता है और राष्ट्रीय भी फहराया जा सकता है । नियमों में कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम, तरीके और औचित्य केन्द्रीय सरकार निर्धारण करती है, किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि वह अपनी इच्छा से राष्ट्रीय ध्वज के मुकाबले में कोई अन्य व्यवस्था दें। मंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत घरों पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जा सकता है और अपने दल का भी फहराया जा सकता है, यह केन्द्रीय अनुशासन और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो हम सम्मान प्रदर्शित करते हैं उसके विरुद्ध है। तो स्पष्ट व्यवस्था दें कि २६ जनवरी और १५ अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उस दिन राष्ट्रीय ध्वज का ही सम्मान होगा और वही फहराया जायगा चाहे राजकीय बिल्डिंग हो या व्यक्तिगत बिल्डिंग हो।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जहां तक मैं मंत्री जी को समझा हूं वह यह है कि कांग्रेस वालों का यह कहना है कि वह स्थान निजी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

राष्ट्रीय पर्व के दिन निजी स्थान की बात नहीं उठती है। उस दिन राष्ट्रीय ध्वज ही सब जगह फहराया जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वह घंटा घर म्युनिसिपैलिटी का है तो वह निजी स्थान कैसे हो सकता है, वह सार्वजनिक स्थान है और जिलाधीश ने वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिये कहा भी था, मगर कांग्रेसियों ने अपने प्रभाव तथा पुलिस की सहायता से जनसंघ को राष्ट्रीय ध्वज वहां नहीं फहराने दिया, क्या यह सही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बात कुछ तोड़ मरोड़ कर कही जा रही है। १९६४ तक लगातार यही तिरंगा झंडा वहां फहराया जाता रहा है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये, इस पर आप बहस करावें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ तो जांय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राष्ट्रीय ध्वज देश के सभी नागरिकों की श्रद्धा और सम्मान की चीज है। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व के दिन हैं, उन दिनों पब्लिक स्थानों पर वही रष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और फहराया जाना चाहिये। अब अगर इसके खिलाफ कोई बात हुई है तो उसकी हम जांच करा लेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यही जवाब पहले आ जाता तो अच्छा होता।

फतेहपुर जिले में अपराध तथा हुसैनगंज थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*२५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में कितनी डकैतियों, कत्लों, चोरियों एवं बल्वों की घटनायें घटीं और थाने में दर्ज की गयीं और उनमें से कितने मामले अदालत में भेजे गये ?

*२६—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त डकैतियों, कत्लों, चोरियों एवं बल्वों के जो मामले अदालत में भेजे गये उनमें से कितने–कितने कामयाब हुये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८१ पर)

*२७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री को पता है कि थाना हुसैनगंज के वर्तमान थानेदार के कार्यकाल में उक्त कथित घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है और डकैतों के आतंक से कई पुरवों के कृषक वहां रहना छोड़ रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे लापरवाह थानेदार को थाना इंचार्ज के पद पर रखने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत हाल में केवल डकैती तथा चोरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु यह सही नहीं है कि पुरवों के कृषक वहां आतंक के कारण रहना छोड़ रहे हैं या वर्तमान थानेदार लापरवाह हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको यह जानकारी है कि थाना हुसैनगंज एक सबसे शान्तिप्रिय इलाका है और वहां के जो थाना इन्चार्ज हैं वे इलाहाबाद के एक जज के भतीजे हैं तथा पुलिस कप्तान, फतेहपुर के भी रिश्तेदार हैं, इसी कारण से इनको हुसैनगंज का थाना इन्चार्ज बना दिया गया है जब कि वे इस पद के लिये बिलकुल अयोग्य हैं ? उनके समय में कत्ल, चोरी और डकैतियों की संख्या की भरमार हुई है, किन्तु उनकी रिपोर्ट कम दर्ज की गयी हैं ? यदि मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न किये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

अब आपकी समझ में जो प्रश्न आया हो उसे बतला दीजिये ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इनका तबादला हो गया है और बांदा चले गये हैं । उनकी पुलिस कप्तान से रिश्तेदारी है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनको स्वीकार है कि इस थानेदार के कार्यकाल में डकैतियों, चोरियों और कत्ल आदि में बढ़ोत्तरी हुई तो ऐसे थानेदार को, उस इलाके में जबकि इनके पहिले दो साल कोई चोरी डकैती वगैरह नहीं हुई, थाना इन्चार्ज के पद से हटाने की कृपा की जावेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

जैसा कि बताया गया है कि वहां पर अपराध की घटनायें घटी हैं और वहां की पुलिस द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिये अदालती कामों में, वह नहीं मिल पाई है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के थानेदार ने कहां तक अपने कर्त्तव्यों का पालन इस संबंध में किया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह जो फैसला होकर आता है यह पहिले थाने से अदालत में जाता है । अदालतस्ट्रीक्चर पास करती है । उसके बाद ही हम ऐक्शन लेते हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी अपने तजुर्वे से इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि बहुत से झूठे मुकदमों को तो भेजा जाता है और सही मुकदमे छूट जाते हैं ? बहुत से फैक्टर्स हैं । इसलिये इस तरीके से किसी भी थानेदार को इमानदारी से भी हटाया जावेगा अगर प्रापोजीशन ऐसा रक्खा जाय तो बदमाश बने रह सकते हैं । तो यह तरीका न अख्तियार करके क्या माननीय मंत्री जी यह तरीका अख्तियार करेंगे कि सभी थानों में, केवल हुसैनगंज में ही नहीं कि कितने झूठे मुकदमे किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं समझता था कि क्वैश्चन-आन्सर में सूचना मांगी जाती है राय नहीं मांगी जाती ।

तालखन्ना ग्राम की डकैती में हताहत व्यक्तियों को सहायता देने पर विचार

*२८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम तालखन्ना (बरूआ सागर), जिला झांसी में जो डकैती पड़ी थी जिसमें कई व्यक्ति मारे गये तथा कई व्यक्ति बुरी तरह घायल हुये थे ? उक्त मामले पर विधान सभा में प्रश्नकर्ता के उत्तर में उपगृह मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मृतक व घायल व्यक्तियों के परिवारों को मासिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहा यता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न में उल्लिखित डकैती के संबंध में पहिले पूछे गये इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या सरकार ऐसे घायल व्यक्तियों को जो काम योग्य नहीं रह गये हैं उन्हें जीवित रहने के लिये कोई माहवारी सहायता देगी, के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में विचार हो रहा है । मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह डकैती कब पड़ी, कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए और सहायता देने पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१४/१५–१२–६२ की रात को पड़ी । २ व्यक्ति मारे गये और ३ को चोट लगी । सहायता के लिये आई० जी० की सिफारिश आ गई है और अब जल्दी फैसला हो जायगा ।

ललितपुर क्षेत्र में कुख्यात डाकू

*२९—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर, जिला झांसी में डाकू देवी सिंह के मरने के उपरान्त कितने डाकू इस समय डकैती व कत्ल व राहजनी एवं अपहरणों के कार्यों में पुलिस के लिये सरदर्द हैं ? डाकुओं के दलों के प्रमुख–प्रमुख डाकू नेताओं के क्या–क्या नाम हैं और कितनी आर्म्ड गार्ड पुलिस डाकुओं के पीछे लगी हुई है तथा मुखबिरों की रक्षा में कितने पुलिसगार्ड तैनात हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसे डाकुओं की संख्या ३५ है और इनके प्रमुख नेताओं के नाम निम्नलिखित हैं— (१) पूरन सिंह, (२) शंकर सिंह, (३) गजराज सिंह, (४) गोविन्दसिंह और (५) नन्ने जू । उक्त डाकुओं के पीछे २ सशस्त्र पुलिस गार्ड एवं प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के चार प्लाटून नियुक्त हैं । मुखबिरों की सुरक्षा के लिये १२ सशस्त्र गार्ड और प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के २ प्लाटून नियुक्त हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डाकुओं द्वारा जो ५ मशहूर डाकुओं के दल इस समय हैं जिनके नाम आपने बताये, इन्होंने सन् ६४ से फरवरी, ६५ तक कितनी हत्यायें कीं और किसने कीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी हमारे पास तार आया है, माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी, कि गोविन्दसिंह डाकू मारा गया है और अन्य गिरफ्तार कर लिये गये हैं, ये पांच जिनके नाम मैंने लिये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार ने उनके खिलाफ किसी इनाम की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना चाहिये ।

ललितपुर क्षेत्र में पुलिस को ऐंटी डकैती एलाउन्स देने का सुझाव

*३०—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि ललितपुर, जिला झांसी डकैत एरिया में एन्टी डकैती एलाउन्स पुलिस के जवानों को कितना दिया जाता है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐन्टी डकैती एलाउन्स और महंगाई पुलिस के जवानों की जंगलों में रह कर उनकी कठिनाइयों को देखते हुये शीघ्र दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस समय कोई एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है पुलिस आयोग ने इस एलाउन्स के विषय में कोई सिफारिश नहीं की थी। अतः यह अप्रैल, १९६२ से बन्द कर दिया गया। इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा—

सन् ६२ तक उनको इस प्रकार का एलाउन्स मिला। अब कब तक सरकार इस पर निर्णय कर देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बहुत जल्द करीब-करीब वह तय भी हो चुका है।

पूर्वी जिलों की चीनी मिलों पर केन सेस का बकाया

*३१—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया जिलों में स्थित किन-किन चीनी मिलों पर कितना-कितना रुपया केन सेस तथा सम्बन्धित केन यूनियन के ऋण का दिसम्बर, सन् १९६४ तक बाकी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बस्ती, गोरखपुर, तथा देवरिया जिलों की चीनी मिलों पर दिसम्बर, ३१, १९६४ तक सेस एवं क्रय कर की बकाया धनराशि का ब्योरा मिलवार संलग्न तालिका में दिया गया है ? गन्ना समितियों द्वारा चीनी मिलों को कोई ऋण नहीं दिया गया है शेष प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४८१–४८३ पर।)

श्री रामसूरतप्रसाद—

इन मिलों से इस रकम को वसूल करने के लिये अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

भटनी, पिपराइच और राम कोला मिलें तो, जैसा आपको मालूम है, अथाराइज्ड कंट्रोलर के नियंत्रण में चली गई हैं। हाईकोर्ट से स्टे आर्डर के कारण वसूली रुकी है। हम केस की अपील कर रहे हैं। जिसे हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है।

*३२–३३—श्री हरीगैनराम (जिला वाराणसी)—

[हटा दिये गये।]

जिला हरिजन सेवक संघ, फैजाबाद

*३४—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में १९६२-६३ में जिसे नया हरिजन सेवा संघ का निर्माण हुआ है उसके अध्यक्ष के नाम १९६२, ६३, ६४ में कितना-कितना अनुदान या सहायता में धन दिया गया और वह किन-किन मदों में खर्च किया गया ? क्या यह संस्था रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो उसके पदाधिकारी कौन-कौन से हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

सन् १९६२-६३ में पंजीकृत जिला हरिजन सेवक संघ फैजाबाद के अध्यक्ष को वित्तीय वर्ष १९६२-६३, १९६३–६४ में कोई अनुदान या सहायता नहीं दी गई। अतएव किन मदों में खर्च हुआ इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

यह रजिस्टर्ड संस्था है। इसके पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४८४ पर)

*३५—श्री सुखरामदास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में इस से पहले उक्त नाम की कोई पुरानी संस्था है और हां, तो दूसरी को मान्यता क्यों दी गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। इससे पहले इस जिले में प्रदेशीय हरिजन सेवक संघ, वाराणसी (पूर्वी शाखा) की एक शाखा थी। किसी संस्था को मान्यता देने का प्रश्न नहीं है। कोई भी रजिस्टर्ड संस्था अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये योजना बनाकर शासन से सहायता के लिये आवेदन-पत्र दे सकती है।

बलिया में हरिजनों के पुनर्वास के लिये प्रार्थना

*३६—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया नगर के मुहल्ला तेंदुआ के गंगा के कटान से हरिजनों के जो २२ घर ७–८ वर्ष पूर्व गिर गये थे उन घरों के परिवारों के जो करीब २०० व्यक्ति अब तक जार्पलिग गंज की सड़क के किनारे झोपड़े डाले पड़े हैं? क्या सरकार उन्हें जमीन देने का बन्दोवस्त करके बसाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

बलिया नगर के कथित मोहल्ले में २०० नहीं वरना १४० हरिजन (चमार) जापलिनगंज की नजूल भूमि पर लगभग १५–१६ वर्षों से झोपड़ों में रह रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्रों में हरिजनों के गृह निर्माण या गृह निर्माण के लिये जमीन खरीदकर देने का हरिजन कल्याण बजट में कोई प्राविधान नहीं है, इसलिये उन्हें नगर में भूमि दे कर बसाने का प्रश्न नहीं उठता।

*३७–३९—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

[स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में डकैतियां तथा एस० पी० की नियुक्ति

*४०—श्री भगवानदास बरनवाल (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में सन् १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितनी डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मिर्जापुर जिले में सन् १९६२-६३ में ८ तथा १९६३-६४ में ५ डकैतियां पड़ीं।

*४१—श्री भगवानदास बरनवाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मिर्जापुर जिले में गत ६ माह में कितनी डकैतियां किन-किन थाने के अन्तर्गत किस-किस तारीख को पड़ी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४८५ पर)

*४२—श्री भगवानदास बरनवाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में एस० पी० का स्थान कब से रिक्त है और उनके स्थान पर डी० वाई० एस० पी० ही एस० पी० का कार्य कर रहे हैं और ऐसा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मिर्जापुर जिले में ऐस० पी० का स्थान रिक्त नहीं रहा ।

२ नवम्बर, १९६४ से २ मार्च, १९६५ तक स्थानीय डी० वाइ० एस० पी० ने स्थानापन्न-रूप से एस० पी० का कार्य स्थायी एस० पी० की नियुक्ति होने तक किया ।

उत्तराखंड के छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने की सिफारिश

*४३—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या सरकार तकनीकी उन्नति व शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुये उत्तराखंड के छात्रों के लिये तकनीकी शिक्षालयों में उचित स्थान सुरक्षित करेगी और भारत सरकार से भी लिखा-पढ़ी करने की कृपा करेगी जिससे भारत वर्ष के विविध तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में उन्हें अध्ययन के लिये स्थान सुविधापूर्वक प्राप्त हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न विचाराधीन है ।

माधोगढ़ में कत्ल सहित डकैती

*४४—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर) तथा श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जालौन जिले में माधोगढ़ कस्बे में एक घटना जनवरी या फरवरी मास में घटी जिसमें बाप-बेटे का कत्ल हुआ और उनका १५ किलो सोना और दो मन चांदी लेकर अभियुक्त भाग गये ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ? और क्या यह भी सही है कि पुलिस राजनैतिक दबाव के कारण इस मामले को दबा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २५–२६ जनवरी, १९६५ की रात्रि में ग्राम माधोगढ़, जिला जालौन में बाप-बेटे की कत्ल की घटना हुई । मृतक की बहियों के अनुसार अभियुक्तों द्वारा उनके लगभग ८६ तोले सोने एवं ३ मन ३२ सेर चांदी का आभूषण लूटे गये । इस सम्बन्ध में अभी २ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है । यह सही नहीं है कि पुलिस राजनैतिक दबाव के कारण मामले को दबा रही है ।

महोबा थाने में अपराध

*४५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिला के महोबा थाने में कस्बा महोबा खास व देहाती क्षेत्र में अलग-अलग १ जनवरी, सन् १९६४ से आज तक कितने कत्ल, डाके, राहजनियां तथा चोरियां हुई हैं ? उनमें कितने का चालान हुआ कितने को अदालत से सजायें हुई और क्या-क्या और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८६पर)

*४६—श्री मदनपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि वर्तमान सब-इंस्पेक्टर, थाना महोबा के खिलाफ कई शिकायती प्रार्थना-पत्र वहां की जनता द्वारा एस० पी० महोदय हमीरपुर को दिये गये हैं परन्तु क्या कारण है कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या अविलम्ब कार्यवाही कराये जाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वर्तमान सब-इंस्पेक्टर थाना महोबा के खिलाफ व्यक्तिगत कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ है । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर में खांडसारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप तथा श्री ओ०पी० सिंह खांडसारी निरीक्षक का निलम्बन

*४७—राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—

११ फरवरी, १९६५ के लिये निर्धारित श्री सुरेन्द्र विक्रम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ३९ के उत्तर के सदर्भ में मुख्य मत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी के साथ-साथ श्री ओ० पी० सिंह खांडसारी इंस्पेक्टर पुवायां के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार व रिश्वत-खोरी के आरोप थे ? यदि हां, तो क्या उनको भी मुअत्तल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की शिकायत की गई थी तथा श्री ओ० पी० सिंह खांडसारी निरीक्षक के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि वह इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही में अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी के सहयोगी हैं । श्री ओ० पी० सिंह खांडसारी निरीक्षक भी दिनांक १ फरवरी, १९६५ के आदेशानुसार मुअत्तल किये जा चुके हैं ।

बामपंथी कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी

*४८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६५ से १५ जनवरी, १९६५ तक कुल कितने अलग-अलग जिलों में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की भारतीय सुरक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां की गईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१ जनवरी, १९६५ से १५ जनवरी, १९६५ तक डिफैन्स आफ इण्डिया रूल्स, १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत आजमगढ़, बस्ती, मेरठ तथा अलीगढ़ जिलों में कुल सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनका सम्बन्ध वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी से था ।

*४९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इन पकड़े गये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सरकार के क्या आरोप हैं और उन्हें क्यों वगैर मुकदमा चलाये बन्दी बनाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन व्यक्तियों की कार्यवाहियां भारत सुरक्षा व जन सुरक्षा के हित में हानिकर समझी गईं । चूंकि इन व्यक्तियों को डिफैन्स आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है, अतएव इन पर मुकदमा चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सुरक्षा के अन्तर्गत समदन गांव में प्राप्त घर

*५०—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को मालूम है कि मौजा समदन, तहसील छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में एक साहब ने अपना मकान पिछले साल डिफेन्स फंड में दिया था जिसको तहसीलदार साहब ने नीलाम भी किया और समदन के लेखपाल और प्रधान ने खरीदार से रुपया लेकर जमा करने और कब्जा दिलाने का वादा किया, परन्तु क्या यह सच है कि वह रुपया सरकार में अभी तक जमा नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके जमा कराने के लिये तहसीलदार ने क्या कोई कार्यवाही नहीं की और यदि की, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हां, परन्तु यह खंडहर झगड़े का था, अतः नीलाम की पुष्टि नहीं हुई, इसलिये धन जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

गोंडा पुलिस लाइंस में जाने के लिये सभा सचिव के साथ दरोगा

*५१—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि उनकी सरकार के एक सभा सचिव गोंडा शहर के डाक बंगले से परेड ग्राउंड तक जाने के लिये पुलिस के किसी दरोगा द्वारा गत २६ जनवरी, १९६५ को पाइलट कराया ? यदि हां, तो पुलिस के किस उच्च अधिकारी की आज्ञा से दरोगा ने ऐसा कार्य किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । सही बात यह है कि सभा सचिव जिन्हें पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेनी थी डाक बंगले में ठहरे थे जहां से परेड की जगह करीब एक मील दूर थी । परेड का समय सही रहे इसलिये सभा सचिव को समय से सूचना देने और इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि उनकी गाड़ी निर्धारित रास्ते से आये और ठीक जगह रुके, एक सब-इंस्पेक्टर जिनके पास मोटर साइकिल है तैनात किये गये थे । इसलिये उक्त सब-इंस्पेक्टर सभा सचिव की गाड़ी के साथ-साथ रहे । यह तैनाती पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने की थी ।

*५२—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगी कि उक्त सभा सचिव गोंडा जिले के ही रहने वाले हैं और उनका निवास स्थान भी शहर में है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, लेकिन उनका निवास स्थान गोंडा शहर में नहीं बल्कि शहर से करीब २२ मील दूर है ।

हमीरपुर जिले में श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा के कथित कातिलों के हथियार जमा कराना

*५३—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा, अध्यक्ष, मंडल कांग्रेस कमेटी, कबरई, जिला हमीरपुर के कत्ल में फंसे व्यक्तियों के हथियार जब्त करने के लिय पुलिस ने सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अभी तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोबा ने उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस की सिफारिश पर सभी व्यक्तियों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिय गये हैं तथा तीनों अभियुक्त रामप्यारे, गोरेलाल तथा द्वारका प्रसाद के असलहा, दिनांक १८ व १९ फरवरी, १९६५ तथा १० मार्च, १९६५ को जमा करा लिये गये हैं।

*५४—श्री डूंगरसिंह तथा श्री मोहनलाल अहिरवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कथित हत्यारे उन्हीं हथियारों से गवाहों को धमका रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उसकी रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

केवल मृतक के भाई श्री बृजभूषण ने दिनांक ३ फरवरी, १९६५ को थाना कबरई पर कत्ल के मुलाजिमानों के विरुद्ध एक रिपोर्ट १४४/५०४/५०६/३५२ भा० द० वि० की लिखाई जिसमें मुलजिमानों द्वारा उसे धमकाने के आरोप थे। थानाध्यक्ष कबरई को आदेश दिया गया है कि काफी सतर्कता से देखभाल करें और सुरक्षा के सम्बन्ध में विशेष निगरानी करें।

इलाहाबाद के थाना सराय इनायत में पन्नालाल हलवाई की मृत्यु की जांच

*५५—श्री सालिग्राम जैसवाल, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के थाना सराय इनायत में दिनांक २ फरवरी, १९६५ को पन्नालाल हलवाई को बुलाकर बुरी तरीके से पीटा गया जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु दिनांक ३ फरवरी, १९६५ को हो गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी और इन आरोपों के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

*५६—श्री सालिग्राम जैसवाल, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पन्नालाल हलवाई का पोस्टमार्टम कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं हुई क्योंकि मृतक की मृत्यु संदिग्ध स्थिति में होने की कोई सूचना थाने पर नहीं दी गई थी।

बुलन्दशहर जिले में हरिजनों को छात्रवृत्ति

*५७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री जसरामसिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में हरिजन छात्रों को कक्षा ६ से १० तक के बालक, बालिकाओं को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं बांटी गई जब कि ३१ मार्च निकट है ? इसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्या छात्रवृत्ति ३१ मार्च तक बंट जायेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जिला बुलन्दशहर में कक्षा ६ से १० तक के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति जनवरी, १९६५ में स्वीकृत कर दी गई थी और अधिकांश को यह छात्रवृत्ति संस्था द्वारा मिल भी चुकी है। शेष को बंट रही है।

३१ मार्च, १९६५ तक सबको मिल जायगी।

*५८-६०—श्री तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

[हटा दिये गये]

सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की होम डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल में तैनाती

*६१—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री हरिगैनराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में इस समय कितने ऐसे सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम सब डिवीजन में काम कर रहे हैं और इन सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होम डिस्ट्रिक्ट व होम सब डिवीजन में कैसे हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल एक। उन्हें वहां अनुकम्पा आधार (compassionate grounds) पर तैनात किया गया है।

हायर जुडीशियल सर्विस में पदोन्नति

*६२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में हायर जुडीशियल सर्विस में कितनी नियुक्तियां हुई हैं और उनमें कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अनुसूचित वर्गों के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस में डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट (direct recruitment) द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (जुडीशियल ब्रांच) में से पदोन्नति (promotion) द्वारा हायर जुडीशियल सर्विस में पिछले पांच वर्षों में जो नियुक्तियां हुईं उनमें पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग के लोग नहीं हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार

*६३—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कितने लोगों को दिसम्बर, १९६४ तक रोजगार मिला तथा कितने व्यक्ति दिसम्बर, १९६४ तक इस प्रदेश में बिना रोजगार के रहे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केवल इतना कहा जा सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त (मार्च १९६६) में बेरोजगारों की संख्या लगभग २१ लाख अनुमानित की गई है।

*६४—श्री राजेन्द्रसिंह—

[हटा दिया गया।]

*६५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[हटा दिया गया।]

बम्बई तथा राज्य के बाहर अन्य प्रदर्शनियों में उद्योग विभाग द्वारा संगठित स्टालों पर व्यय

*६६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई नगर में नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ में लगने वाली 'उद्योग प्रदर्शनी' 'our heritage' में उत्तर प्रदेश का भी कोई स्टाल था ? यदि हां, तो उसके लगने में वहां कुल कितना खर्च पड़ा और कितने रुपये का सामान वहां बिका ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां "आवर हेरिटेज" प्रदर्शनी, बम्बई में उत्तर प्रदेश का एक स्टाल था। उसके लगाने में कुल ४०,०४८.२० रुपया व्यय हुआ और वहां २०,३४२.९३ रु० का सामान बिका।

*६७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री गत तीन वर्षों में राज्य के बाहर की आयोजित प्रदर्शनियों में विभाग द्वारा संगठित स्टालों पर हुए व्यय और उसका अन्य विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत तीन वर्षों में राज्य के बाहर आयोजित प्रदर्शनियों में उद्योग विभाग द्वारा संगठित स्टालों पर हुए व्यय और अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं—

१—वर्ष १९६१-६२ में राज्य से बाहर तीन प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। पहली प्रदर्शनी (इंडियन इंडस्ट्रीज फेयर, १९६१) नई दिल्ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक मंडप निजी क्षेत्र के लिये निर्मित कराया गया था। इस पर ३,११,५०३.२० रु० खर्च आया था, जो कि निजी क्षेत्र से शामिल होने वाले उद्योगियों से लाभ हानि रहित आधार पर स्टाल के किराये के रूप में वसूल किया गया। इस प्रदर्शनी में गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स का भी एक मंडप था, जिस पर ७९,७२३.७८ रु० व्यय हुआ और ४३,३१८.२६ रु० की बिक्री हुई।

दूसरी प्रदर्शनी अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, पटना में हुई। जिसमें संगठित विभागीय स्टाल पर कुल खर्च १९,१८६.७० रु० हुआ और गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्टस द्वारा २,४९०.८३ रु० की बिक्री हुई।

तीसरी प्रदर्शनी, भारत भाग्योदय प्रदर्शनी, नागपुर थी, जिसमें संगठित विभागीय स्टाल पर २,४९७.४७ रु० व्यय हुआ जिसमें गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स द्वारा ९५६.२१ रु० की बिक्री हुई थी।

(२) वर्ष १९६२-६३ में विभाग द्वारा राज्य से बाहर की किसी प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया गया।

(३) वर्ष १९६३-६४ में कलकत्ता उद्योग मेला, कलकत्ता में संगठित गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्ड्रीक्राफ्ट्स के स्टाल लगाने में ३३५.५० रु० व्यय हुआ और इस स्टाल पर ११,८७४.१८ रु० की बिक्री हुई।

इसी वर्ष भारत से बाहर (कुवैत) (फारस की खाड़ी) में आयोजित एक प्रदर्शनी में इस राज्य का एक कक्ष था। इस प्रदर्शनी पर लगभग १८,७०१.०८ रुपया व्यय पड़ा तथा कुल बिक्री की धनराशि १९,४०५.८८ रुपया थी।

थाना मुंडेरवा में श्री शंकरसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट

*६८---श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

क्या सरकार को मालूम है कि जिला बस्ती, थाना मुंडेरवां गांव कैथवलिया के शंकर सिंह के खिलाफ अनेकानेक रिपोर्ट कैथवलिया गांव के छोटे-छोटे दबे पिसे किसानों ने थाना मुन्डेरवा में अभी हाल में दर्ज कराई है ? फिर उक्त असामाजिक तत्व शंकर सिंह के खिलाफ थाना मुन्डेरवा के वर्तमान एस० ओ० श्री बृजनन्दन सिंह द्वारा कोई उचित कानूनी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ग्राम कैथवलिया के श्री शंकर सिंह के विरुद्ध उस गांव के दो व्यक्तियों ने ४ रिपोर्टें तथा प्रश्नकर्त्ता महोदय ने एक रिपोर्ट लिखाई थी। चूंकि उक्त ४ रिपोर्टें अहस्तक्षेपनीय पुलिस थी, अतः उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रश्नकर्त्ता महोदय की रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई।

ए०डी०ओ० डब्ल्यु०, कुरावली के खिलाफ शिकायतें

*६९---श्री ब्रजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक कुरावली, जिला मैनपुरी में ए० डी० ओ० डब्लू० के खिलाफ सन् १९६३-६४ में कितनी शिकायतें सरकार के पास आयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

*७०---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ब्लाक की ए० डी० ओ० डब्लू० के खिलाफ ब्लाक प्रमुख ने डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आगरा रीजन व प्लानिंग आफिसर मैनपुरी की सन् १९६४ में कितनी शिकायतें लिख कर भेजीं और वह सदस्य विधान सभा के साथ डेपुटेशन भी मिला ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

सचिवालय में हरिजन सहायक अधीक्षक

१---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

दिनांक २७ अगस्त, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर व दिसम्बर, १९६३ के मध्य में जिन सहायक अधीक्षकों को अधीक्षक बनाया गया और १०० सहायक अधीक्षकों को स्थायी किया गया। वे कब से कब तक अस्थायी सहायक अधीक्षक रहे और जो दो अस्थायी सहायक अधीक्षक हरिजन है उन्हें स्थायित्व एवं पदोन्नति देने में क्या बाधा थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सितम्बर व दिसम्बर सन् १९६३ में मध्य में जिन चार सहायक अधीक्षकों को अधीक्षक बनाया गया तथा जिन १०० सहायक अधीक्षकों को स्थायी किया गया, उनमें अधिकांश की सर्विस बुकें महालेखापाल उत्तर प्रदेश के कार्यालय में है। अतः उनकी अस्थायी सहायक अधीक्षक के रूप में की गई सेवाओं का विवरण एकत्र करने में जो श्रम व व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक २७ अगस्त, १९६५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही नहीं है कि दोनों हरिजन सहायक अधीक्षकों में से श्री ताराचन्द लगभग दस वर्षों से सहायक अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं और लगभग ढाई वर्ष तक इन्चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट की हैसियत से भी कार्य किया है? यदि सही है, तो फिर उन्हें स्थायी किये गये १०० सहायक अधीक्षकों को व पदोन्नति प्राप्त ४ अधीक्षकों से भिन्न श्रेणी में रखने का आधार क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो १०० अस्थायी सहायक अधीक्षक स्थायी किये गए वे सब दो हरिजन सहायक अधीक्षकों से ज्येष्ठ (सीनियर) थे। इसलिये उन दो हरिजन सहायक अधीक्षकों का नम्बर नहीं आया। अधीक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अधीक्षक और प्रवर वर्ग सहायकों में से चुने जाते हैं। लोक सेवा आयोग उनकी योग्यता के आधार पर ही अधीक्षकों के नामों की सूची तैयार करता है और उसी सूची के अनुसार पदोन्नति की जाती है। उस क्रम में रद्दो बदल करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अभी तक जितनी अधीक्षकों की जगहें हुई हैं, उनके लिये सूची के अनुसार उक्त हरिजन सहायक अधीक्षकों का नाम नहीं था। इसलिये उनकी पदोन्नति नहीं की गई।

श्री तारा चन्द की सहायक अधीक्षक के रूप में की गयी कुल सेवाएं लगभग १० वर्ष की है परन्तु वे इन्चार्ज अधीक्षक नहीं रहे।

इसका उत्तर प्रश्न १ के उत्तर में सम्मिलित है।

३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

वाराणसी के फायर ब्रिगेड विभाग में दुक्खूराम की मृत्यु

४—श्री हरिगैनराम—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में फायर बिग्रेड विभाग में श्री दुक्खूराम कर्मचारी की दिनांक २१ जुलाई १९६४ को ड्यूटी पर मृत्यु हो गई? यदि हां, तो मृत्यु होने का कारण क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। मृत्यु का कारण हृदय की गति रुक जाना था।

५—श्री हरीगैनराम—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उसके परिवार को उसके दाह संस्कार के लिये ५० रु० दिये गये।

बुन्देलखंड के लिये औद्योगिक योजनायें

६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखन्ड में कोई भी उद्योग कारखाने नहीं हैं क्या सरकार ने बुन्देलखन्ड के औद्योगीकरण के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बुन्देलखन्ड में बड़े कारखाने नहीं हैं परन्तु मध्यम व छोटे पैमाने पर वहां अनेक कारखाने हैं जो फैक्ट्रीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं।

उक्त क्षेत्र में बड़े कारखाने खोलने के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। लघु उद्योग की कई योजनायें हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं का नाम संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४८७ पर)

७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार शीघ्र ही बुन्देलखन्ड में कोई भारी उद्योग सरकारी स्तर पर लगाने जा रही है? यदि हां, तो कौन-सा उद्योग और कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

विविध जानकारी

श्री लखपतराम शर्मा—

जो रेल उकैती हुई उसमें आज मंत्री जी को बयान देना था।

श्री अध्यक्ष—

२ अप्रैल को देना है।

विशेषाधिकार समिति का सोलहवां तथा सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का १७वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, संभवतः इन प्रतिवेदनों में से एक से मैं संबंधित हूं। मैं बड़ा आभारी हूं माननीय समिति का जिन्होंने इस प्रश्न को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी चूंकि आपको ठेस लगी है, इसलिये मैं अपना खेद प्रकट करता हूं और दुख प्रकट करता हूं। जो शब्द मैंने आपके लिये प्रयोग किया वह कदाचित उचित नहीं था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आगे तो नहीं करेंगे, यह भी कह दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इनकी ऐसी आदत नहीं है जैसी कि दूसरों की आदत है।

(हंसी)

---

†छापे नहीं गये।

बाराहोती के समीप चीनी चौकी स्थापित होने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव यह आया है कि बाराहोती के मिले हुए स्थान में एक चीनी सैनिकों की चौकी स्थापित हुई है। उस संबंध में माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय मुकुट बिहारी लाल और माननीय रक्षपाल सिंह का कहना यह है कि वहाँ आतंक छाया है। मैं इस सूचना को स्वीकार इस कारण से नहीं कर पाया हूं कि इसमें कोई ऐसी घटना वर्णित नहीं है जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हों। आप वहां के डेवलपमेन्टस् देखकर फिर सूचना दे सकते है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजावाद)—

वहां से लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

डिटेल्स दीजियेगा तो मैं इसे सोच लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

चाऊ ऐन लाई से शेख अब्दुला एल्जीयर्स में मिल लिये हैं, तो क्या बार्डर पर काफी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि डिटेल्स आने पर देखेंगे। यह महत्वपूर्ण अवश्य है।

जिला चमोली के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक मैंने नियम ५२ में स्वीकार की है, माननीय योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी की। वह सचिव पढ़ देंगे।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चमोली जिले के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं, कुछ गांव सभाओं तथा समाचार पत्रों की सूचनाओं से यहां विदित हुआ है कि चमोली के अन्तरिम जिला परिषदीय अध्यापकों ने हड़ताल कर दी है और अध्यापन कार्य को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है। चमोली जिले के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक सन् १९६० में पृथक सीमान्त जिला बनने के बाद से निरन्तर सीमान्त भत्ते की मांग करते आ रहे हैं। किन्तु अभी तक उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई है। अब अध्यापकों की हड़ताल से अन्तरिम जिला परिषद् के विद्यालय बन्द हो जावेंगे तथा उस जिले में एक विषम व असन्तोष की स्थिति हो गई है। परीक्षा का समय समीप है। जनता में अपने बालक बालिकाओं के प्रति भविष्य के विषय में बहुत चिन्ता उत्पन्न हो गई है और चमोली जिले में इस स्थिति के बड़े कुप्रभाव पड़ेंगे, जो आगे उग्र रूप धारण कर सकते हैं।

उत्तराखन्ड के जिलों के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी पर सीधा दायित्व है। सरकार समय रहते परिस्थिति को बिगड़ने से बचाने की कृपा करे और उपर्युक्त अन्तरिम जिला परिषदीय अध्यापकों की मांग पूर्ण करे। अंत.....

श्री अध्यक्ष—

बस ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मंगल को बयान दें देंगे ।

प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण वर्षा तथा ओले से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना माननीय उग्रसेन, रामसुन्दर पांडेय, गया प्रसाद और राधेश्याम जी की आयी है—गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा बाराबंकी लखनऊ आदि जिलों में भीषण वर्षा तथा ओलों से हुए नुकसान के सम्बन्ध में यह है। मैं माननीय राजस्व मंत्री के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह तीसरा चौथा दौर है यह मैं आप को बता दूं। लगातार ओले पड़ रहे हैं और वर्षा हो रही है। खेत और खलिहान दोनो नष्ट हो गए हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिलाधीशों से रपट मांगी, वह भी उन्होंने अभी तक नहीं दी। तो मेरा यह निवेदन है कि इस पर स्पष्ट बयान अवश्य होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह हम करा देंगे ।

ग्राम शाहपुर-खता सराय, जिला जौनपुर में हड्डी का कारखाना खोले जाने के संबंध में नियम ५२ के अतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय चन्द्रजीत यादव, झारखंडे राय, ऊदल और रघुनाथ राम की सूचना आयी है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जौनपुर जिले में कुछ व्यापारी श्री विशम्भरनाथ कपूर आदि बोन प्रोडक्ट्स, यानी हड्डियों का कारखाना खोल रहे हैं और समीप में एक मन्दिर भी है जिसके कारण वहां एक विशेष समुदाय में बहुत ही रोष पैदा हो गया है। इसको केवल वक्तव्य के लिए मैं ले रहा हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में जो निश्चय हुआ है वह इस प्रकार है—

१—उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५	२ अप्रैल, १९६५ को दो घंटे।
२—रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ	२ अप्रैल, १९६५ को दो घंटे ।

३—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ	५ अप्रैल, १९६५ को दो घंटे।
४—उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ	५ अप्रैल, १९६५ का शेष समय, ६ अप्रैल, १९६५ तथा ७ अप्रैल, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक और यदि आवश्यक हुआ तो दो घंटे समय बढ़ाया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक में जमींदारी विनाश का भी है, नागर क्षेत्र का है, कुमायूं और उत्तरा खंड का भी है, जौनसार बावर का है और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी का भी संशोधन है । ये चार भूमि संबंधी विधेयक इसमें संशोधित हो रहे हैं और समय केवल ढाई दिन का है ।

श्री अध्यक्ष—

ढाई दिन का नहीं ३ दिन का समय है। तीसरे दिन ७ बजे तक बैठक हो सकेगी, तो इस तरह तीन दिन हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो बहुत कम समय दिया गया है। इस पर फिर से विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक यह है, ऐसी जल्दी में इस पर बहस हो जाय और पास हो जाय यह ठीक नहीं है। बहुत दिनों से माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि हम ऐसा विधेयक लाना चाहते हैं जिससे कि सब भूमि संबंधी विधेयकों का संशोधन हो जाय, तो अब यह विधेयक आया है इसलिये इस पर समय और ज्यादा मिलना चाहिए। ढाई दिन का समय जनरल बहस के लिए हो जाय और संशोधनों के लिए और समय रखा जाय तो ठीक है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि आप फिर से इसको कार्य-मंत्रणा समिति में भेज कर इस पर विचार करें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा एक एतराज है कि हमारी पार्टी का कोई पहुंचा नहीं और दो घंटे का समय जो निर्धारित किया गया है वह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राधेश्याम जी पहुंच गए थे और दो घंटे नहीं तीन दिन का समय है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :—

१—उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५।

२—रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक ,१९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

[श्री नवलकिशोर]

३—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

४—उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय नवलकिशोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर ने समय तो प्रस्ताव में पढ़ा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने पढ़ दिया है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव था कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ को फिर से कार्य मंत्रणा समिति को भेज दिया जाय, अन्यथा ज्यादती होगी ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस हुई और पूरी तरह से विचार किया गया इसी वजह से उसके लिए ३ दिन रखे गये। २ घंटा और समय बढ़ाने की भी बात इसीलिए रखी गई है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन् संशोधनों पर भी विचार करना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें ज्यादा नहीं है, देख लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

देखा है, इसलिये आप से निवेदन कर रहा हूं ।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब सभापति विशेषाधिकार समिति प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, चूंकि दिनांक २५ मार्च, १९६४ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वश्री एन० यू० बेग तथा जी० डी० सहगल व श्री बी० सालोमन द्वारा सदन का अवमान किये जाने से संबंधित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ।

दिनांक २८ मार्च, १९६४ को विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी प्रस्ताव कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की पृथक-पृथक सूचनाओं का निर्देश विशेषाधिकार समिति को किया गया था, और दिनांक ३० मार्च, १९६४ को उक्त निर्देश संशोधित किया गया था।

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था, और जिन पर प्रतिवेदन करने का समय ३१ मार्च, १९६५ तक बढ़ाया गया था, किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार समाप्त नहीं कर सकी ;

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० अप्रैल, १९६५ तक बढ़ा दिया जाये ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस बुनियाद पर कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २६८ में यह बहुत ही साफ लिखा गया है कि एक मास के अन्दर प्रतिवेदन पेश होगा, जिस दिन से निर्देश हो। अध्यक्ष महोदय, अगर जरूरत समझें तो उसका समय बढ़ा सकते हैं। यह सवाल विशेषाधिकार समिति के सामने एक साल से पड़ा हुआ है और कई दफा से इसका समय बढ़ाया जा रहा है। जो आखिरीबार ३१ मार्च, १९६५ तक दिया गया था, तब तक रिपोर्ट समिति को दे देनी चाहिए थी। अगर प्रस्ताव आना ही था, तो वह कल लाना चाहिये था। आज १ तारीख को यह प्रस्ताव लाना कानून के बिलकुल विरुद्ध है। कल आप समय बढ़ा सकते थे और जब कल वह प्रस्ताव नहीं आया तो यह आप से आप खत्म हो जाता है। एक साल से यह मामला पड़ा हुआ है, जब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय में कह दिया कि इन दो माननीय न्यायधीशों ने सदन का कोई कन्टेम्प्ट नहीं किया है, उसके बाद भी फिर आप इसको टालते रहे, यह उचित प्रतीत नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद २६१ (१) में भी स्पष्ट लिखा हुआ है

"261 (1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State."

जो भी पब्लिक ऐक्ट्स होंगे, या रिकर्ड्स होंगे, उन सब की हम कद्र करेंगे और सारे देश में उनकी मान्यता होगी। अतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की राय एक पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते उनकी जो भी कार्यवाहियां होती हैं, वे कानून के मातहत पब्लिक ऐक्ट्स के अन्दर आ जाती हैं। तो पब्लिक ऐक्ट अगर है, तो उसकी कद्र होनी चाहिए और आपने भी पिछली दफा जब सवाल उठा था तो कहा था कि सुप्रीमकोर्ट का जो भी निर्णय होगा, उसका हम आदर करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए विशेषाधिकार का सवाल और जो संकल्प पर आज भी बहस होने वाली है, वह मैं समझता हूं अनुच्छेद २६१ के खिलाफ है। यह हमारी कांस्टीट्यूशनल आपत्ति है, मैं चाहूंगा, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि अनुच्छेद २६१ के रहते हुए सर्वश्री बेग, सहगल और सालोमन के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तथा संकल्प जो इस समय सदन के विचाराधीन है, कैसे चल सकते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि यह मसला करीब-करीब साफ है, और हाई कोर्ट का भी फैसला हो चुका है, इसलिए अब बहुत अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए शीघ्र ही सदन के सामने रिपोर्ट आना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो विरोध किया है, मैं शायद बोलने की जरूरत नहीं समझता, अगर वह संविधान के अनुच्छेद २६१ का उद्धरण न देते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपीनियन में स्वयं कहा है कि यह किसी पर बाइंडिंग नहीं है और दूसरी बात यह है कि वह कोई

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जूडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हैं जिससे कि वह पब्लिक ऐक्ट्स के अधीन आ सकें। सुप्रीमकोर्ट न्यायालय की हैसियत से नहीं बैठा था। यदि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को बाइंडिंग माना जाता, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें बहुत से ऐसे प्रश्नों पर जिन पर सुप्रीमकोर्ट ने अपनी राय व्यक्त की है, उससे भी आगे जा कर, इस सदन के अधिकार तथा इसकी सत्ता को माना है। यदि ओपिनियन बाध्य होती तो इस प्रकार का उच्च न्यायालय से फैसला ही न होता। इसके अलावा सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रपति को केवल सलाह दी है, और प्रेसीडेंट उसको गौर कर के स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। अतः अनुच्छेद २६१ का उल्लेख करना गलत है, और वह इस पर लागू नहीं होता। नियम २६८ की बात माननीय काशीनाथ जी ने कही, उसमें यह बात सही थी, उपाध्यक्ष ने स्वयं कहा था कि कोई समय निर्धारित नहीं था, जब यह प्रश्न हम को दिया गया था। एक महीने के अन्दर रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसी नियम में यह भी कहा गया है कि सदन अगर न बैठा हो तो अध्यक्ष समय बढ़ा सकते हैं और आपने ऐसा किया भी। कमेटी का समय कल खत्म हो रहा था और उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव किया है कि समय बढ़ा दें। इसलिए मैं समझता हूं कि वह नियमित है और आप इजाजत दें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय, सवाल यह है कि जब समय कल समाप्त हो गया, तो अब आप उसके लिए समय कैसे मांग सकते हैं? इस प्रश्न के पक्ष में कोई दलील नहीं हो सकती। समय समाप्त होने से पहले ही यह प्रस्ताव आता तो ठीक था।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझ गया।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

माननीय भगवान सहाय ने जो एतराज उठाया है, उसका जवाब तो श्री शर्मा के केस में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

प्रक्रिया नियमावली के नियम २६८ की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया गया है, उस संबंध में माननीय काशीनाथ तथा भगवान सहाय से कहूंगा कि कानून यह है कि अगर कहीं यह लिखा हो कि अमुक तारीख तक एक प्रतिवेदन या अमुक बात हो जाय, अन्यथा इसके बाद नहीं हो सकती तब साधारणतः कानून के विद्वानों ने यह माना है कि उस हालत में समय नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जहां इस किस्म की बात कानून या नियमन में हो, वहां समय बढ़ाया जा सकता है, चाहे ऐसा प्रस्ताव समय गुजर जाने के बाद ही क्यों न आये।

आपने जो अनुच्छेद २६१ का उल्लेख किया, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप की बात मानली जाय तो एक जजमेंट हो जाय तो उस जजमेंट से प्रसूत और उससे उद्भूत जो परिस्थितियां होती हैं, उनको सुधारा नहीं जा सकेगा। इसीलिए यह बहस आप की बिलकुल गलत है। इसके अलावा हो सकता है कि प्रिविलेज कमेटी आपको इस बात पर विचार कर रही हो। आप ये बातें प्रिविलेज कमेटी के सामने रख सकते हैं। इस समय तो मैं इस प्रस्ताव को नियमित घोषित करता हूं।

प्रश्न यह है कि सभापति विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि विशेषाधिकार समिति द्वारा इस विषय में प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० अप्रैल, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६४ के रेफेरेंस संख्या १ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के संबंध में संकल्प † (क्रमागत)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, जो संकल्प आज चल रहा हैं उस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अतएव प्रत्येक वक्ता का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

पहले न्याय मंत्री जी अपना भाषण समाप्त कर लें। उन्होंने मुझसे कहा है कि वह १५ मिनट में समाप्त कर देंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, उद्धरण दी जाने वाली किताबें जो हिन्दी में हैं, उनके उद्धरण हिन्दी की किताबों से ही दिये जायें।

श्री अध्यक्ष--

अधिक उचित तो यह होगा कि अगर अंग्रेजी में जो उद्धरण दिया जाता है उसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया जाय।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, मैं माननीय न्याय मंत्री जी से एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। कल माननीय न्याय मंत्री जी ने जुडीशियरी के प्रति शतप्रतिशत आदर और सम्मान की बात कही। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब एक तरफ जुडीशियरी के प्रतिशत-प्रतिशत आदर और सम्मान की बातें माननीय न्याय मंत्री करते हैं तब वहां इस सदन के माननीय सदस्यों और इस सदन के प्रिविलेजों के प्रति भी कुछ प्रकाश अपने भाषण में डालें तो अच्छा होगा। इस सदन की महिमा, गरिमा और आदर अनादर के बारे में वे अपने कुछ विचार प्रकट कर दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन, क्या किसी को बांधा जा सकता है कि वह किस प्रकार भाषण करे ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मुल्ला जी के बारे में माननीय गुप्ता जी का ही बयान उन्होंने पढ़ लिया होता।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

अध्यक्ष महोदय, पहले अभी जो सवाल पूछा गया है, उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि शायद माननीय सदस्य उस समय मौजूद नहीं रहे होंगे जब मैंने इस सदन की शान में जो इसकी मेजेस्टी, ग्रेन्डयोर और जिम्मेदारी के बाबत मेजोरिटी जजमेंट में कहा गया था, पढ़ कर सुनाया था। अपनी-अपनी जगह पर चाहे जुडिशियरी हो और चाहे लेजिस्लेचर हो, सुप्रीम हैं और इन दोनों के अलग-अलग प्रिविलेज हैं, राइट्स हैं और जहां तक हो सका है हमारे कांस्टीट्यूशन में उनको डिफाइन किया गया है। तो इससे यह मतलब नहीं निकलता कि मैंने १०० प्रतिशत जुडिशियरी की तारीफ की। उनके राइट्स और उनकी पोजिशन को अपहोल्ड किया। कल भी मैंने यही कहा था कि ये तीनों अंग, चाहे वह एक्जीक्यूटिव हो, चाहे वह जुडिशियरी हो, चाहे वह लेजिस्लेचर हो, ये बहुत जरूरी अंग हैं। डेमोक्रेसी में जब यह तीनों एक साथ मिल कर काम करेंगे तभी हम अपनी जो डेमोक्रेसी बुनियादी चीजें हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। कभी भी जब क्लैश होगा तो उस क्लैश को किसी न किसी तरीके से हल करना पड़ेगा, किसी न किसी के फैसले पर

---

† ३१ मार्च, १९६५ की कार्यवाही से।

[श्री सैयद अली जहीर]

पाबन्द होना पड़ेगा और उसको सही मान कर फिर आगे कदम उठाना पड़ेगा और अगर यह फैसला फाइनल हो गया है तो भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। जिस अन्दाज में यह रेजोल्यूशन आया है उससे कुछ ऐसा लगता है कि हम खाली सुप्रीमकोर्ट के फैसले के ऊपर एतराज कर रहे हैं और उस एतराज करने के बाद कुछ खास बात ऐसी नहीं कह रहे हैं कि जिससे यह मालूम हो कि हम अगला कदम क्या उठा सकते हैं और क्या उठाने जा रहे हैं। जहां तक हमारे राइट्स एंड प्रिविलेजेज का ताल्लुक है, हर शख्स ने हवाला दिया है। आर्टिकिल १९४ (३) में जो पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज हमारी हैं वे ही हाउस आफ कामन्स की हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि उनके क्या प्रिविलेजेज, पावर्स और इम्युनिटीज हैं और उनको किस हद तक हम अपने मुल्क में लागू कर सकते हैं और हम बहस कर सकते हैं कि ये प्रिविलेजेज कायम रहने चाहियें। अगर यह हम महसूस करें कि वहां के जो राइट्स हैं, वहां के जो प्रिविलेजेज हैं वे हमें नहीं मिले हैं तो हमें क्या करना है, यह हमें सोचना पड़ेगा।

एक मर्तबा मैं फिर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, जो एक अथौरिटेटिव किताब है, उसके एक पैसेज को पढ़ देना चाहता हूं। वहां पर जो इस किस्म का विषय रहा है वह उन्होंने किस तौर से हल किया है, कल भी मैंने उसका हवाला दिया था। वह इस प्रकार है:—

"The House of Commons claims that its admitted right to adjudicate on breaches of privilege implies in theory the right to determine the existence and extent of the privileges themselves. It has never expressly abandoned its claim to treat as a breach of privilege the institution of proceedings for the purpose of bringing its privileges into discussion or decision before any court or tribunal elsewhere than in Parliament. In other words, it claims to be the absolute and exclusive judge of its own privileges, and that its judgments are not examinable by any other court or subject to appeal."

तो आप देखेंगे कि बिलकुल उसी तरह से उनके क्लेम हैं जैसे हमारे क्लेम। इस पुस्तक में आगे दिया हुआ है कि:—

"On the other hand, the Courts regard the privileges of Parliament as part of the law of the land, of which they are bound to take judicial notice. They consider it their duty to decide any question of privilege arising directly or indirectly in a case which falls within their jurisdiction, and to decide it according to their own interpretation of the law."

अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इम्मेटीरियल है। आगे लिखा है:—

"The decisions of the courts are not accepted as binding by the House in matters of privilege, not the decisions of the House by the courts. Thus the old dualism remains unresolved. In theory there may be at any given moment two doctrines of privilege, the one held by the courts, the other by either House, the one to be found in the Law Reports, the other in Hansard ; and there is no way of resolving the real point at issue should the conflict arise."

वहां अब भी यह सिचुएशन है। यह १९६४ का एडीशन है। उसमें यह कहते हैं कि इसको हल करने का कोई तरीका नहीं निकल पाया है। आखिर में इसमें लिखा है:

"If such a conflict should arise, however, the House has its remedy in recourse to legislation, just as it solved the dispute with the courts over the protection of papers published by its orders by means of the Parliamentary Papers Act."

कोर्ट्स ने अपने राइट्स कंसीड नहीं किये और पार्लियामेंट ने अपने राइट्स कंसीड नहीं किये, लेकिन एक रास्ता (वाया मीडिया) निकल आया कि इस तरह से एडजस्टमेंट हो जायगा।

"Since the House of Commons has not for a hundred years refused to submit its privileges to the decision of the courts, it may be said to have given practical recognition to the jurisdiction of the courts over the existence and extent of its privileges. On the other hand, the courts have always, at any rate in the last resort, refused to interfere in the application by the House of any of its recognized privileges."

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर में उन लोगों ने इस तरह से अपने को एडजस्ट किया है। इसके लिये यह कहना कि उन्होंने यह गलत इंटरप्रिटेशन किया है, उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह पढ़ा है कि—

"Other hand, the court have always, at any rate in the last resort, refused to interfere in the application by the House of any of its recognized privileges."

तात्पर्य यह है कि अगर प्रिविलेज के सम्बन्ध में हाउस कोई एक्शन ले तो कोर्टस् उसमें इंटरफियरेंस नहीं करती हैं इन दी लास्ट रिसोर्ट।

श्री सैयद अली जहीर—

हाउस आफ कामन्स ने १०० वर्ष तक यह नहीं किया। कोर्टस् ने उनके जूरिसडिक्शन को माना है। जो आखिरी फैसला किया है उसमें यह कहा कि हम प्रिविलेज में इंटरफियर नहीं करेंगे "In the last resort" के मानी हैं जब आखिरी फैसला देंगे, Interim नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आखिरी फैसला यही किया है, यानी मौजूदा सूरत यही है, कि न्यायालय आपके प्रिविलेज में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मिसाल यह दी जाती है कि जिस तरह से किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, मसलन सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ तो उसकी कोई अपील नहीं है। इसी तरह लेजिस्लचर पर भी होना चाहिये। मुझे यह अर्ज करना है कि कंटेम्प्ट आफ दि कोर्ट और हाऊस के प्रिविलेजेज, पावर्स और इम्युनिटीज के बारे में थोड़ा सा फर्क यह है कि कंटेम्ट आफ दी कोर्ट के लिये तो कानून है जैसे—इंडियन पैनल कोड, कोर्ट कंटेम्प्ट ऐक्ट और उनमें दिया हुआ है कंटेम्प्ट के सम्बन्ध में और इनके मातहत कंटेम्प्ट आफ दी कोर्ट के मामले गवर्न होते हैं। अगर हमारे यहां भी प्रिविलेजेज के लिये कोई कानून बना दें या कोई बात तय कर दें जिसमें प्रिविलेजेज डिफाइन हो जायं कि ये प्रिविलेजेज हैं इनमें कोर्ट इंटरफियर करेगी और इनमें कोई इंटरफियर नहीं करेगी, तो वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे यहां तो प्रिविलेजेज के लिये यह कहा गया है कि इंगलैंड में जो प्रिविलेजेज हाउस आफ कामन्स में थे, वही जो उस तारीख पर थे जिस तारीख पर यह कांस्टीट्यूशन इन्फोर्स हुआ, वही हमारे यहां लागू होंगे, उसके बाद कोई प्रिविलेजेज वहां दिये गये हैं तो हमको कोई वास्ता नहीं होगा। इसलिये यहां पर जरूरत पड़ जाती है इस बात को दरियाफ्त करने के लिये कि लेजिस्लेचर के कौन से प्रिविलेज हैं। कांस्टीट्यूशन ने कहा है कि हाउस आफ कांमस के जो प्रिविलेज हैं वही आपके हैं। इसके लिये जरूरत पड़ती है कि कोर्ट में जाय तो हम एक्सप्लेन करें कि हमारे प्रिविलेजेज क्या हैं। अगर कोर्ट उसको रिकनाइज करती है....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अगर इनऐक्टमेंट बन जायगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी ? (व्यवधान)

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि खुद हमारे कांस्टीटयूशन ने अपनी दफा १९४ (३) में कहा है कि लेजिस्लेचर खुद अपने प्रिविलेजेज को अपने कानून से डिफाइन करेगा और जब तक लेजिस्लेचर उनको डिफाइन नहीं करेगा तब तक उसके प्रिविलेजेज वहीं होंगे जो हाउस आफ कामन्स के हैं। वही प्रिविलेजेज हमारे यहां भी एप्लाई करेंगे। इससे ज्यादा और कुछ कांस्टीटयूशन में नहीं कहा गया है। इसलिये यह कहना कि हम अपने प्रिविलेजेज को डिफाइन नहीं करेंगे और अगर हम उनको डिफाइन करेंगे तो हमारे ऊपर पाबन्दी आयद हो जायगी, मेरा खयाल यह है कि यह कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जिसका हल न निकल सके। आप कानून बना दें और कह दें कि इसमें कोर्ट का कोई जूरिस्डिक्शन नहीं है। हमारे एब्सोल्यूट राइट्स हैं और हमारा फैसला बाइंडिंग है। इसके बाद कोई सवाल नहीं होता है। इसी तरह से और भी दूसरी रिमेडी निकल सकती है। जब कानून बनायंगे तो जरूर निकलेगी।

जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है उसके ऊपर बार-बार यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की कोई अपील नहीं है उसी तरह से हमारे लिये भी यही चीज लागू होनी चाहिये और हमारे फैसले की कोई अपील नहीं होनी चाहिये, सही नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि आपको यह चीज समझ लेनी चाहिये कि कंटेम्प्ट ला में सजा डिफाइन्ड है और जिस तरह से डिफाइन्ड है उसी तरह से उसकी सजा दी जायगी। अगर अपीलेबिल आर्डर है तो अपील होगी और अगर अपीलेबिल आर्डर नहीं है तो अपील नहीं होगी।

श्री बृजभूषणशरण—

क्या मंत्री जी बतायंगे कि कंटेम्प्ट आफ कोर्ट कहां डिफाइन्ड है ?

श्री सैयद अली जहीर—

कंटेम्प्ट आफ कोर्ट ऐक्ट में लिखा है कि किस तरह से पनिशमेंट होगी और कहां तक पनिशमेंट दी जा सकती है। बहरहाल, वह चीज अलग है। आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्यों ने बहुत जोर के साथ यह कहा है कि सुप्रीमकोर्ट का जो जजमेंट है वह एक नहीं बल्कि दो हैं। जहां तक मैंने बाज बाज तकरीरों को सुना मुझे मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा जोर इस बात पर है कि जस्टिस सरकार का जजमेंट ज्यादा सही है और ठीक है। मैं इसको तस्लीम करने के लिये तैयार हूं। (व्यवधान) आप ओपीनियन कहें, मैं जजमेंट कहूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कल जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अगर ये हल्ला करेंगे तो हम ज्यादा हल्ला करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आपकी आदत है, आप कृपया बैठें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष जी, सीनियर लोग ही ये सब बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह जी, आप कृपया बैठें।

श्री सैयद अली जहीर—

अब आप अध्यक्ष महोदय, जब इस जजमेंट को देखेंगे तो मेरे नजदीक जस्टिस सरकार का जो जजमेंट है, और जो उनकी एडवाईस है, जजमट कहने से आप नाराज होते हैं, मैं तो इसे जजमेंट सिर्फ इस माने में नहीं कहता कि वह दो पार्टियों के डिस्प्यूट को तय करने का उसे कोई अधिकार नहीं था और वह फरीक के ऊपर कोई बाईंडिंग नहीं है। उन्होंने केवल अपनी ओपीनियन दी है, जो रेफरेन्स सुप्रीम कोर्ट को प्रेसीडेन्ट ने उनकी ओपीनियन जानने के लिये भेजा था। किन्तु उन्होंने जो ओपीनियन दी है वह बहैसियत जज सुप्रीमकोर्ट दी है, वह अपनी जगह अटल हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिये वह जजमेंट कहना ही ठीक होगा।

इसलिये मैं कहता हूं कि जो बुनियादी बात है, उस पर आप गौर करें, हमको जस्टिस सरकार का जजमेंट क्यों अपील करता है, जहां तक ६ जजेज का ताल्लुक है, उन्होंने इस मामले को बिलकुल एक जूडीशियल ऐंगिल से देखा है और इसी ऐंगिल से फैसला दिया है, किन्तु हममें से कोई ऐसा है जो इसे प्योरली जूडीशियल ऐंगिल से देखता हो, हम मजबूर होते हैं, इसे पोलीटिकल ऐंगिल से भी देखने के लिये. . . . .

श्री ऊदल—

यही जुडीशियल ऐंगिल से उन्होंने देखा और हम पोलिटिकल ऐंगिल से देखते हैं कि बिना किसी ओपीनियन पर पहुंचे हुये उन जजों ने बम्बई कलकत्ता की बड़ी-बड़ी सभाओं में खुले रूप से अपने पक्ष में भाषण दे दिये।

श्री अध्यक्ष—

यह अपना-अपना खयाल है, कहने दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, कोई खयालों को रखने तो दे।

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमको और आपको इसलिये यह ज्यादा पसन्द है कि जस्टिस सरकार ने भी थोड़ा सा पोलिटिकल ऐंगिल से तजवीज लिखी है। जो ४ बेसिक क्वेश्चन्स हैं उन पर उन्होंने बिलकुल एक राय दी है, जो मेजारिटी की राय है। केवल पांचवे क्वेश्चन पर जो इन शब्दों में था—

"Whether a Judge of a High Court who entertains or deals with a petition challenging any order or decision of a Legislature imposing any penalty on the petitioner or issuing any process against the petitioner for its contempt or for infringement of its privileges and immunities or who passes any order on such petition commits contempt of the said Legislature and whether the said Legislature is competent to take proceedings against such a judge in the exercise and enforcement of its powers, privileges and immunities."

उन्होंने कहा है कि—

"This is too general a question and is not capable of a single answers; the answers would vary as the circumstances vary, and it is not possible to imagine all the sets of circumstances. Nor do I think we are called upon to do so. As learned advocates for the parties said, this question has to be answered on the facts of this case. On those facts, the question has to be answered in the negative."

[श्री सैयद अली जहीर]

मगर इसके बाद बावजूद उसके कहना कि बाद इसके जो बात उन्होंने कही है । इंगलैन्ड में जिस तरह से दिया हुआ है उसका हवाला दिया है उसे पेज ६७ के बाटम पर पढ़ें---

"I am not sure that I have set out all the arguments on this question but what I have said will give a fair idea of the competing contentions. For the purpose of this case, I do not think it necessary to go into the merits of those contentions. The questions that arise on the facts of the reference can, in my view, be answered without pronouncing on the question of immunity of Judges. It is often much better that theoritical disputes should be allowed to lie buried in learned tracts and not be permitted to spoil our daily lives. It would not require much strain to avoid in practice circumstances which give rise to those disputes. In England they have done so and there is no reason why in our country also that would not happen. I stronlgy feel that it would serve the interest of our country much better not to answer this question especially as it has really not arisen. I do hope that it will never arise."

अगर इजाजत हो तो यहां से पढ़ दूं :—

"Before I conclude, I must say that I feel extremely unhappy that the circumstances should have taken the turn that they did and that the reference to this Court by the President should have been rendered necessary. With a little more fact, restraint and consideration for others, the situation that has arisen could have been avoided. I feel no doubt that Beg and Sehgal, JJ., would have dismissed the petition of March 19, 1964, after they had possession of the full facts. I regret that instead of showing that restraint which the occasion called for, particularly as the order of imprisonment challenged was expressly stated to have been passed by a body of the stature of the Assembly for contempt shown to it, a precipitate action was taken. No doubt there was not much time for waiting, but Keshav Singh could not force the hands of the Court by coming at the last moment. The result of the order of the Hon'ble Judges was to interfere with a perfectly legitimate action of the Assembly in a case where interference was not justifiable and was certainly avoidable. On the other hand, the Assembly could have also avoided the crisis by practising restraint and not starting proceedings against the Judges atonce. It might have kept in mind that the Judges had difficult duties to perform, that often they had to act on imperfect materials, and errors were, therefore, possible. It could have realized that when it placed the facts before the Judges, its point of view would have been appreciated and appropriate orders made to undo what had been done in the absence of full materials. Such an action of the Assembly would have enhanced its stature and prestige and helped a harmonious working of the different organs of the State."

श्री अध्यक्ष—

तो आप इन दोनों से सहमत हैं जो उन्होंने लिखा है—

"The result of the order of the Hon'ble Judges was to interfere with a perfectly legitimate action of the Assembly in a case where interference was not justifiable and was certainly avoidable."

"On the other hand, the Assembly could have also avoided the crisis by practising restraint and not starting proceedings against the Judges at once."

श्री सैयद अली जहीर—

बिलकुल, बल्कि अगर आपको याद होगा तो उस दिन भी मैंने कहा था कि आज आप सैटरडे को डिसकस कर रहे हैं, आप मडे तक ठहर जायें और शायद वह अपना आर्डर वैकेट ही कर दें। इसके बाद वह हुआ और वही जो चीज मैंने कही थी वही उन्होंने दोहराई है। आखिर में उन्होंने कहा—

"I wish to add that I am not one of those who feel that a Legislative Assembly cannot be trusted with an absolute power of committing for contempt. The Legislature have by the Constitution been expressly entrusted with much more important things. During the fourteen years that the constitution has been in operation, the Legislatures have not done anything to justify the view that they do not deserve to be trusted with power. I would point out that though Article 211 is not enforceable, the Legislatures have shown an admirable spirit of restraint and have not even once in all these years discussed the conduct of Judges. We must not lose faith in our people, we must not think that the Legislatures would misuse the powers given to them by the Constitution or that safety lay only in judicial correction. Such correction may produce friction and cause more harm than good. In a modern State it is often necessary for the good of the country that parallel powers should exist in different authorities. It is not inevitable that such powers will clash. It would be defeatism to take the view that in our country men would not be available to work these powers smoothly and in the best interests of the people and without producing friction."

तो उन्होंने कहा कि उन जजेज का ऐक्शन भी हेस्टी था और आपका ऐक्शन भी हेस्टी था। वही मैंने भी उस वक्त कहा था कि आप ठहर जाइये।

तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इस फैसले के बाद भी जो इन सब बातों का नतीजा निलकता है वह यही है कि अगर हम इस बात की जिद करते रहेंगे कि जो हमने कही वही ठीक है और उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता तो सही न होगा। हमारा पोलिटिकल ऐप्रोच जस्ट होना चाहिये और हमें कोर्ट और लेजिस्लेचर दोनों पर कान्फीडेन्स होना चाहिये। तो मैं आखिर में यह अपील करूंगा कि बहरहाल यह रिज्योलूशन आया है। एक कमेटी आपने अप्वाइन्ट की थी, उसने अपनी ओपिनियन दी जिस पर डिसकशन हो गया। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि हर शख्स को आपने आजादी के स थ अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया। यह बात यहां पर खत्म हो जानी चाहिये। कोई रेज्योलूशन इस तरह का अगर पास हो जाता है तो शायद वह मुनासिब न समझा जाय, जैसा कि जस्टिस सरकार ने भी कहा है, इसके पास होने से शायद कुछ और दिक्कत बढ़ जाय। आपने कोर्ट के र ैये को देख लिया है। इसी केशवसिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देने के बाद भी उस फैसले में यह कहा है कि हमारे हाउस के ये अबसोल्यूट प्रिविलेजेज हैं। ओरिजिनल केस में भी बेंच ने यही होल्ड किया। जब सन् १९५४ में भी बेंच ने यही फैसला दिया कि यह मामला बिलकुल आपके प्रिविलेज का है और इसमें हम दखल नहीं देंगे तो सिवाय उस २१ मार्च के और किसी मौके पर आपकी तरफ से भी इस तरह की बात नहीं हुई है जिसकी वजह से कहा जाय कि आपने अपनी पावर को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया और कोर्ट की तरफ से भी यह नहीं हुआ है और इसी केस में यह होल्ड नहीं किया कि आपके जो प्रिविलेजेज हैं उनमें हम दखल दे सकते हैं। यह एक सिचुएशन रफ्ता-रफ्ता पैदा हो रही है और ये चीजें इसी तरह परमानेन्ट बनेंगी। हम ऐसी बात न करें कि जबरदस्ती हार मानने की बात हमारे लिये पैदा हो और हम यह भी कोशिश न करें कि जबरदस्ती किसी को अपनी जीत मनवाने की बात करें। क्योंकि दोनों बाडी अपनी जगह पर जरूरी

[श्री सैयद अली जहीर]

हैं और दोनों के पावर और प्रिविलेजेज अपनी जगह पर हैं और आइन्दा रहें। मैं यह उम्मीद करता हूं कि तभी हमारी डेमोक्रेसी इस मुल्क में तरक्की कर सकती है और कायम हो सकती है।

(श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, आप टाइम फिक्स कर दीजिये। बोलने वाले बहुत हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह जरूर है कि इस समय रिपीटिशन नहीं होना चाहिये। अगर वही बातें, जो कही जा चुकी हैं, फिर कहीं जायेंगी तो घंटों लग जायेंगे। किसी को ४० मिनट से ज्यादा नहीं बोलना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। अभी न्याय मंत्री के भाषण के बाद एक बड़ा मौलिक प्रश्न उपस्थित हो गया है कि यह मामला कैसे ठीक किया जाय। न्याय मंत्री जी ने जिस रोशनी में अपना भाषण दिया उसमें यह जरूरी मालूम होता है कि यहां पर ऐडवोकेट जनरल, श्री कन्हैया लाल मिश्र, को भी बुला लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसकी बहस पर दो दिनका समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न अब नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय नेकराम शर्मा पर कोई बन्धन न किया जाय और उनके भाषण के बाद जो भी बोलें उनके लिये यदि आप ठीक समझें तो जो चाहें बन्धन लगा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

अगर आप बन्धन लगायेंगे तो बहस का दौरान और समय और बढ़ेगा और इसे आप मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कह दिया है कि रिपीटीशन नहीं होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

सदन में जो संकल्प प्रस्तुत है मैं उसका हृदय से और जोर के साथ समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह संकल्प है या रेजोल्यूशन है ?

श्री नेकराम शर्मा—

इसके पहले कि मैं न्याय मंत्री जी की बात का उत्तर दूं, मैं इस भारवतर्ष के सर्वश्रेष्ठ वकील श्री सीरवाई साहब को बधाई देता हू और श्रीमन्, यह बधाई इसलिये देता हूं कि जिस समय हमारा यह मामला उठा, प्रदेश के ही नहीं वरन् हिन्दुस्तान के सभी वकीलों ने इस लेजिस्लेचर के केस को लेना स्वीकार नहीं किया। जज भी सीरवाई साहब के पास गये तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि "मैं तुम्हारे केस से सहमत नहीं हूं। मैं लूंगा तो लेजिस्लेचर का केस लूंगा"। साथ ही मुझे दुख है कि हमारे एडवोकेट जनरल श्री कन्हैयालाल मिश्र ने हमारी विधान सभा का साथ नहीं दिया। श्रीमन्, जब सीरवाई साहब के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्गूमेन्ट्स हुये तो वहां पर जितने वकील मौजूद थे, एडवोकेट जनरल्स मौजूद थे—शीतलवाद साहब, निम्वीयर, चौधरी हैदर हुसैन साहब आदि—सभी की एक राय थी कि "इंडिया शुड बी प्राउड टु हैव ए मैन लाइक मिस्टर सीरवाई"। आज हिन्दुस्तान को अभिमान और गर्व होना चाहिये कि सीरवाई ऐसा वकील हिन्दुस्तान में मौजूद है। श्रीमन्, इस बधाई के साथ मैं चाहता हूं कि आप मेरी और सदन की भावनायें सीरवाई साहब के पास पहुंचा दें।

अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय परम्परा रही है कि जब माननीय सदस्य बोल लेते हैं तो उसके बाद जब दूसरा माननीय सदस्य बोलता है, उस समय वे मौजूद रहते हैं, उन्हें मौजूद रहना चाहिये। लेकिन श्री अली जहीर साहब, अपना भाषण करने के पश्चात मुझे अफसोस है, यहां से चले गये। यह दुख की बात है। माननीय अली जहीर साहब ने जो कुछ बातें अपने भाषण में कहीं उनमें पहली बात यह थी कि दोनों ओपीनियन्स हैं और दोनों ओपीनियन्स सही हो सकती हैं, इस बात को उन्होंने आज इस सदन में स्वीकार किया। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मैजारिटी ओपीनियन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी उसका स्वागत विदेशों में हुआ। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इंग्लैन्ड में भी यह मामला तय नहीं हो पाया। चौथी बात यह कही कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशियरी इज सुप्रीम (Judiciary is supreme)। पांचवी बात यह कही कि कोडिफिकेशन हो जाना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन का सवाल है, आज उन्होंने सदन में यह स्वीकार किया कि सही राय जस्टिस सरकार की है। दूसरी बात, मैंने कल उनसे सदन में पूछा था कि विदेश में किस कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट ने या लेखक ने सुप्रीम कोर्ट की राय की तारीफ की? उन्होंने ने न कल बतलाया और न आज, लेकिन मेरी सूचना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियरी की इमेज को विदेश में डैमेज किया है और श्रीमन्, इंगलैन्ड में यह कहा कि उनको अधिकार था, यानी सुप्रीम कोर्ट को कि हमको कोट कर सकते थे। लेकिन हमारे कानून को इन्टरप्रिटेशन करने का सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं था। यह जो इमेज सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में दी, यह एक दुख की ही बात नही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिये भी शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—

इंटरप्रिटेशन करने का नहीं, मिस इंटरप्रिटेशन करने का।

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां, जो मिस इन्टरप्रिटेशन किया गया, जो इंगलैंड के कानून को डिफाइन करने की कोशिश की गयी, यह उन के लिये शोभा की बात नहीं थी। विदेश में भी सुप्रीम कोर्ट की मजाक उड़ी है।

श्रीमन्, जहां तक फंडामेन्टल राइट्स का सवाल है, मै माननीय अली जहीर साहब से पूछना चाहता हूं और यह सही भी है कि सिटीजन्स के भी फंडामेन्टल राइट्स हैं, इस हाउस के भी फंडामेन्टल राइट्स हैं, मिलिटरी के भी फंडामेन्टल राइट्स है और जुडिशियरी के भी फंडामेन्टल राइट्स है। श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन जो हमने बनाया और कांस्टीट्यूशन बनाने वाले जो एमीनेन्ट

[श्री नेकराम शर्मा]

लाइयर्स और नेता थे, बड़े बड़े जूरिस्ट थे, उनको भी राय थी कि सिटिजंस को फंडामेन्टल राइट्स दे रहे हैं तो हमको सदन को, लेजिस्लेचर्स को भी फंडामेंटल राइट्स देने चाहिये। वे अधिकार जाने जाते हैं लैक्स पार्लियामेंटाई के नामसे व्हिच इज नाट नोन टु मिस्टर अली जहीर, व्हिच इज नाट नोन टु सुप्रीम कोर्ट जजेज, व्हिच इज नाट नोन टु दि ऐडवोकेट्स (which is not known to Mr. Ali Zaheer which is not known to Supreme Court Judges, which is not known to advocates) जिन्होंने जुडीशियरी से मिलकर ट्रेड यूनियनिज्म का कार्य किया। अगर उनको मालूम होती.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी कह रहे हैं कि शान्ति से बोलिये। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भाषा में कोई ऐसी बात न हो जिसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय की न्याय-मूर्त्तियों के संबंध में कोई अशिष्ट बात हो या कोई अनादर-सूचक वाक्य हो। किसी चीज की आलोचना करना आपके अधिकार में है, लेकिन उसको एक स्तर पर होना चाहिये ताकि दूसरे का अनादर न हो। मेरा मतलब यह नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं। केवल इसका ध्यान रखा जाय।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, अंग्रेजी में भाषण मत कराइये। कोई उद्धरण करें, लेकिन अंग्रेजी में भाषण न करें, इसकी मर्यादा तो आपको रखनी चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

बहुत सी बातें अंग्रेजी में पढ़नी हैं और कहनी हैं। इसलिये इस विवाद में अंग्रेजी की कंट्रोवर्सी को आप बाहर रख दें।

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी के प्रति श्रद्धा आपमें मुझ से ज्यादा नहीं है, उग्रसेन जी।

श्री उग्रसेन—

इसकी मर्यादा आप रखेंगे, जे० पी० मिश्र नहीं रखेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र—

यह अड़चन डालने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी....

श्री उग्रसेन—

भों भों से मैं डरने वाला नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जब इजाजत नहीं होती है तो आप बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जुडीशियरी की स्वाधीनता को प्रतिपादित करने में और उनके आदर में मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत और मान करता

चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि जब अली जहीर साहब ने कहा कि पोलिटिकल ऐंगिल से इस विषय को न देखें, लेकिन अगर हम पोलोटिकल ऐंगिल से देखते तो आज हाउस में जगह-जगह प्रस्ताव आये हुये होते, भारत के सभी प्रदेशों में। अगर पोलिटिकस ऐंगिल से देखते तो हम अपने रेजोल्यूशन को अमेंड करते और उनको मौका न देते एक्सप्लेनेशन का। हमने जितनी इज्जत, जितना संतोष किया, लेकिन जजेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस स्टेट में ऐनार्की क्रिएट करने की, सुप्रीम कोर्ट तथा इलाहाबाद के जजों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी स्टेट में ऐनार्की पैदा कराने की। श्रीमन् विधान सभा ने काफी जब्त किया। यदि २८ जजों के इंजेक्शन्स को न लेते और जजों को अच्छा सबक सिखा सकते थे लेकिन हमने, इस सदन में ऐसा नहीं किया। उनके ट्रेड यूनियनिज्म को भी सह लिया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

यह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हो रहा है?

श्री अध्यक्ष---

जो वह कह रहे हैं, इसलिये कह रहे हैं कि कौन-सी शिष्टता थी कि २८ जजेज बैठें जब हमने अपना रेजोल्यूशन इस किस्म का लिया?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

माननीय सुप्रीम कोर्ट की शान के खिलाफ है यह, इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा---

मैं पोलिटिकल ऐंगिल वाली बात का जवाब दे रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि हमने इस सारे विवाद को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि हमने सारे मामले में जब्त किया। यहां जुडीशियल सुप्रीमेसी की बात कही गयी तो न्यायपालिका को यह नहीं भूलना चाहिये कि जहां सिटीजन्स के फंडामेन्टल राइट्स हैं वहां इस सदन के भी हैं, आर्मी के भी हैं और हम मानते हैं कि जुडीशियरी के भी हैं। न हम नागरिकों के अधिकारों का और न जुडिशियरी के अधिकारों का अपहरण करना चाहते हैं और न हम यह चाहते हैं कि वे लेजिस्लेचर के स्मूथ फंक्शन्स में दखल दें। लेजिस्लेचरों के जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप न करें।

मैं जुडीशियरी से पूछना चाहता हूं कि जो फौज के अधिकार हैं उनमें कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है? मिलीटरी में जो नौकरी करता है, उसके भी सिटीजन-राइट्स होते हैं। वहां अगर किसी को कोर्ट मार्शल में सजा हो जाती है तो क्या उस फौजी अफसर को न्यायालय में जाने का अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय न्याय मंत्री जी से कि वे इसका जवाब दें। कन्टेम्प्ट के केस में जब सुप्रीम कोर्ट सजा करता है तो सिटीजन के राइट्स कहां चले जाते हैं? उसकी, मान्यवर, कहीं अपील भी नहीं होती। मैं दो उदाहरण भी इसके रखना चाहता हूं। नागरपुर में ४० साल की स्टैंडिग के एक लाइयर ने, हाईकोर्ट में जब बहस हो रही थी तो जजों ने यह कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। इतनी बात सुनते ही क्लाइन्ट ने सोचा कि शायद जजमेंट मेरे खिलाफ हो जाय, उसने ट्रान्सफर की एप्लीकेशन अपने वकील से दिला दी। वह उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार नहीं की। कहा कि तुमने जजेज की नीयत पर हमला किया है। वहीं माफी मांगो। उसने हाई कोर्ट के जजों से माफी भी मांगी, मगर उन्होंने माफ नहीं किया। फिर वह सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के कर्त्तव्य समझायें, वह फिर हाई कोर्ट में गया, मगर उन्होंने उसकी एपोलोजी

[श्री नेकराम शर्मा]

को स्वीकार नहीं किया। दूसरा केस एक ट्रान्सपोर्ट के बिजनेसमैन का हुआ। उसने एक पर्चा बांटा जिसमें यह कह दिया कि जज ऐसा जजमेंट देते हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वे राजदूत बनने, V. C. बनने, तथा मंत्री आदि बनने की इच्छा रखते हैं। उस पर भी कन्टेम्प्ट का केस चला और १४ दिन की सजा हो गयी। वह सुप्रीम कोर्ट में गया, तय हुआ कि कोई कंटेम्पट नहीं हुआ लेकिन उसे १४ दिन की सजा तो काटनी पड़ी। हमने तो केशवसिंह जी से कहा खेद प्रकट कर दो और जाओ। सजा के बाद भी। तो श्रीमन्, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने कन्टेम्प्ट के लिये किसी को सजा दें, उसकी अपनी मान-हानि हो, उनको सजा देने का ऐसे मामलों में अधिकार रहे, किन्तु जब लेजिस्लेचर किसी को अपने कन्टेम्प्ट के मामले में सजा दे और ऐसे व्यक्ति को सजा दे जिसने सदन के सामने माननीय अध्यक्ष का अवमान किया हो, सदन का अवमान किया हो तो उसके लिये यह कहा जाय कि वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की कन्टेम्प्ट के लिये कोई इलाज नहीं, जरा सोचने समझने की बात है। माननीय गजेन्द्रगदकर ने ही कहा था कि लेजिस्लेचर और जुडिशियरी को हारमोनियस रिलेशन के साथ काम करना है। सही है। अपनी-अपनी परिधि में दोनों संस्थायें अपना अपना कार्य करें तो, श्रीमन्, अपने कन्टेम्प्ट के लिये तो उच्च न्यायालय को इतना सेन्टीमेंट था, लेकिन लेजिस्लेचर के अपराधी के लिये उनके दूसरे विचार हैं। (व्यवधान) श्रीमन्, लेकिन कोर्ट के अवमान की रैमेडी नहीं, विधान सभा के कन्टेम्प्ट के मामले में जजों का पूरा अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का।

श्रीमन्, जो फंडामेन्टल राइट्स एक सिटीजन के हैं वे माननीय सदस्यों के भी हैं। जनता के प्रतिनिधि हम बाद को हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सिटीजन को हम पनिश करेंगे तो वह कोर्ट में जा सकता है, लेकिन मेम्बर के लिये कोई रेमिडी नहीं है, वह नहीं जा सकता। मान्यवर, सदन के सदस्य के लिये जो अधिकार हैं वे जाने जाते हैं लेक्स पार्लियामेन्टाई के नाम से। लेक्स पार्लियामेन्टाई वह ला है जो आज के बहुत से वकील और जनता नहीं जानती है। लेक्स पार्लियामेन्टाई वह ला है—

"Lex Parliamenti is a Law, but not a Law, Lex Parliamenti is administered by Court, which is not a Court."

"It is something unique, something special."

वास्तव में यह ला ऐसा ही है जिसे समझने के लिये अध्ययन चाहिये। यह यूनीक है, स्पेशल है, ला है, ला नहीं है वह कोर्ट ऐडमिनिस्टर करती है, जो कोर्ट नहीं है। यह तो फन्डा-मेन्टल राइट्स हैं उनको लेक्स पार्लियामेन्टाई के नाम से हम संबोधन करते हैं। श्रीमन्, आपको पता होगा। दिल्ली में हमारी कान्स्टीट्युएन्ट असेम्बली बैठी। सारे विश्व के कान्स्टीट्-यूशन्स का उसने अध्ययन किया और सब समझ कर हमने ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया और उन्हीं के जो प्रिविलेज, पावर और इम्यूनिटीज थे स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अमेरिकन पैटर्न को नहीं, यूनाइटेड किंगडम का जो पोलिटिकल पैटर्न था हमने उसको अपनाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अमेरिकन कान्सटीट्यूशन को मान कर मत अपना प्रकट करते। श्रीमन्, अमेरिका में चुनाव होता है प्रेसीडेन्ट का सीधे तरीके से जनता द्वारा। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेज को वहां के प्रेसीडन्ट ने रेडियो पर अनाउन्स किया। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि यहां भी अमेरिकन सिस्टम को अपनाया जाय और भारत का राष्ट्रपति रेडियो पर जजों को डिनाउन्स करे? श्रीमन्, डाक्टर अम्बेडकर, श्री नेहरू जी, श्री पंतजी, रफी साहब, श्री अय्यर, और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद श्री मन् ज ं ऐसे लोग संविधान बनाये बैठे हों, वे किसी सुप्रीम कोर्ट के जजेज से कम विद्वान नहीं। उन्होंने निर्णय किया कि जो प्रिविलेज हाउस आफ कामन्स के हैं, हमारे यहां भी वही अपनी लेजिस्लेचर्स के होंगे। यह जो डुयलिज्म की बात कही है वह डुयलिज्म को हमने नहीं लिया। उसको खत्म कर दिया। १९४ (३) में हम ड्युलिज्म को नहीं लाये हैं। जो हाउस आफ कामन्स के पावर्स, प्रिवि-

लेजेज एन्ड इम्युनीटीज थे २६ जनवरी, १९५० को, उससे पहिले के और न उसके बाद के। २६ जनवरी, १९५० में जो प्रिविलेजेज पावर्स एन्ड इम्युनीटीज हाउस आफ कामन्स को थे, हमने उतने ही इम्पोर्ट किये है। हमने २६ जनवरी, १९५० में जो पावर्स थे उन्ही को इम्पोर्ट इसलिये किया कि आज हाउस आफ कामन्स यह डिसाइड कर ले कि हमारे फलां प्रिविलेजेज नहीं है, वह किसी प्रिविलेज को छोड़ दें या बढ़ा दें, लेकिन हमारे वही प्रिवलेज रहेंगे जो २६ जनवरी, १९५० को थे वही प्रिविलेजेज ही हमने एडाप्ट किये हैं। उनसे न ज्यादा न कम। इसलिये १९४ (३) में हमने यह कह दिया कि "ऐट दि कमेन्समेन्ट आफ दि कान्स्टीट्यूशन" जो हाउस आफ कामन्स के प्रविलेजेज, पावर्स और इम्म्यूनिटीज थीं, हमारे हैं। आपने इगंलैंड का कान्स्टीट्यूशन पढ़ा होगा। वहां परम्परा है कि आज भी राजा हाउस आफ कामन्स में घुस नहीं सकते थे। वहां यह भी परम्परा है कि जब ब्लैक राड आती है तो हाउस आफ कामन्स के सदस्य जाकर दरवाजा बन्द कर लेते थे। वे जब ब्लैक राड लाने वाले फिर दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि हम किंग की तरफ से आये हैं तब ही वे दरवाजा खोलते हैं। यही नहीं, वहां तो हाउस आफ कामन्स में स्पीकर बजट की बहस में प्रेसाइड नहीं कर सकते। आज भी यह प्रथा है कि "स्पीकर वाज कन्सीडर्ड टू बी दि स्पाई आफ दि किंग।" श्रीमन्, वहां यह समझा जाता था कि स्पीकर राजा का आदमी होता था। किंग का स्पाई समझा जाता था। आज भी १९६५ में भी जब संसार बहुत आगे बढ़ गया है, जबकि आदमी मून की तरफ जा रहा है, वहां पर यह परम्परा है कि स्पीकर बजट की डिबेट पर प्रिसाइड नहीं करता, डिप्टी स्पीकर जो वेज ऐंड मीन्स का प्रेसीडेंट होता है वह प्रिसाइड करता है। तो श्रीमन्, हमने जब संविधान बनाया तो वह फेडरल बनाया। हमने सबकी पावर्स को डिफाइन किया, एग्जीक्यूटिव की पावर्स को डिफाइन किया, लेजिस्लेचर की पावर्स को डिफाइन किया और जूडिशियरी की पावर को भी डिफाइन किया। हमने एलेक्शन कमीशन बनाया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, चेक्स ऐंड बैलेंसेज संविधान में रखे। तो हमारा जो संविधान है वह अमेरिका के सिस्टम पर बिलकुल डिपेंड नहीं करता। हमारा संविधान फेडरल है और हाउस आफ कामन्स तथा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अनुकरण हमने किया है। अतः हमने वहां के डुयलिज म को नहीं निर्यात किया है वरन् वहां की पार्लियामेन्ट्री डिमोक्रेसी तथा उसके विशेषाधिकार पावर्स तथा इम्यूनीटीज। श्रीमन्, दो ला हैं। एक कामन ला और एक लेक्स पार्लियामेंटाई। तो हमारा संबंध जो यहां पर है वह लक्स पार्लियामेंटाई से है। श्रीमन्, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, मैं एक बात बिलकुल साफ कहना चाहता हूं, मैं चार्ज करना चाहता हूं श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट को और उनके जजेज को जिन्होंने कि हमारे कांस्टीट्यूशन को गलत और पक्षपातपूर्ण लेक्स पार्लियामेंटाई का सा न होते हुए भी जब उनको पावर्स का मामला आया तो संविधान निर्माताओं की भावनाओं को इगनोर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं उदाहरण दूंगा और साबित करूंगा.....

श्री अध्यक्ष—

गलत शब्द बहुत काफी है। पक्षपातपूर्ण का कोई सवाल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

अच्छा श्रीमन्, इतना तो कह सकता हूं कि पार्टीजन स्पिरिट से उन्होंने निर्णय दिया। यह मैं साफ कहता हूं। श्रीमन्, मैं यह भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा वाकई

[श्री नेकराम शर्मा]

झगड़ा था जूडिशियरी और लेजिस्लेचर का उसे डाइवर्ट करके जानबूझ कर नागरिक और लेजिस्लेचर का बना दिया। यह मिस्चीवस मूव था।

श्री अध्यक्ष—

नहीं नहीं, मिस्चीवस नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—

आपकी नजरों में उनका अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन उन्होंने वह मूव करके लेजिस्लेचर और सिटिजेन्स का झगड़ा जानबूझ करके खड़ा करा दिया। श्रीमन्, जिस दिन यह ओपिनियन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, यू० एन० आई० ने प्रेश किया कि यह झगड़ा जूडिशियरी और लेजिस्लेचर का नहीं था, यह झगड़ा तो सिटिजेन्स वर्सेज लेजिस्लेचर का था। जानबूझकर दिल्ली से यू० एन० आई० के बाक्स कालम में यह समाचार पत्रों में निकाला गया और इट वाज ए डेलिबरेट मूव आन दि पार्ट आफ दि सुप्रीम कोर्ट जजेज (It was a deliberate move on the part of the supreme Court Judges)। उन्होंने देश में एनार्की पैदा करने की पूरी कोशिश की। सदन के मुल्जिम को, कैदी को जिसको यह सदन कन्विक्ट करे अनस्पीकिंग वारन्ट पर उसको ये हैबीयस कारपस में जमानत पर जजेज छोड़ नहीं सकते, यह मेरी निश्चित राय है और रहेगी कि गलत जमानत पर छोड़ा। यही नहीं, जब जजेज यहां से इलाहाबाद पहुंचते हैं तो चीफ जस्टिस के कमरे में सलाह होती है और तय होता है कि इंजंक्शन ईश्यू होना चाहिये अध्यक्ष, सचिव, मुख्य मंत्री और मार्शल के विरुद्ध। फिर पूरी बेंच २८ की बैठ गई, उसके बाद अप्लीकेशन मूव होती है और इंजंक्शन दे दिया जाता है। श्रीमन्, आप और मार्शल और सेक्रेटरी उस इंजंक्शन को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आप एनार्की क्रियेट नहीं होने देना चाहते थे, आप यह कर सकते थे, यह सदन यह तय कर सकता था कि उसे स्वीकार न किया जाता, लेकिन हमने बड़ी शान्ति से और बड़े जब्त से काम किया। लेकिन यह मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि २८ जजों ने जरूर एनार्की क्रियेट करने की कोशिश की जो कि कस्टोडियन बनते हैं लिबर्टी के। अली जहीर साहब ने कहा कि जुडीशियरी नागरिकों की लिबर्टी के कस्टोडियन हैं। श्रीमन्, यह वही जुडीशियरी है जिसने भगतसिंह को फांसी दी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को जेलों में भेजा, जिसने सिविल लिबर्टीज के लड़ने वाले नन्हें नन्हें बच्चों को कोड़ों की सजायें दीं। वह जुडीशियरी आज नागरिक अधिकारों की संरक्षक बनती है और जो नागरिकों के अधिकारों के लिये लड़े जिन्होंने नागरिकों को अधिकार दिये वही अपहरण करेंगे, यह कुछ नहीं, यह चीफ जस्टिस का शरारत भरा कार्य था। इसलिये इनका अप्रोच ऐन्टी लेजिस्लेचर है। जिस जूडिशियरी ने हमेशा देश भक्तों को सजा दी हो, वह दावा करे कि हम सिटीजन्स के अधिकारों के कस्टोडियन हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती, बल्कि मेरी तो राय है कि यदि कोई कस्टोडियन है नागरिकों के अधिकारों का तो वह लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट है, और जूडिशियरी नहीं है। और मुझे माननीय अली जहीर साहब से कहना है कि जूडिशियरी सुप्रीम नहीं है कांस्टीट्यूशन सुप्रीम नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है ?

(इस समय १ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

पार्लियामेन्ट इसलिये सुप्रीम है कि संविधान में संशोधन कर सकती है, बदल सकती है। आज मानव दावा करे कि वह अपने निर्माता भगवान से बड़ा है! इसी तरह उच्च न्यायालय, जिस कांस्टीट्युएन्ट एसेम्बली ने बनाया उस संविधान से बड़ा बतावे तो सत्यता पर पर्दा डालना है। अगर जुडिशियरी सुप्रीम होती, तो कांस्टीट्यूशन में यह आर्टिकिल्स न होते—अनुच्छेद १०३, १९२, २२७(४), ३२९, ३६१ और ३६३। इनमें स्पष्ट रूप से कोर्ट के जूरिस्डिक्शन को बार कर दिया है कि आर्टिकिल १०३ में प्रेसीडेन्ट के निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकता।

१९२ धारा के अनुसार जिसमें मेम्बर्स की क्वालीफिकेशन और डिस्क्वालीफिकेशन के बारे में गवर्नर का फैसला फाइनल है, २२७(४) में आर्म्ड फोर्सेज के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई-कोर्ट का कोई जूरिस्डिक्शन नहीं है। आर्टिकिल ३२९ में जो हमारे चुनाव परिसीमन के बारे में हैं, उनके बारे में कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, आर्टिकिल ३६१ में जो प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट को प्रोटेक्शन है, उसके संबंध में कोई मामला कोर्ट में नहीं आ सकता। ३६३ में जो हमारी ट्रीटीज और पैक्ट्स होते हैं, दूसरे देशों से उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अब बताएं जुडिशियरी कैसे आल पावरफुल है? माननीय अली जहीर साहब का कहना बिलकुल भ्रम में डालने वाला है। जब मौलिक अधिकारों की बात उन्होंने कही तो मैं जानना चाहता हूं कि वह अधिकार जुडिशियरी ने दिये हैं, या डाक्टर अम्बेदकर, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद और जवाहरलाल जी आदि, नेताओं ने जो आजादी की लड़ाई के नेता थे, उन्होंने दिये? आर्टिकिल्स १२ और १३ में लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट ३ में दिये गये हैं, उनके विरुद्ध कोई भी ला नहीं बन सकता और १३(३) (ए) में लिखा है कि—

"Law includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, custom or usage having in the territory of India the force of law."

हमने आर्टिकिल २०८ के अनुसार अपनी नियमावली बनाई और उसके नियम १०८ में यह साफ लिखा है कि अगर सदन का कोई अवमान करे तो उसे हम सजा दे सकते हैं। क्या सजा दे सकते हैं, वे नियम १०८ में लिखी हैं। रिगरेट एक्सप्रेस कर दे तो माफ कर सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं, और सजा भी उतनी ही दे सकते हैं, जो सदन के विघटन तक ही लागू रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। आज अगर यह सदन किसी माननीय सदस्य को या अन्य व्यक्ति को सजा दे और सदन आज उठ जाय तो वह सजा अपने आप आज ही खत्म हो जाती है। सजा देना हमारा अंतिम अस्त्र है। जब माननीय चन्द्रबलीसिंह को सदन से निकाला गया था तो श्री शीतलवाद दिल्ली में कहने लगे कि असेम्बली चल नहीं सकती इस प्रकार के व्यवहारों से, राइट्स और प्रिविलेज होना चाहिये, रोज-रोज यू० पी० असेम्बली में यही होता है। मैंने कहा यही आर्गूमेंट हमारा है। तो इतना उन्होंने कंसीड कर लिया कि आन्तरिक मामले में विधान सभा को अधिकार है सजा देने का। श्रीमन्, मेरा चार्ज है, आफीसरों पर कि उन्होंने इस मामले को रेफर करके प्रेसीडेंट को मिसलीड किया। जब मामला सब-जूडिस था, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था, जस्टिस बेग और सहगल उसको सुन रहे थे, उस समय यहां के ला आफीसर्स ने उसको रेफर करवाया। वह बिलकुल गलत कार्य था, नहीं होना चाहिये था। जो चार रेफरेंसेज अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हुये हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो सब-जूडिस हो। पहला रिफरेंस १९५१ में देहली लाज ऐक्ट के बारे में हुआ। दूसरा १९५८ में केरल एजूकेशन बिल के बारे में हुआ। तीसरा प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के समझौते के संबंध में और चौथा रेफरेंस १९६२ में हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब सब-जूडिस केस हो, उस हालत में तो जजेज को आप यहां बुला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसको रेफरेंस के लिये नहीं भेज सकते। यह तर्क मेरी समझ में माननीय शर्मा जी का नहीं आया।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं यही कह रहा था कि चारों रेफरेंसों में से कोई भी सब-जूडिस नहीं था। यहां जजेज ने कंटेम्प्ट किया, हमने उनको इसीलिये बुलाया, और उनको सजा दे रहे थे। मेरा माननीय काशीनाथ जी को एक ही जबाब है कि कोई जज जिसके सामने मामला पेंडिंग है और वह सदन का या अध्यक्ष का अपमान करता है या किसी को मार देता है, हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके सामने मामला सब जूडिस है। कोई जज अगर सदन

[श्री नेकराम शर्मा]

और स्पीकर की इंसल्ट करता है, तो क्या उसको सजा नहीं दे सकते ? दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीड किया है कि आर्टिकिल २११ के अन्दर जजेज को इन्फोरसिबिल राइट्स नहीं हैं। जजेज के कंडक्ट को हाउस में डिस्कस कर सकते हैं। जस्टिस सरकार ने कहा है कि १४ साल तक सदन में जजेज के कंडक्ट को कभी डिस्कस नहीं किया, हालांकि हम कर सकते हैं और जब-जब ऐसा प्रश्न आया, माननीय अध्यक्ष ने इसे उठाने नहीं दिया। जो जजेज की इज्जत करना चाहते हैं, वह आज यह कंसीड करते हैं कि हम जजेज के कंडक्ट को हाउस में डिस्कस कर सकते हैं तो क्या हालत होगी ? मैं ला आफीसर्स को चार्ज कर रहा था, इसलिये कि उन्होंने विधान सभा के केस को बिना स्पीकर और सदन से पूछे हुए रेफर करा दिया, छोटे जज साहब, और बड़े जज साहब यहां बैठे रहे और बिना बताये हुए वहां रेफरेंस करा दिया और हमारे अनस्पीकिंग वारन्ट को स्पीकिंग वारन्ट कर दिया, यह कहकर कि फैक्ट्स ऐण्ड सरकमस्टांसेज आफ दि केस में जुड़वा कर। इन शब्दों से अनस्पीकिंग वारन्ट को स्पीकिंग वारन्ट करा दिया। यह उन्होंने सदन के साथ विश्वासघात किया है। जो सदन का केस नहीं था वह उन्होंने बता दिया जानबूझ कर, क्योंकि वे भी तो जज हैं, शायद इस इनाम में हाई कोर्ट की जजी मिल जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, श्री शर्मा के भाषण की प्रति राष्ट्रपति को, इंगलैंड भेज दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

ला आफीसर्स ने सदन व अध्यक्ष के साथ बड़ा विश्वासघात किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन में यह कहा है कि अगर ३ बजे वकील पहुंच जाता तो यह जजमेंट न होता। श्रीमन्, मैं ला आफीसर्स, जुडीशियल डिपार्टमेंट, माननीय न्याय मंत्री और उनके विभाग को चार्ज करता हूं। मिस्टर कपूर, असिस्टेन्ट गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने जो पत्र जुडीशियल डिपार्टमेंट को लिखा वह पत्र सदन से छिपाया गया और जब दिल्ली से हमने टेलीफोन किया तब बताया गया। मिस्टर कपूर कहते हैं और जजों से कहा भी कि विधान सभा को पार्टी बनाया गया है और गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया है, मैं विधान सभा को रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि इस विषय में इंस्ट्रक्शन्स ले लिये जाय। मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं ताकि यह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन जावे।

श्री अधिष्ठाता—

इसको रिफरेन्स के लिये थोड़ा-सा पढ़ दीजिये :

श्री नेकराम शर्मा—

वह इस प्रकार है—

"With reference to Sri R. Chandra's letter no. 1262 W/VII-B(I)/F, dated, April 14, 1964 to you which was communicated to me on the phone the same evening at 7.45 p.m., I had to bring the following to your notice to be sent as a part of your letter to Sri R. Chandra, Legal Remembrancer, in reply.

On 19th March, 1964, I was entrusted with the petitions and ex-parte motions, criminal appeals etc. before Hon'ble Nigam, J., in Court Room no. 3. During lunch hour, I came in your chamber as usual. I think it was 1.45 p.m.

यह पत्र बहुत लंबा है। इसको पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मैं चाहता हूं कि यह प्रोसीडिंग्स में आ जाय। क्योंकि यह प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में जायेंगी। लोक सभा जाने कि जजों ने क्या अन्धेर किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपने जितना पढ़ दिया वही ठीक है। यह प्रिविलेज कमेटी के रिकार्ड में आ गया है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, कमेटी की कोई चीज, जब तक वह रिपोर्ट के रूप में सदन के सामने न आ जाय, के बारे में यहां कोई बात जाहिर नहीं की जा सकती। लेकिन आपने जिक्र कर दिया कि यह चीज प्रिविलेज कमेटी के सामने आ चुकी है। यह उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रोसीडिंग्स की चर्चा मैंने नहीं की है, रिकार्ड में आने की बात कही है।

श्री वीरसेन—

जब तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई, एक कमेटी की चीज को आपने डिसक्लोज कर दिया।

श्री नेकराम शर्मा—

मिस्टर कपूर ने लिखा है कि मैं दो बजे गया और मैंने बहस की कि मिस्टर शर्मा का केस ला आफीसर्स लेंड है, इसलिये इसका बेल नहीं ली जा सकती और उन्होंने यह भी कहा कि मैं विधान सभा का रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तीन बजे तक के लिये पोस्टपोन कर दिया गया। जब वे टेलीफोन ही कर रहे थे कि तीन बजे श्री सालोमन ने जजों से कहा कि तीन बज गये और माननीय जज ने आर्डर डिक्टेट करा दिया। उन्होंने वकील का इन्तजार भी नहीं किया, जब कि हाई कोर्ट में प्रथा यह है कि वकीलों को बुला लिया जाता है। अतः इस लेटर को पूरा का पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मैं इसको हाउस की प्रोसीडिंग्स में लाने के लिये प्रस्तुत करता हूं।

(पत्र के लिये देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४८८–४८९ पर)

मैं यह कह रहा था कि मैं ला आफीसर्स को इसलिये चार्ज करता हूं कि उन्होंने मिस्टर कपूर के लेटर को छिपाया, ला आफीसर्स को इसलिये भी चार्ज करता हूं कि उन्होंने केस को ठीक तरह से प्रिपेयर करने के लिये हमें किताबें नहीं दीं, इसलिये भी चार्ज करता हूं कि उन्होंने अनस्पीकिंग वारंट को स्पीकिंग वारंट बनवा दिया। मैं इस गवर्नमेंट को भी इसलिये चार्ज करता हूं कि उन्होंने बिना विधान सभा और स्पीकर को पूछे हुए प्रेसीडेंट को गलत राय दी और इन ला आफीसर्स ने सबजुडिस केस को रिफरेंस करा दिया। यू० एस ०ए० के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जिक्र किया, लेकिन वहां पर रिफरेंस पर जज राय देने से इंकार कर देते हैं। आस्ट्रेलिया में भी जब तक पार्टीज नहीं होतीं, तब तक इस प्रकार का कोई फैसला या राय नहीं दी जाती है। जापान में भी ऐसा नहीं होता है। श्रीमन्, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी चार्ज करता हूं। वह इसलिये कि उन्होंने हमारे कांस्टीट्यूशन फ्रेमर्स की भावनाओं को निर्मूल किया है। साधारण रूल आफ इंटरप्रेटेशन यह होता है कि कानून बनाने में कानून निर्माताओं की क्या भावना थी उसको देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्माताओं की भावनाओं को इनोर किया क्योंकि जुडीशियरी की प्रेरोगेटीज का मामला था। स्पेशल प्रावीजन हमेशा एक्सक्लूड करता है जनरल प्रावीजन को। उन्होंने सिम्पिल रूल और इंटरप्रेटेशन को भी नजरअन्दाज कर दिया और जब स्पेशल प्रोविजन मौजूद है तो जनरल प्रोविजन एक्सक्ल्यूड करता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, माननीय नेकराम जी हर आदमी को चार्ज कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच कर रहा है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जितने बड़े अधिकारी हैं उनको तो माननीय सदस्य कुछ नहीं कह रहे हैं। पर जितने छोटे अधिकारी हैं उन सबको माननीय शर्मा जी चार्ज कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि कोई भी नियम फन्डामेंटल राइट्स से इन्कन्सिस्टैंट है। अगर असेम्बली में रूल्स भी बन जाते हैं तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। २०८ को भी चैलेंज कर सकते है। सीरवाई साहब ने कहा है कि :

"But the Supreme Court says that the ruls you make under Article 208 must conform to fundamental rights and writs can be issued in Courts of law to determine whether your rule is followed or whether your rule is applied and whether, if it is void, it affects your action."

तो जब हमने नियम बनाये हैं और सुप्रीम कोर्ट की राय को मान लिया तो यह सदन स्मूथली और इफैक्टिवली रन नहीं कर सकता है। रोज इन्जंक्शन होंगे और सदन को कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, विधान सभाऐं और पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर सकती, कोर्ट्स का दखल इतना बढ़ जायगा। इसका सबूत आस्ट्रेलिया को लेजिस्लेचर को मौजूद है। श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने इस लैजिस्लेचर को सारी इमेज को पब्लिक की आंखों में डेमेज कर दिया। इतना ही नहीं, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने हमारे कांस्टीट्युशन के फ्रेमर्स की भावना को नहीं माना है। उन्होंने जो सिम्पिल रूल आफ इन्टरप्रिटेशन दिया है उसको भी इग्नोर किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जजों की या जुडिशियरी की पावर का सवाल था, जुडिशियरी खुद पार्टी थी, तो उन्हें (सुप्रीम कोर्ट) इस रेंफरेन्स के ऊपर राय नहीं देनी चाहिये थी और कई देशों में ऐसा हुआ है कि राय देने से इन्कार कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेकराम जी, आप ४५ मिनट से बोल रहे हैं। अब आप शीघ्र समाप्त कीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीय अली जहीर १ १/२ घंटे बोले। अन्य सदस्यों को भी पाबन्दी नहीं रही फिर मुझ पर पाबन्दी कैसे? तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे बाद समय निश्चय करें।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा अनुरोध है कि आप इसको अपने ऊपर ही लागू करें।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस गजेन्द्रगडकर ने रेफरेंस से पूर्व बम्बई में, रेफरेंस के बाद चंडीगढ़ में, जो शब्द कहे वे चीफ जस्टिस के पदकी शोभा को बढ़ाने वाले नहीं थे। मैं डिमांड करता हूं कि यह सदन उनका इस्तीफा मांगे। जैसा माननीय ऊदल जी ने कहा, रेफरेंस होने के पहले बम्बई में जो भाषण दिया और जो समाचार पत्रों में भाषण निकला...

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेकराम जी गजेन्द्रगडकर साहब से इस्तीफा मांगते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गजेन्द्रगडकर को इन्होंने नियुक्त किया था। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेकराम जी अभी सीमा में बोल रहे हैं। जब बाहर बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

तो मैं, श्रीमन्, कह रहा था कि जब उनको मालूम था कि रेफरेन्स हो गया है तो उन्होंने बम्बई में जो उनका भाषण हुआ उसमें उन्होंने विधान सभा का जिक्र किया कि कुछ एसेम्बली अपने को सावरेन समझने लगी हैं लेकिन वे हैं नहीं। इन विचारों के बाद इस सदन में १३ अप्रैल को मैंने अध्यक्ष से कहा था कि जब श्री गजेन्द्रगडकर के ये विचार हैं तो न्याय नहीं किया जायगा। मैंने पत्र भी लिखा कि रेफरेंस वापस कर लें। इन विचारों के व्यक्त हो जाने के बाद वह रेफरेंस उनके यहां नहीं होना चाहिये था। दूसरे मैंने यह कहा था कि जब जुडीशियरी तथा लेजिस्लेचर का झगड़ा है तो जुडीशियरी हमेशा पार्टीशन व्यू लेगी, इंसाफ नहीं देगी। इतना ही नहीं हुआ। जब यह ओपीनियन हो गयी, चीफ जस्टिस चंडीगढ़ जाते हैं और वहां उन्होंने कहा कि जजेज आर लेस फालीबल दैन पोलिटीशियन्स ऑर लेजिस्लेचर्स (Judges are less fallible than politicians or legislatures)। उनको अपनी ओपीनियन के सम्बन्ध में अशोक सेन और संसद के विचारों का पता चला कि डीप एरोजन है विशेषाधिकारों का उन्होंने गिल्टी कांशंस होने के कारण क्या किया करायात वे जानते होंगे। अगर हम क्राइसिस को बढ़ाते होते तो माननीय सदस्य जगह जगह मीटिंग्स करते, पब्लिक ओपीनियन मोबीलाइज करते। उन्होंने बार एसोसियेशन्स के सेमीनार कराये, पेम्फलेट बटवाये और रेडियो से ब्राडकास्ट किये। लेकिन जिनको शिकायत थी, जिस विधान सभा की शान इज्जत को श्री गजेन्द्रगडकर ने मिटाने का प्रयत्न किया वह सहन करती रही और उनकी ओपीनियन के बाद भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो जजों की शान के विरुद्ध हो। जो रीयल कांफ्लिक्ट था जुडीशियरी और लेजिस्लेचर का; उसे टुइस्ट किया गया। यह चीजें जो देश का चीफ जस्टिस हो उसे शोभा नहीं देतीं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि आप इस्तीफा चीफ जस्टिस से डिमांड नहीं कर सकते, मेरी राय है कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट करती है। अगर वह इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इम्पीचमेंट के लिये यहां से सिफारिश करे क्योंकि स्पीकर्स कांफ्रेन्स ने जो बम्बई में हुई सर्वसम्मति से श्री गजेन्द्रगडकर की राय के विरुद्ध फैसला किया है कि संविधान निर्माताओं की भावनाओं का जजों ने पालन नहीं किया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह धारा २११ का स्पष्ट उल्लंघन है। हम यहां जजेज के कंडक्ट पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी मौका मिलेगा।

श्री नेकराम शर्मा—

इस जुडीशियरी ने इतना ही नहीं किया। जब रेफरेन्स हो गया तो चीफ जस्टिस इलाहाबाद आते हैं जजों के उत्सव व दावत में; वे ही निर्णय करें। जजेज की कान्फ्रेन्स होती है और उसमें वह पार्टिसिपेट करते हैं। जब विधान सभा और इलाहाबाद हाई कोर्ट का झगड़ा चल रहा था, यह कहां तक उचित था ?

श्री अधिष्ठाता—

चीफ जस्टिस के जो पर्सनल कार्य हैं उन पर माननीय सदस्य आक्रमण न करें, बल्कि उनकी जो ओपीनियन है उस पर आक्रमण करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उनको पर्सनल बातों से ही मतलब है । ओपीनियन से क्या मतलब है ?

श्री नेकराम शर्मा—

पर्सनल बात नहीं है । इस विश्व और देश में यह परम्परा रही है कि जज किसी पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई एप्वाइंटमेंट नहीं लेगा । जब इतना बड़ा सुप्रिमेसी आफ दी लेजिस्लेचर और जुडीशियरी का मामला था तो उनको बार एसोसियेशन के फंक्शंस से ऐब्स्टेन करना चाहिये था । यह उनकी प्रतिष्ठा तथा पद के विपरीत था ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । दो बातें माननीय नेकराम शर्मा ने इस सदन में कहीं कि जजेज एनार्की फैला रहे पर आमादा हैं तथा चीफ जस्टिस गजेन्द्रगडकर इस्तीफा दें । मेरे जैसे आदमी जो जनतंत्र में अकीदा रखते हैं, जो जुडीशियरी में अकीदा रखते हैं इस तरह के आक्षेपों को गलत समझते हैं और यह विश्वास करते हैं कि जनतंत्र बगैर जुडीशियरी के चल नहीं सकता ।

जिस विधान सभा में इस तरह का भाषण हो वह ठीक नहीं है । इसलिये, श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि ये दोनों वाक्य "जज एनार्की फैलाते हैं और चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगता हूं इस आदरणीय सदन की प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिये जायं । श्रीमन्, क्या यह जनतंत्र की व्यवस्था में ठीक है कि इस तरह की बातें सदन में करें ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो मर्यादा संविधान ने दी है (व्यवधान) हमारे कांस्टीट्यूशन की धारा २११ है कि जजेज के कांडक्ट पर बहस नहीं की जा सकती । जब यह कहा जाता है कि जजेज एनार्की फैलाते हैं तो यह जजेज के कंडक्ट के ऊपर बहस हो जाती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें और इन दोनों वाक्यों को प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक ही बात कहना है कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी को इससे बड़ा एतराज हुआ। लेकिन सदन में माननीय काशीनाथ जी ने कहा था कि अगर इस तरह की वाईड पावर्स दे दी जायंगी तो अनर्थ ही हो जायगा। यह कोई, श्रीमन्, जजमेंट नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमान्, अगर एक गलती हो जाय तो १०० गलती करेंगे माननीय नवलकिशोर जी।

श्री अधिष्ठाता—

वैसे तो माननीय शर्मा जी से अनुरोध कर चुका हूं कि ज्यादा अच्छा हो कि जो ओपीनियन सुप्रीन कोर्ट से आई है उसके बारे में ही वह अपनी राय दें। इस तरह से वह अपने को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बता देना चाहता हूं कि जज का कंडेक्ट उस समय मालूम होता है जब कि वह जज की हैसियत से ओपोनियन देता है और उसमें आरोप लगायें कि उन्होंने ब्राइब लिया है, ऐसी बात हो तो रोक दूंगा। लेकिन जब वे इस बात को कहते हैं कि उन्होंने बम्बई में भाषण दिया या इलाहाबाद में दावत में शामिल हुये, तो यह जजेज के कंडक्ट के बारे में नहीं है। इसलिये २११ का इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमान्, मेरा जैसा आदमी इस तरह के भाषण को सदन में सुनने के लिये तैयार नहीं है, इसलिये मैं २० मिनट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र ने सदन का परित्याग किया।)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यदि माननीय काशीनाथ जी मिश्र सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन का अध्ययन कर लेते तो शायद इस विवाद को प्रस्तुत न करते । उसमें कहा है कि जजेज के कंडेक्ट को डिस्कस कर सकते हो । लेकिन १४ साल के इतिहास में हमने ऐसा नहीं किया है । लेकिन उच्च न्यायालय की राय को सही मान लिया जाय तो जज के कंडेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं । कोई भी जज हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर कोई स्पीकर या आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का अपमान करता है तो उसके कंडक्ट के ऊपर बहस हो सकती है ।

श्री उग्रसेन—

मदन मोहन वर्मा जी यहां पर २८ जजों को बांध कर ला देते अगर उनका बस चलता । मैंने आपको हिम्मत देखी । आप सिर्फ गाली सुना सकते हैं विधवाओं की तरह से । मदन मोहन जी ने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे । आप दिलवाइये इस्तीफा मदन मोहन जी का....

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, हमें २०–२५ मिनट का समय और दे दीजिये ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, स्पीकर साहब ने कल शाम को कहा था कि कल इसके उपर बोलने वालों पर कोई समय की बाइंडिंग नहीं होगी, जो जितना चाहे बोले और सदन तब तक चलेगा जब तक सब बोलने वाले बोल न लें और आपने अभी-अभी शर्मा जी से कहा कि जल्दी बोलें तो आप भी कल के कहने पर समय की रोक न लगावें ।

श्री अधिष्ठाता—

शर्मा जी आप प्रयास करें । जल्दी खत्म करें ।

श्री उग्रसेन—

मैं जजों की बड़ी इज्जत करता हूं, दुनियां में जितनी उनको इज्जत दी जा सकती है, मैं उनकी उतनी ही इज्जत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा, आप अपने स्पीकर की इज्जत करना तो शुरू करें ।

श्री नेकराम शर्मा—

उग्रसेन जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितनी इज्जत जुडीशियरी की वह करते हैं, उतनी ही मैं भी करता हूं और उनसे कहीं अधिक । लेकिन ७ बजे सवेरे चारपाई पर पड़े-पड़े जज बेग साहब ने एलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर सुन्दरम् साहब को गोंडा नहीं जाने दिया, वह क्या था ? जज साहब बेग ने किया । क्या श्री उग्रसेन उसे ठीक मानने को तैयार हैं ? क्या ऐसे जज प्रजातंत्र का गला नहीं घोटते ? इतना ही नहीं.....

श्री उग्रसेन—

आर्टिकल २२६ में दरख्वास्त लेने का अधिकार है और अन्तरिम आदेश पास करने का अधिकार है .....

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा---

आज जजों के कारण जनता में लेजिस्लेचर तथा लेजीस्लेटर्स के विरुद्ध भावनायें फैलीं। हम लोग वकीलों की राय में, एडमिनिस्ट्रेटर्स की राय में एडल्ट फ्रेन्चाइस की बिना पर हम यहां पर आये हुये लोग मूर्ख समझे जाते हैं, लेकिन २८ जज जब हाई कोर्ट में बेंच बनाकर बैठ गये कुछ आगे कुछ पीछे, क्या सारे २८ जजों की बेंच विधान सभा के विरुद्ध बैठकर उसके कार्य में हस्तक्षेप करने, अपनी सार्वभौम सत्ता बचाने, के लिये बैठी ? देश, विदेश में उदाहरण न मिलेगा। ये भारत के ही जज ऐसा कर सकते हैं ट्रेड यूनियन की तरह। तो क्या वह उचित था ? सुप्रीम कोर्ट और जुडीशियरी ने जिसमें हमारी आस्था है और होनी चाहिये, उसने जिस ढंग से इस प्रश्न को डील किया है वह दुःख और शर्म की बात है।

श्री अधिष्ठाता---

अब तो, शर्मा जी, आपके सभी प्वाइंट हो गये, अब आप खत्म कर दें। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि एक घण्टा आपको बोलते हो गया और यदि आप अपने समय पर जरा भी नियंत्रण नहीं करेंगे तो मैं किसी भी माननीय सदस्य को इतना ही बोलने से नहीं रोक पाऊंगा। इसलिये आप जल्दी खत्म करने का प्रयास करें।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, अब मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। मैंने अप्रैल में खत लिखा प्रेसीडेंट आफ इंडिया को। उसमें मैंने कहा कि यह विधायिका और न्यायपालिका का मामला है और सब-जुडिस है और आपने जो इसे सुप्रीम कोर्ट की राय के लिये भेजा है, यह ठीक नहीं है, इस रेफरेन्स को वापस करा लिया जावे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने लिखा था कि जुडीशियरी स्वयं पार्टी है, वह उस पर अपनी राय न दे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। अन्त में मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि डाक्टर अम्बेदकर ने क्या कहा। श्रीमन्---संविधान निर्माताओं की क्या भावनायें विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में थीं, वह सुन लें :---

"I am mentioning the difficulty. If we were only concerned with these two things, namely, freedom of speech and immunity from arrest, these matters could have been very easily mentioned in the article itself and we should have had no occasion to refer to the House of Commons. But the privileges which we speak of in relation to Parliament are much wider than the two privileges mentioned and which relate to individual members. The privileges of Parliament extend, for instance, to the rights of Parliament as against the public. Secondly, they also extend to rights as against the individual members. For instance, under the House of Commons' powers and privileges, it is open to Parliament to convict any citizen for contempt of Parliament and when such privilege is exercised, the jurisdiction of the court is ousted. That is an important privilege. Then again, it is open to Parliament to take action against any individual member of Parliament for anything that has been done by him which brings Parliament into disgrace. These are very grave matters—e.g., to commit to prison. The right to lock up a citizen for what Parliament regards as contempt of itself is not an easy matter to define. Nor is it easy to say what are the acts and deeds of individual members which bring Parliament into disrepute."

श्री अल्लाहि कृष्णा स्वामी अय्यर की राय इस सदन में पढ़ी जा चुकी है। मैं उसे नहीं दुहराना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेरा विचार यह है कि मैं जल्द से जल्द समाप्त कर दूं, लेकिन दो एक सदस्य (व्यवधान) समाप्त करने नहीं देते, बीच-बीच में इंटरप्ट करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन जी, शर्मा जी अब समाप्त करने जा रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, भाषण की स्वतंत्रता की नागरिकों को संविधान में गारंटी है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि वे इसको १९४ (१) में फिर प्रोवाइड करते ? उसमें स्पष्ट है —

"194. (1) Subject to the provisions of the constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State."

यह इसलिये प्रोवाइड किया गया कि माननीय सदन के सदस्यों को भाषण स्वतंत्रता का विशेषाधिकार रहे । सदन में जो कुछ कहें कोर्ट में चैलेन्ज नहीं हो, वरना सदस्यों को अपना कर्त्तव्य निभाना असम्भव हो जायगा । जो कुछ सदन में कहा जायगा अगर उसको बाहर चैलेंज किया जायगा या कोर्ट आफ ला में, तो आदरणीय सदस्य बिना भय के, बिना हिचक के, अपने विचारों को सदन में एक्सप्रेस नहीं कर पायेंगे और इसलिये संविधान के निर्माताओं ने यह १९४ (१) का प्राविजन खास तौर से किया ।

श्री उग्रसेन—

उसका ही तो लाभ आज आप उठा रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

तो श्री अय्यर साहब ने क्या कहा था, वह मैंने पढ़ कर सुनाया । वह आगे कहते हैं कि....

श्री अधिष्ठाता—

यह तो सब कल रिफर हो चुका है । डाक्टर अम्बेदकर साहब की बात का रिफ्रेन्स हो चुका है ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या पूरा पढ़ दिया गया था ?

श्री अधिष्ठाता—

वह बात पूरी उनकी आ गयी है । उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

अगर पूरा पढ़ दिया गया है तो भी मैं यह एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"The right to lock up a citizen for what Parliament regards as contempt of itself is not an easy matter to define."

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, यह सब हो चुका है। दोहराना निरर्थक है ।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, इंटरप्शंस कितने हुये हैं .....

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा निवेदन यह है कि जब शर्मा जी बोलने के लिये खड़े हुये थे उस समय कोई टाइम लिमिट नहीं था। जितना समय ये चाहें उतने समय तक बोल सकते हैं, यह स्पीकर ने तय कर दिया है कि आज हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक यह नहीं खत्म हो जायगा। मैं सोशलिस्ट भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हें बोलने दें।

श्री उग्रसेन—

अगर वे ५ बजे तक तबर्रा पढ़ते हैं तो [illegible] मदहेसहाबा नहीं पढ़ने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शर्मा जी के लिये अवश्य कोई टाइम लिमिट नहीं थी।

श्री नेकराम शर्मा—

अम्बेदकर साहब ने भी कहा कि हम जो असेम्बली को लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को प्रिविलेजेज दे रहे हैं वह इसलिये दे रहे हैं कि वे सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं और वह उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वे उनके ऊपर नहीं होंगे तो हमारी पार्लियामेंट और असेम्बली एफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा है कि—

"But there is not the slightest doubt in my mind, and I am sure also in the mind of the Drafting Committee that Parliament must have certain privileges. When that Parliament would be so much exposed to calumny to unjustified criticism that the parliamentary institution in this country might be brought down to utter contempt and may lose all the respect which Parliamentary institutions should have from the citizens for whose benefit they operate."

उन्होंने इस बात को जरूरी समझा है कि असेम्बली और पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेजेज होने चाहिये। हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में यह बात थी कि हम पार्लियामेंट और असेम्बली को जो हम राइट आफ प्रिविलेजेज दे रहे हैं वह सिटीजन के फंडामेन्टल राइट से ऊपर हैं। अली जहीर साहब ने एक बात कही कि जनरल वारंट के संबंध में ये सब ओल्ड डिसीशन हैं। मैं उनकी सेवा में आस्ट्रेलिया का आर० वी० रिचार्ड का केस, जो १९५५ में तय हुआ है वह, बतलाना चाहता हूं। सन् १९५५ में वह केस प्रिवी कौंसिल में उठाया गया था और वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उस केस में भी यही सवाल था जो हमारे यहां उठाया गया है। उसमें भी यही था कि किसी व्यक्ति को अनस्पीकिंग वारन्ट पर कमिट कर सकते हैं या नहीं। उसका जजमेंट १९५५ में हुआ। वह लेटेस्ट केस है और वह केस बाइन्डिंग है। और वह न केवल आस्ट्रेलिया में बाइंडिंग है बल्कि हिन्दुस्तान में और सारी दुनिया में बाइंडिंग है। क्योंकि वह लेटेस्ट जजमेंट है। जनरल वारन्ट पर उन्होंने कहा है कि अनस्पीकिंग वारन्ट अगर स्पीकर के द्वारा जारी किया गया है उस आदमी के खिलाफ जिसने हाउस का कंटेम्प्ट किया है तो उस पर कोई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। इस प्वाइंट पर सारे कांस्टीट्यूशन एक्सपर्ट हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर सभी एक राय रखते हैं। जनरल वारन्ट के बारे में जुडीशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। अली जहीर साहब ने कहा था कि वहां पर फ्यूडलिज्म था इस वजह से वह तय नहीं कर पाये, लेकिन बड़ी लड़ाई के बाद हाउस आफ कामन्स की बात को वहां की कोर्ट ने मान लिया कि जो अनस्पीकिंग वारन्ट होगा तो हम रिव्यू नहीं करेंगे। इस बात को यू० के० में मान लिया गया है।

यह बात सही है और मैं भी मानता हूं कि दोनों बाडी न्यायपालिका और विधान सभाएं आगस्ट हैं और दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिये। लेकिन यह भी देखना है कि लेजिस्लेचरों के लिये, जनता के वेलफेयर के लिये पावर एसाइन्ड की गई है। तो उनको कार्य बिना

हस्तक्षेप के पूरा करने देना चाहिये। लेकिन, श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदस्य एवम् सदन स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकेंगे । और कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिये । अगर सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन बाइंडिंग नहीं है फिर भी परसूएसिव है तो इससे जाहिर है कि हमारी कार्यवाही का रिव्यू होगा और अगर वहां होगा तो सदन कार्य नहीं कर सकेगा। वह जनरल वारन्ट को ही रिव्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे हाउस की कोई भी कार्यवाही को रिव्यू कर सकते हैं जैसा कि हाई कोर्ट के २८ जजों ने इन्जन्क्शन निकाल कर किया और उन्होंने हमारी कार्यवाही को रोक दिया। यह एक फाल्स इंप्रेशन है कि उस राय के रहते हम अपने कर्त्तव्यों को निभा सकेंगे । विधान सभायें अपनी पावर्स का दुरुपयोग करेंगी अतः अधिकार न दें। अगर मिसयूज भी कभी-कभी हो जाता तो उसकी वजह से पावर को डिनाई नहीं किया जा सकता । सुप्रीम कोर्ट में यह मेरी सूचना है जानकारी नहीं गलत हो सकती है, एक जरनलिस्ट को कंटेम्प्ट के केस में तीन साल की सजा कर दी । पार्लियामेंट को उस केस के बीच में आना पड़ा कि कंन्टेम्प्ट के मामले में इतनी लम्बी सजा नहीं होनी चाहिये, ६ महीने से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिये । अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे और कंटेम्प्ट के मामले में इतना सेंसिटिव हो, तो विधान सभा के मामले में उसे रिव्यू करने का क्या अधिकार है, यह मेरी समझ में नहीं आता । मेरी, श्रीमन्, यह निश्चित राय है कि .....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कंक्ल्यूड करें । ५ मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, नेहरू जी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि कचेहरियां इस देश का तीसरा हाउस बनें जो कानून बनाने का कार्य शुरू करके कोडीफाई करें, लेजिस्लेचर के अधिकारों को स्वयम् ले लें।

"We do not want the courts to be the Third House of Legislature."

श्रीमन्, उनका दोष नहीं है । आज जो जुडीशियरी के अफसरान हैं उनकी विचारधारा सोशलिस्टिक नहीं है बल्कि प्रतिक्रियावादी व पूंजीवादी है । इसीलिये हर समाजवादी प्रवृत्ति के कानून को अल्ट्रा वायरस करार दे देते हैं। श्रीमन्, अमेरिकन जुरिस्ट, श्री फ्रैंकरफ़टर और होम्स का कथन है कि :—

"(a) Judges should pay greater deference to the Legislative opinion.

(b) They have also expressed views against the expanding scope of Judicial review."

उनका कथन है कि कोर्टस को जुडीशियल रिव्यू का ज्यादा स्कोप नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, इंडियन तथा अमेरिकन कांस्टीट्यूशन के बारे में अपनी राय दे चुका हूं ।

श्रीमन्, अंत में अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व में दो, तीन बातें सदन से कहना चाहता हूं । जो ऐप्रीहेंशन है माननीय सदस्यों में, जनता में और लायर्स तथा जर्नलिस्ट्स में कि जुडीशियरी को अधिकार हस्तक्षेप का रहना चाहिये वरना यह लेजिस्लेटर्स अपनी पावर्स को मिसयूज करेंगे, यह ऐप्रीहेंशन बिलकुल गलत है, जैसा कि जस्टिस सरकार ने कहा भी है कि आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी कार्य लेजिस्लेचर्स में नहीं हुआ। दूसरे, श्रीमन्, अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं तो सदन का हर ५ साल बाद चुनाव होता है, प्रेसीडेंट तथा गवर्नर को अधिकार है कि वह सदन को बीच मे भी डिजाल्व कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के बारे मे ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि पार्लियामेंट उनके लिये इम्पीचमेंट करें ।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, अंत में मेरा कंक्लूजन यह है कि–

"The opinion of Supreme Court does not improve the public image of the Judiciary in the country."

सुप्रीम कोर्ट की राय से देश में उसका इमेज ऊंचा नहीं हुआ ।

"Supreme court has failed to maintain the Judicial standards of objectivity in a matter involving its own power."

उसने जब कि उनकी स्वयं की पावर्स का मामला था उस समय अपना स्टैंडर्ड जो होना चाहिए था, मेंटेन नहीं किया । तीसरे,

"Public utterances by Chief Justice before and after the opinion is slur on the Judiciary."

चीफ जस्टिस ने अपनी राय देने के पहले और बाद में जो भाषण दिये हैं वे प्रजातंत्र पर धब्बा हैं, वे उनको शोभा नहीं देते हैं ।

"The way majority of the Supreme Court has dealt with the question gives the impression as if the problem was to decide but, as if the problem was to decide between the competing claims of the Judiciary and the framers of our Constitution for Supremacy".

अगर इस देश को समाजवाद को तरफ ले जाना है तो इस सदन को ही आपको सुप्रीम मानना पड़ेगा ताकि लेजिस्लेचर अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें । अन्त में नेहरू जी के शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग जजेज को इतना पावरफुल न बना दें कि वे हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी कोडीफाई करना शुरू कर दें और अन्त में जो अली जहीर साहब ने कहा कि हम कोडोफिकेशन कर लें, कोडोफिकेशन करने का अभिप्राय है न्यायपालिका का हस्तक्षेप। अगर हम कोडिफाई कर लेंगे तो जुडोशियरी का हस्तक्षेप बढ़ जायगा, आपको पावर्स और ऐमिनिटीज क्या हैं और फिर हम जुडोशियल रिव्यू को इनवाइट करते रहेंगे हर वक्त । आस्ट्रेलिया की एक विधान सभा ने ४० साल तक अपने प्रिविलेज कोडीफाई किये । उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कोर्ट्स का इतना हस्तक्षेप बढ़ गया कि विधान सभा को कार्य चलाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपने विशेषाधिकारों को डिकोडीफाई कर लिया । कांस्टीट्यूशनल ला के एक्सपर्ट लार्ड केन ने ठीक ही कहा है कि––

"The best privilege is not to define the privilege."

यानी प्रिविलेज को डिफाइन न किया जाय वही श्रेष्ठ व उत्तम विशेषाधिकार है ।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सोरवाई को बधाई देता हूं और माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस सदन की सुप्रीमेसी को मेनटेन करें और जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री भगवानसहाय––

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि चूंकि बहुत फ्री डिस्कशन हो रहा है । मेरी इल्तजा आप से यह है कि जो आफिशियल रिजोल्यूशन आया है उसके विपक्ष में जो बोलने वाले हैं उनको भी आप पर्याप्त समय और रिप्रेजेंटेशन दें ताकि वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता––

भगवानसहाय जी, यह आप जानते हैं कि जो कुर्सी पर बैठा है उसके पास किसी की स्पीच की रिपोर्टिंग नहीं है । मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कौन पक्ष में बोलेगा, कौन विपक्ष में बोलेगा ।

श्री भगवानसहाय--

जो विपक्ष में बोलना चाहते हैं वह यदि नाम आपको लिख कर दे दें, तो उसकी जानकारी आपको हो जायगी ?

श्री अधिष्ठाता--

वह ठीक है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । आपने कहा कि जो कुर्सी पर बैठेगा वह स्वतंत्र है कि किसी को बुलावे, किसी को न बुलावे । इसका मतलब यह हुआ कि इसके प ले अगर कोई लिस्ट हो तो उसकी कोई पाबन्दी नहीं है और पक्ष-विपक्ष की कोई बात नहीं है । माननीय शर्मा जी तो हमेशा विपक्ष में रहे, आज भी मैं उनको विपक्ष में समझता हूं, तो आप अब इधर से किसी व्यक्ति को बुलाने की कृपा करें और निर्णय दें कि आप लिस्ट को बदल सकते हैं या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यह नहीं कहा था । लेकिन जो बैठता है वह स्वतंत्र है ही । अब उपाध्यक्ष जी आ गये हैं । वह इस बारे में और ज्यादा कह सकते हैं ।

(इस समय २ बजकर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री वीरसेन ।

(श्री वीरसेन के खड़े होने पर)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पहले अधिष्ठाता महोदय मेरे प्रश्न पर व्यवस्था दे रहे थे, उसमें जानकारी की बात आ गयी नामों की । प्रश्न यह था कि जितनी देर तक आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे किसी पहले की दी हुई लिस्ट की कोई पाबन्दी आप पर नहीं है । आप बिलकुल स्वतंत्र हैं कि जिसको चाहें उसको बुलावें । दूसरी बात उसमें यह थी कि पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले सदस्यों की कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि माननीय शर्मा जी हमेशा विपक्ष में बोलते रहे और मैं समझता हूं कि वह तो विपक्ष में ही रहे । तः अब जब आप किसी को समय दें तो इधर के माननीय सदस्य को ही देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप स्वयं कहते हैं कि मेरी इच्छा पर है तो उसी पर छोड़िये । माननीय वीरसेन ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

दो बजे का मुझसे] वायदा किया था अध्यक्ष जी ने ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष जी ने कोई लीगल कमेटी अप्वाइंट की थी और यह कानूनी बहस चल रही है और हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट जनरल हैं । आज बहस समाप्त हो जायगी । तो इसका निर्णय आप करेंगे कि नहीं कि उनको बुलाया जाय ? आप सदन में इस प्रश्न को रख दें और सदन की राय हो तो उनको बुला लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बार-बार निर्णय नहीं होगा । माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है कि उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

कल माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि माननीय हरीशकुमार गंगवार के बाद मुझे बोलने का अवसर मिलेगा । उसके बाद कहा कि आज २ बजे मुझे समय मिलेगा, फिर भी मुझे अवसर नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको जरूर समय मिलेगा, अब मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री वीरसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका तथा विधान सभा के अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का राय हमारे सामने है । इस समय महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय है इसे हमें स्वीकार करना चाहिये या नहीं करना चाहिये । यह भी प्रश्न है कि क्या हमको इस प्रकार के अधिकार हैं कि हम उसको नामंजूर कर सकें । मैं इस सवाल पर तो बाद को आऊंगा, पहले मैं उन चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिनके आधार पर हमको सुप्रीम कोर्ट की इस राय को तौलना चाहिये और यह देखना चाहिये कि यह कहां तक ठीक है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी जुडीशियल ओपीनियन को तौलने के लिये कुछ मूल सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत यूनिफार्मिटी का है, यानी जो ओपीनियन हो वह यूनिफार्म हो । इसका मतलब यह है कि निश्चित तथ्यों के आधार पर अगर राय मांगी जाय तो राय सदा एक होनी चाहिये । जो राय एक बार जाहिर हो दूसरी बार भी वही होना चाहिये और प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यूनीफार्म तरीके से होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि अगर परिस्थितियां बदल जायं तो उनका एप्लीकेशन भी बदल जाय । हमको यह देखना चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट की राय में क्या इस सिद्धान्त को माना गया है । अगर आप इस राय को इस ध्यान से देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनकी राय इस टैस्ट पर सही नहीं उतरती । सुप्रीम कोर्ट और यहां के हाई कोर्ट ने बहुत से मामलों में जब कभी एक सिटीजन का मामला उनके सामने आया, उन्होंने इस सिद्धान्त को मय कामा फुलस्टाप के स्वीकार किया है, किन्तु जब जजों का मामला फंस गया इसको ताक में उठाकर रख दिया गया । इस सिद्धान्त पर यह ओपीनियम जिस मूल्य की होनी चाहिये, उस मूल्य की नहीं है ।

दूसरा गुण है प्रिडिक्टीविटी का । इसका अर्थ यह है कि किसी दिये हुये केस में यह पहले से बताया जा सके कि उक्त केस का क्या फल होगा और यह सिद्धांत एक वैज्ञानिक आधार पर निश्चित है । इस सिलसिले में सर फ्रेड्रिक पौलौक ने कहा है:—

"The fundamental axiom of English case—law is an understanding that the court will follow the authority of decisions formerly given on similar facts. A court must determine a case in such a manner as to keep up the fundamental assumption of uniformity which makes scientific prediction possible."

इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन इस तरह से होना चाहिये कि कोई भी आदमी जिसको ला की साधारण जानकारी है, सिद्धांतों का एप्लीकेशन उस तरह से किया जाय कि वह

व्यक्ति किसी केस में क्या नतीजा निकलेगा, यह बता सकें। इसमें मेरे पास एक उद्धरण है। यह बाम्बे ला रिपोर्टर का है। इसमें:—

"It is a mark of a great judicial tribunal like the Privy Council that its judgements can be predicted. Sir Ivor Jonnings records, in his article on the Privy Council and the Canadian Constitution that five constitutional appeals were pending before the Privy Council. He and his pupils accurately predicted the result in law of all five."

इस प्रिडिक्टीविटी की पहले से घोषणा की जा सके कि क्या नतीजा होने वाला है। आप देखेंगे कि इस ओपीनियन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। जो सही दिमाग से सोचने वाले लोग थे और यह सोचते थे कि कानून का सही निर्वचन होना चाहिये वह समझते थे कि यह ओपीनियन क्या होगी। लेकिन सब गलत साबित हुआ। इस प्रकार यह ओपोनियन इस टेस्ट पर सही नहीं उतरता। तो मैं यह समझता हूं कि इसके साथ ही और जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं कि फेयर होना चाहिये, इम्पार्शयल होना चाहिये, उसमें जजेज के सबकांशयस माइन्ड के आइडियाज जो हों, पोलिटिकल थ्योरीज जो हों या उसके जो लाईक्स और डिस्लाईक्स हों, वे जजमेंट में नहीं आने चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य या सदन के बाहर का आदमी न्याय दृष्टि से यह बात कह सकता है कि यह सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत इस ओपीनियन में सही तौर पर लगाया गया है। बड़े-बड़े अधिकारी और वकीलों ने राय जाहिर की। आपको पता है कि सीरवाई, एडवोकेट जनरल, महाराष्ट्र ने यह शुबहा जाहिर किया जब कि यह डिटैच्ड आउटलुक बताया गया है, लेकिन नहीं है। इसके खिलाफ जस्टिस सरकार ने नहीं कहा कि हम निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे, जब कि उन्होंने निष्पक्षता का सहारा लिया है। जिन बातों से पक्षपात जाहिर होता है उन सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, हालांकि बहुत सी चीजों से यह बात जाहिर होती है। एक तो गलत चीजों का बयान करना, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अथारिटी जिस पर विश्वास किया जाता है कि वह सदा सही बात करेगी, लेकिन उसने इस ओपीनियन में गलत स्टेटमेंट का बयान किया है और उन पर अपनी राय जाहिर की है। मिसाल के लिये जजेज ने कहा है कि गवर्नमेंट कौंसिल ने यह सलाह दी कि रिटर्न न फाइल की जाय। सदन के माननीय सदस्य और बाहर के लोग भी जानते हैं कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया है कि रिटर्न फाइल की जाय। मैं माननीय सदस्यों पर यह बात छोड़ना चाहता हूं कि क्या यही ईमानदारी का स्टेटमेंट है कि सदन ने यह प्रेसीपिटेट ऐक्शन लें लिया और रिटर्न नहीं फाइल किया। जजेज को कोई तारीख अपने ही नियमों को मान कर देनी चाहिये थी लेकिन उन्होंने ही अपने नियमों का पालन नहीं किया। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि पक्षपात नहीं किया ?

इसी तरीके से कुछ इन्टरप्रेटेशन्स गलत किये हैं, जानबूझ कर किये हैं। बहाने लगाये गये। यह बात सही है कि ब्रिटिश कोर्ट्स ने सन् ५८ तक के रिचर्ड्स के फैसलों में यह माना है कि सदन को कमिट करने का पूरा अधिकार है, कांटेम्प्ट के लिये सजा देने का और कोर्ट्स ने स्वीकार किया है। कोर्ट्स ने यह स्वीकार किया है कि अगर वारन्ट जनरल है तो कोई दखल नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ५० तरीकों से घुमा-फिरा कर कि यह कारण हो गये और जजेज ने यह कहा है, वह कहा है, कुछ ने यह कहा है, इसलिये वह नतीजे नहीं निकलते। लेकिन जब कोर्ट्स कहते हैं कि दखल नहीं देंगे तो मीन मेख निकालने की क्या जरूरत थी ?

रिफरेंसेज के बारे में कहा गया कि ४ रिफरेंसेज हुए और उनको कोई पैटर्न नहीं नजर आया। मैं बतलाना चाहता हूं कि उन जजों की यह नाकाबलियत है कि उनको पैटर्न नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने चार मामलों में से एक तो दिल्ली के ऐक्ट के बारे में, जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया थ', एक केरेल के एजूकेशन बिल के बारे में था जिसमें गवर्नर ने रिजर्व कर लिया था प्रेसीडेंट की कंसेंट के लिये। इसी तरीके से ६२ में जो हुआ वह रिलेवेंट

[श्री वीरसेन]

प्रोवाइजो आफ एन ऐक्ट विच वर प्रोपोज्ड टू बी मूव्ड इन दी पार्लियामेंट । तो जाहिर है कि यह ऐसे विषय से संबंध रखता है जिसमें प्रेसीडेंट को या तो एग्जीक्यूटिव पावर है या वह अपनी कैबीनेट को एडवाइज कर सकता है कि यह ऐक्शन लिया जाय । मिस्टर वर्मा नें कहा कि यह रिफरैंस निकम्मा होगा । मैं समझता हूं कि मिस्टर वर्मा का आब्जेक्शन ठीक था । हमारा सदन सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिये तैयार नहीं है । उधर कोर्ट्स के ऊपर संविधान की कोई आर्टिकिल में यह अधिकार नहीं है कि प्रेसीडेन्ट एडवाइज करे कि तुम इस तरीके से फैसला कर दो । अगर एडवाइस यह होती कि कोर्ट्स को अधिकार नहीं है दखल देने का तो क्या पोजीशन होती ? असली बात यह है कि जजों को इस बात की उतावली थी और दिलचस्पी थी कि इसमें राय दें । नहीं तो, ऐसे मामलों में, जैसा नेकराम जी ने कहा, अमरीका में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कह दिया कि जब हमारे सामने केस आवेगा तो हम उसे हल करेंगे, उस पर फैसला देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सलाह मैं दूंगा कि अदालतों और जजों के बारे में जब आप क्रिटीसाइज करें तो उसें अच्छे शब्दों में करें ।

श्री वीरसेन—

मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा शब्द न निकले, जो एतराज के काबिल हो ।

हमें यह भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में रिफरेंस गया और इसे देश के लाइयर्स ने, लीगल प्रोफेशन ने किस तरह से रिऐक्ट किया, वह मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिये शर्म की बात है । सब के सब वकीलों ने, उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सपोर्ट किया, और मैं कहना चाहता हूं कि एक वकील ने तो यहां तक कहा कि अगर असेम्बली की तरफ से मुझे इंगेज कर लिया जाता तो मैं उधर से केस को प्लीड कर देता, इस तरह से ९९ फीसदी वकीलों ने इस वास्ते कि अगर जज नाराज हो गये तो दिक्कत होगी और उनकी प्रैक्टिस पर खराब असर पड़ेगा, हमारा केस लेने से इंकार किया ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों की राय में वह अच्छे बने रहें । मिस्टर सोरवाई को मैं उनकी हिम्मत के लिये बधाई देता हूं कि जो उनका कन-विक्शन था उसके मुताबिक उन्होंने काम किया । इस सदन को उनका आभार प्रकट करना चाहिये ।

हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल की क्या हालत रही ? उनका क्या व्यवहार रहा ? सब जानते हैं कि हमारा २५ तारीख का प्रस्ताव उनकी राय से यहां पेश हुआ । बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर श्रीमन् ने स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स में इस बात का जिक्र किया कि असेंबली ने अपनी गलती को स्वीकार करके यह प्रस्ताव पेश किया । यह उनकी इंटलैक्चुअल डिस्आनेस्टी का सबूत है । इस व्यवहार के कारण वह एडवोकेट जनरल के पद से निकाल देने के लायक है । एक सलाह देकर उसके विरुद्ध कहा कि यह गलती की, इससे बड़ी डिस्आनेस्टी क्या कोई हो नहीं सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान सुप्रीम है और यह कोशिश की है कि इस देश में संविधान के मातहत, ड्यू प्रोसेस आफ ला के अधीन अमरीका की सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुप्रीम हो गई है, उस थ्योरी को यहां लागू करना चाहते हैं और जो अधिकार संविधान ने नहीं दिये हैं उनको भी हटाना चाहते हैं और इसी लिये सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी को इस केस में प्रोपाउन्ड करने की कोशिश की है । असली पोजीशन क्या है ? उन्होंने कांस्टीट्यूशन को सुप्रीम और सावरेन माना है । कोई डाक्यूमेंट कभी भी सुप्रीम नहीं हो सकता है । सुप्रीम कौन है ? सुप्रीम पीपुल हैं जिन्होंने संविधान दिया है, जिन्होंने

अपने ऊपर उसे लागू किया है । उपाध्यक्ष महोदय, सावरन और सुप्रीम पावर की क्या डेफीनीशन है, सावरेन की डेफीनीशन आस्टिन ने दे रखी है जिसे सब मानते हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न ह, उपाध्यक्ष महोदय । यह कहा जा चुका है कि रिपीटीशन नहीं होगा । कोटेशन्स एक बार दे दिये गये हैं और छपे हुये भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है । यह पहले भी हो चुका है ।

श्री बीरसेन—

"If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society, and the society, including the superior, is society political and independent."

मुझे बाद के हिस्से से ताल्लुक नहीं है । लेकिन यह कि वह डिटरमिनेट सुपीरियर जिसे हम कह सकें कि यह सावरेन है, वह सावरेन है । हमारे देश की जनता ही सावरेन है । इसलिये यह कहना कि कांस्टीट्यूशन सावरेन है, बिलकुल गलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की दलील दी गई है कि हमारा कांस्टीट्यूशन फेडरल नेचर का है । इस फेडरल नेचर के होने की वजह से सब नक्शा बदल गया । जो पावर्स, प्रिविलेजेज, इम्यूनिटीज हाउस आफ कामन्स को थीं और जो अब तक इसी सुप्रीम कोर्ट ने माना है, अपने जजमेंट में, वह सब नक्शा बदल गया और अब यह हो गया कि आर्टिकिल १९४(३) के ऊपर बहुत सारे आर्टिकिल्स निकल आये जिनका कि प्रभाव पड़ता नजर आता है । लेकिन जूडिशियल रिव्यू के या इंटरप्रिटेशन के मानी क्या हैं ? कोई भी कोर्ट किसी भी ला को तब तक इंटरप्रेट नहीं कर सकता है जब तक कोई डिस्प्यूट उसके सामने न आये । जिस अथारिटी के पास वह डिस्प्यूट जायगा और उसको वह एप्लाई करेगा उसी को इंटरप्रिटेशन का अधिकार होगा । सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चाहे हमारे सामने केस आवे या न आवे क्योंकि प्रिविलेज का मामला तो हाउस ही डिसाइड करेगा कि कंटेम्प्ट हुआ या नहीं और उसका मैनर किस तरह से एक्सरसाइज होगा, यह सब तो हाउस तय करेगा । शर्मा के केस में यह बिलकुल स्पष्ट कह दिया है कि यह सब सदन तय करेगा, लेकिन इस बात को जानते हुये भी उनका कहना यह है कि चाहे अधिकार हमको है या नहीं एप्लाई करने का, लेकिन इंटरप्रटेशन का अधिकार हमको है, मैं समझता हूं कि यह गलत दावा है । १९४ का इंटरप्रिटेशन और उसके अन्दर जो पावर्स ऐंड प्रिविलेजेज हैं उनके इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ उस अथारिटी को हो सकता है जो कि उसको एप्लाई करे और चूंकि प्रिविलेजेज का जो ला है, जिसे लक्स पार्लियामेंटाई कहते हैं वह ला सिर्फ पार्लियामेंट ही एप्लाई कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिये १९४ के इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को नहीं हो सकता ।

मान्यवर, ब्रेडला वर्सेस गौसेट के केस में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ला प्रोसीजर से ताल्लुक रखता है, सदन के अधिकारों से ताल्लुक रखता है उसके इंटरप्रिटेशन का ही अधिकार सदन को नहीं है बल्कि उसमें मौलिक चेंजेज करने का भी अधिकार उसको है । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह इंटर्नल मैटर है इसलिए हम दखल नहीं देंगे । कांस्टीट्यूशन के प्राविजंस में इसका हक है कि हम इसको एप्लाई करें, इस चीज को वह गोल कर गये । यह क्यों, यह मेरे कहने की जरूरत नहीं है । आपने कहा है कि आब्जेक्शनेबिल बात है नहीं कहनी चाहिये ।

[श्री वीरसेन—]

अब ओपिनियन में इस बात का जिक्र ह कि यह जो कांस्टीट्यूशन हमारा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर है, सेपरेशन आफ पावर है । लेकिन सेपरेशन आफ पावर असल में नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर का शब्द ही इस्तेमाल किया है लेकिन मतलब उनका है सेपरेशन आफ पावर से । तो अगर फेडरल नेचर का कांस्टीट्यूशन है तो उससे यह जरूरी नहीं है कि कांस्टीट्यूशन में जो पावर्स हैं उनका सेपरेशन हो गया और एक पावर को सिर्फ एक अथारिटी एक्सरसाइज करे। जूडिशियल अथारिटी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करे। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करे । डिस्ट्रीब्यूशन का यह मतलब बिल्कुल नहीं है । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस मामले में एक्सक्लूसिव जूरिस्डिक्शन उनका है। यह बात सोलहों आने गलत है । सबूत इसका यह है कि इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर कई प्राविजन्स ऐसे हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को हाथ लगाने का भी हक नहीं है, और साथ ही यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्डिक्शन बहुत से मामलों में बार्ड है । जैसे मिसाल के लिये दस हजार से कम की प्रापर्टी के बारे में अगर मुकदमा हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता है । ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन नहीं है । स्पेशल लीव से जा सकता है, कोई क्वेश्चन आफ ला इन्वाल्व हो जाय या क्वेश्चन आफ फैक्ट इन्वाल्व हो जाय तो जा सकता है । तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लिया कि हमको तो सब अधिकार है इंटरप्रिटेशन का, तो यह गलत है । आर्टिकिल १२४ में यह है कि जज का कंडक्ट डिस्कस हो सकता है । अगर किसी जज को हटाने का सवाल हो, तो इस आर्टिकिल को कौन इंटरप्रेट करेगा, सिवाय पार्लियामेंट के । इसी तरह से आर्टिकिल्स १०३ और १९२..

(व्यवधान)

म इस बात का जिक्र है—प्रेसीडेंट को १०३ में और गवर्नर को १९२ में कि यह निश्चित कर सकते हैं कि कोई सदस्य डिसक्वालीफाइड हुआ है या नहीं । इसमें भी क्या सुप्रीम कोर्ट से इन्ट प्रिटेशन के लिये जाना पड़ेगा कि डिसक्वालीफिकेशन क्या होती है ? नहीं जाना होगा । इसलिये यह कहना कि इन्टरप्रिटेशन का हक केवल सुप्रीम कोर्ट को है, मेरी राय में बिलकुल गलत है । इसी तरह से आर्टिकिल १९९ में मनी बिल्स के बारे में जिक्र है और उसकी डफीनीशन दी हुई है जिस के अनुसार स्पीकर किसी भी बिल को मनी बिल घोषित करते हैं ।

श्री रक्षपालसिंह—

माननीय भगवानसहाय को कल अनुच्छेद १७८ पर नहीं बोलने दिया गया, तो माननीय सदस्य को १९९ पर कैसे बोलने दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह इर्रिलीवेंट था, यह रिलीवेंट है ।

श्री वीरसेन—

मैं कह रहा था कि स्पीकर इंटरप्रेट करके किसी बिल को मनी बिल घोषित कर सकते हैं । आर्टिकिल्स ३२४ से ३२९ तक जो एलेक्शन कमीशन है, उसको सुपरविजन, डाइरेक्शन और कंट्रोल का पूर्ण अधिकार दिया गया है । चुनाव के बारे में उसको यह भी अधिकार है कि इन्टरप्रिटेशन आफ ला रिगार्डिंग एलेक्शन करे, जिससे साफ जाहिर होता है कि ३२९ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्डिक्शन बार्ड है । इसलिये यह कहना कि इंटरप्रिटेशन का इक्सक्लुसिव हक सुप्रीम कोर्ट को है, इससे बड़ा कोई असत्य नहीं हो सकता ।

एक बात और कहनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने सारा कांस्टीट्यूशन शायद नहीं पढ़ा । आर्टिकिल ३२ में से उन्होंने एक हिस्सा पढ़ा और बाकी नहीं पढ़ा । उस आर्टिकिल में ही दिया हुआ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बराबर की कोआर्डिनेट अथारिटी का कोर्ट एप्वाइंट

कर सकती है। इसका जूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो सकता है। इससे जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को इक्सक्लुसिव राइट्स नहीं है। यह हो सकता कि बहुत कुछ मामलों में अगर पार्लियामेंट उचित समझे तो उसके जूरिस्डिक्शन को काट कर अन्य कोर्ट बना दे। इन शब्दों से मालूम होता है इस बात के बावजूद कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हालांकि मैं इसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि बेसिकली हमारा कांस्टीट्यूशन पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूशन है, लेकिन ऊपरी ढांचे को देखने से ही अगर अंदाज हो तो यह बात नहीं कही जा सकती कि वही सारे के सारे प्रिंसिपिल्स जो अमेरिकन कांस्टीट्यूशन में लागू होते हैं, वह हमारे यहां ट्रान्सफर हो गये। अगर आर्टिकिल १९४ के होते हुये पावर्स और प्रिविलेजेज ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स को ट्रान्सफर नहीं हो सकती तो यह बात मुझे सिद्धान्तः सही नहीं मालूम होती कि यूनिफार्म एप्लीकेशन के प्रिंसिपल पर अमेरिकन कांस्टीट्युशन के सिद्धान्त यहां लागू किये जायं, बावजूद डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावर्स के कोई प्राविजन कांस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है, जिसमें कि कोर्ट्स के समकक्ष कोआर्डिनेट अथारिटी नहीं दी जा सकती। और वह अधिकार जो हाउस आफ कामन्स को थे आन दि डेट आफ कमेंन्ट्समेंट आफ अवर कंस्टीट्यूशन। वह सारे के सारे १९४ (३) के अनुसार हमको नहीं मिल सकते।

अब इस बात को कोशिश की गई है कि १९४ के जो अधिकार हैं, उनको कैसे काट-छांट कर दी जाय। मैं श्रीमन्, बेसिक प्रिंसिपल आफ इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखना चाहता हूं —

"It is very desirable in all cases to adhere to the words of an Act of Parliament giving to them that sense which is their natural import in the order in which they are placed."

"The safer and more correct course of dealing with a question of construction is to take the words themselves and arrive, if possible, at their meaning without, in the first place reference to cases."

साफ है कि पहले आप शब्दों को देखिये कि उनसे क्या नेचुरल अर्थ निकलता है। घुमाकर अर्थ नहीं निकालना चाहिये। अगर कोई ओमिशन का सवाल आता है, तो उसके बारे में भी लिखा है।

"It is a strong thing to read into an Act of Parliament words which are not there, and in the absence of clear necessity, it is a wrong thing to do."

"A construction which will leave without effect any part of the language of a statute will normally be rejected."

मैं आपका ध्यान १९४ (३) के कुछ शब्दों की तरफ ले जाना चाहता हूं। "इन अदर रिस्पेक्ट्स दि पावर्स प्रिविलेजेज एण्ड इम्युनिटीज आफ दि हाउस।" अगर ओपिनियन को देखा जाय तो इसमें सिर्फ प्रिविलेजेज का जिक्र किया गया है और "पावर्स" को छोड़ दिया गया है। यह कहा गया है कि लेजिस्लेचर कभी हाई कोर्ट नहीं रहा। हाई कोर्ट को पावर्स इसे कभी नहीं रहीं। इसलिये उन पावर्स को इक्सरसाइज नहीं कर सकता और यह कहा कि जनरल वारन्ट को जारी करने का हक इस सदन को नहीं है। क्यों हक नहीं है? क्योंकि जनरल वारन्ट या इक्सक्लुसिव वारन्ट प्रिविलेज का हिस्सा नहीं है। मैं पूछता हूं, मान लिया जाय यह बात सही भी है तो जो वर्ड "पावर" लिखा हुआ है, यह कहां जायगा? इस 'पावर' वर्ड का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है? अगर 'पावर' प्रिविलेजेज का हिस्सा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसे मान लिया कि हमको पनिश करने की पावर भी नहीं है? इसलिये जो पावर वर्ड को ओमिट किया गया है, यह मेरी समझ में गलत किया और इसलिए मैं कहता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का इन्टरप्रिटेशन गलत है, उन्होंने 'पावर' वर्ड को बिलकुल खत्म कर दिया।

[श्री वीरसेन]

इसी ओपिनियन में पृष्ठ ४३ पर यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि अगर कोर्ट को कोई अधिकार है, तो सब काम करने का अधिकार है जो उस काम को पूरा करने के बारे में हो। जब इस सदन को यदि साधारण सिद्धान्त एप्लाई करता है, तो सजा देने के अधिकार के साथ जो दूसरे पावर्स हैं वह भी तो एप्लाई करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सदन को ऐसे अधिकार नहीं हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, उनसे बातें करते समय आपने जिन शब्दों को सुना नहीं है, उनकी वैधता के संबंध में क्या होगा?

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, कान्स्टीट्यूशन में दो बातें हैं। एक तो इस बात पर जोर दिया गया है कि १९४ (३) के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वह है जो यह तय करता है कि उनको यह अधिकार दे दिया गया है कि सदन किसी कानून के जरिये से अपने अधिकारों की परिभाषा कर सकता है और दूसरा भाग यह है कि जब तक वह डिफाइन न करे, तब तक वही अधिकार होंगे जो हाउस आफ कामन्स को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? पहली बात तो यह है कि शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, जिसको मैं भी मानता नहीं हूं कि पहले हिस्से के मातहत जो कानून बनाया जायगा वह फन्डामेंटल राइट्स के तहत होगा। मैं आपका इन शब्दों की तरफ खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है "शैल वी सच एज" अगर इसमें से "सच" शब्द को निकाल दिया जाय तो जिस तरह से डिफाइन किये जायेंगे वहीं होंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन.....

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और अधिक समय दे दिया जाय। मुझे बोलने दिया जाय। मैं कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं और टू दि प्वाइन्ट बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा तो आप १० मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री वीरसेन—

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दलील दे रहा था कि उन्होंने यह कहा है कि चूंकि कानून पहले हिस्से के मातहत बनाया जायगा और पहला हिस्सा फन्डामेंटल राइट्स के अन्दर आता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के केस में दिया है और यह कान्स्टीट्यूशनल प्रावीजन है और एक कान्स्टीट्यूशनल प्रावीजन से दूसरा कान्स्टीट्यूशनल प्रावीजन कट नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो कानून का स्टेटस है वही इन अधिकारों का स्टेटस है। उपाध्यक्ष महोदय, उनका यह कहना तर्कशास्त्र के सिद्धान्तों के बिलकुल खिलाफ है और गलत है। मिसाल के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा यह हाथ सिर के नीचे है तो इसके ये मानी नहीं होते कि हमारा दूसरा हाथ भी सिर के नीचे है। इसी तरह से यह जरूरी नहीं है कि पार्ट (१) में अगर हम कोई कानून बनाते हैं और वह किसी खास प्रावीजन के तहत में होता है, तो वह उसका दूसरा पार्ट भी उन्हीं प्रावीजन्स के अंडर में होगा। इस पेनसिल का एक भाग काला है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका दूसरा भाग भी काला ही होगा। यह चीज साधारण अक्ल से भी समझ में आ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आर्टिकिल ३२ और २११ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आर्टिकिल ३२ में इस बात को कहा गया है कि सिटीजन को अधिकार है कि अगर उसकी लिबर्टी या फन्डामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट को एप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है "सक्सेसफुली एप्रोच" कर सकता है। इसका मतलब

यह है कि वे रिलीफ अवश्य देंगे। हर दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में देता है वही उनको करना पड़ेगा। जबकि सक्सेसफुली श द यूज किया गया है तो यही इन्टरप्रिटेशन मालूम होत है। कम्प्लिकेशन्स होंगी, श्रीमन्, वह यह कि आर्टीकिल १९ (१) के अन्तर्गत जो फ्रीडम आफ स्पीच के अधिकार हैं....

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, क्या माननीय वीरसेन ही बोलते रहेंगे ? ये लीगल कमेटी के मेम्बर हैं और आप केवल लीगल कमेटी के मेम्बरों को ही बोलने देते हैं, औरों को नहीं ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप इनकी ही बात सुनना चाहते हैं। आप बाहर की बात नहीं सुनना चाहते हैं। आपने अभी कहा था कि माननीय राधेश्याम जी को भी आप बुलवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप धीरज रखिये। आप इस तरह से डिस्टर्ब करते रहेंगे, यह उचित नहीं है। कृपया आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—

हम बैठ तो जाते हैं। अभी एक हफ्ता हुआ था हमें निकाला गया था और आप फिर हमें निकाल सकते हैं इसलिये हमारा यहां पर बैठे रहना निरर्थक है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये। आपकी पार्टी के कई लोग बोल चुके हैं। यह नहीं हो सकता है कि हर मेम्बर को बुलवाया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जो आज्ञा आप देंगे, हम मानेंगे, लेकिन आपने स्वयं कहा था कि वीरसेन जी जब बोल लेंगे तो मैं बोलूंगा। जो आज आपने कहा, मैं जानना चाहता हूं उसकी अपील कहां होंगी ?

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि आप लोग बोलें। उन्हें सूचना मिल गयी है उस दफ्तर से कि कौन-कौन बोले।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, सब्र की भी हद होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जाइये। आप इस तरह की बातें करते हैं जिससे सदन में डिस्टर्बेन्स होता है।

श्री उग्रसेन—

आप हमारी विचारधारा को क्यों दबा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप उग्रसेन जी, नहीं मान रहे हैं। आप शान्ति से बैठिये। आप हर वक्त बीच में डिस्टर्ब करते हैं।

श्री उग्रसेन—

मैं तो समझता हूं कि हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर हम असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। आपसे नहीं कहूंगा तो किस से कहूंगा? राधेश्याम जी दो दिन से इन्तजार कर रहे हैं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्त रहिये।

श्री वीरसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकिल १९ ए में फ्रीडम आफ स्पीच की बात कही गयी है। १९ ए के ए मे यह कहा गया है कि कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के बारे में कानून बनाया जा सकता है और रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन लाग् किये जा सकते हैं। लेजिस्लेचर ने कोई कानून कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट डिफाइन करने के लिये या प्रोसीजर निश्चित करने के लिये नहीं बनाया? तब कोर्ट आ० २० और २१ के अधीन सजा नहीं दे सकती। यदि सदन द्वारा कन्टेम्प्ट पर सजा देने में नागरिक के अधिकार हनन होते हैं तो यह कैसे मुमकिन है कि कोर्ट द्वारा उसी प्रकार के अपराध में दण्ड देने से हनन नहीं होते?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। जरा शान्त रहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कौन डिस्टर्ब करता है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हल्ला करक।

श्री लखीसिंह—

सब सदस्य इस पर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री नवलकिशोर—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मुझे व्यवस्था पर नहीं बोलने दिया गया था। नवलकिशोर जी भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री नवलकिशोर—

मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो माननीय सदस्य बार-बार खड़े होते हैं काशीनाथ जी, उग्रसेन जी तथा राधेश्याम जी, इनको शान्त कीजिये।

श्री ईश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य अगर आग्रह करते हैं तो उसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट इस तरह से निकल गये। नाराज होने की बात नहीं है।

श्री वीरसेन—

आर्टिकिल २०, २१ और २२ का जिक्र किया गया। ये आर्टिकिल इस सदन के अधिकार क्षेत्र में हैं। किसी भी कार्य को यह सदन आफेन्स घोषित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ काम करता है, तो उस अपराध के लिये दण्ड का भागी होगा। दण्ड का प्रोसीजर आर्टीकिल २१ के अधीन सदन ही निश्चित करेगा। इससे स्पष्ट है कि यह दोनों आर्टिकिल १९४ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी प्रकार कम नहीं करते। आर्टीकिल २० और २१ का जिक्र किया गया है कि वह नहीं होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह सदन के अधिकार क्षेत्र में है कि जो सदन कानून बनायेगा और जो प्रोसीजर लागू करेगा वह माना जायगा। जो कानून बनेगा वही फंडामेंटल राइट्स होंगे।

श्रीमन्, अब एक दलील आर्टीकिल १९ के बारे में दी गई है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की, यानी अगर एक जनरल प्रावीजन है और एक स्पेशल प्रावीजन है तो जनरल प्रावीजन स्पेशल प्रावीजन को ईल्ड करेगा। श्रीमन्, आर्टीकिल १९४ स्पेशल प्रावीजन है और १९ (१) जनरल प्रावीजन है तो जनरल प्रावीजन स्पेशल प्रावीजन को ईल्ड करेगा। १९ (१) आर्टीकिल ईल्ड करेगा १९४ आर्टीकिल को। अब सुप्रीम कोर्ट की दलील देखिये। आर्टीकिल २०, २१, २२ या ३२ ये सब जनरल प्रावीजन्स हैं और १९४ स्पेशल प्रावीजन है तो उनकी दलील मेरी समझ में नहीं आई और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की भी समझ में नहीं आयेगी। अगर १९ आर्टीकिल जनरल है और वह सबमिट करता है १९४ आर्टीकिल को और आर्टीकल २०, २१, २२ और ३२ ये सब जनरल प्रावीजन हैं तो, लेकिन सबमिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं ईल्ड करेंगे? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे कहने का मतलब यह है कि जनरल प्रावीजन सदा ईल्ड करेगा स्पेशल प्रावीजन को और १९४ आर्टीकिल स्पेशल प्रावीजन है और दूसरे आर्टीकिल जो जनरल प्रावीजन के हैं तो वे सब के सब ईल्ड करेंगे १९४ को, जो स्पेशल प्रावीजन है, जबकि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात होती है। यह नहीं कह सकते हैं कि एक बार सिद्धान्त लागू होगा, दुबारा वह लागू नहीं होगा।

श्रीमन्, बहुत सी गुंजायश की बात है। आर्टिकिल २११ और २२६ पर भी इस आदरणीय सदन में बहुत चर्चा की गई है और कहा गया है कि इनका क्या असर होगा? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं इसलिये मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं। श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन के आर्टीकिल १२ में स्टेट की जो डेफीनीशन दी गई है वह गवर्नमेंट से मुताल्लिक है। यह कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि स्टेट के माने एक्सटेंड करके लेजिस्लेचर किया गया है। आर्टीकिल २२६ में शब्द 'गवर्नमेंट' का इस्तेमाल किया गया है और इसके माने लेजिस्लेचर के नहीं होते हैं तो गलत इंटरप्रिट करके कोशिश की गई है कि हाउस को इसके परव्यू में ले लिया जाय। इसी प्रकार २२६ में 'आथारिटी' शब्द आया है उसका क्या अर्थ है। 'आथारिटी' का अर्थ वह अधिकार है जो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर कार्य करने में इस्तेमाल किया जाय और जिस व्यक्ति या बाडी में वह अधिकार निहित है उसे भी अथारिटी कहा जाता है इस माने में श्रीमन्, हमारा सदन अथारिटी नहीं है, क्योंकि इस सदन की एडवायजरी कैपेसिटी है। यह लीगल प्रश्न है। इसको सजेशन (सलाह) देने का अधिकार है। जब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति अपनी कंसेन्ट नहीं देते तब तक कोई

[श्री वीरसेन]

कानून नहीं बन सकता है । इसलिये श्रीमन्, 'अथारिटी' शब्द में लेजिस्लेचर नहीं आ सकता है ।

(इस समय ३ बज कर १० मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

४० मिनट का समय रखा गया था किन्तु इनके ६० मिनट हो गये हैं ।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, डिस्टरबेंस भी बहुत हुआ है ।

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, आर्टीकिल २११ में जिक्र किया गया है कि जजेज के कंडक्ट को डिसकस नहीं किया जायगा । यह एक प्रोसीजरल ला है । इसमें यह आरगू किया जा चुका है । हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जिनके बारे में कहा गया है कि जजेज के कंडक्ट के बारे में अगर डिसकशन होगा तो वह इर्रेगुलर होगा या इल्लीगल होगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोसीजर इस हाउस में हो, वह इर्रेगुलर नहीं हो सकता है । सदन में जब माननीय सदस्य क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें किसी सिटिजन के अधिकारों का हनन नहीं है, सदन में कोई रिज्यूलूशन होता है, यदि कोई बिल बनता है तब भी उस प्रोसीजर का कोई असर नहीं होता है, उसका कोई लीगल एफेक्ट नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर गवर्नर के दस्तखत न हो जायें ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक आर्टिकिल २११, २१२ की बात है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस सन्दर्भ में आर्टिकिल १९४ है इसलिये इसके बारे में ही खास कर के बात करें ।

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, मैं उसी १९४ के बारे में कहना चाहता हूं, २११ व २१२ तो रिफरेन्स में आ गये थे....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, १९४ के बारे में तो एक वाक्य भी नहीं कहा है ।

श्री वीरसेन—

२१२ के अन्दर यह कहना कि इस हाउस की प्रोसीडिंग्स इल्लीगल हो सकती हैं, यह बिलकुल ठीक नहीं है ....

श्री अध्यक्ष—

मुझे मालूम हुआ है आपका १ घण्टा हो गया है, अब आप खत्म कर दें ।

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, इस समय के बीच में इन्ट्रप्शन बहुत हुए, उनमें बहुत समय चला गया ।

श्री अध्यक्ष—

खैर, ठीक है, फिर भी काफी समय हुआ । अब आप जल्दी खत्म कर दें ।

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, इन्टरप्शन होने की जिम्मेदारी मेरी थोड़े ही है ?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब आप ५ मिनट में खत्म कर दीजिये ।

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि २१२ के अन्दर हमारी प्रोसीडिंग्स इर्रेगुलर नहीं हो सकती थीं। १९४ (३) के मातहत वह प्रोटेक्टेड हैं ।

एक बात मैं रिट्स के बारे में कहना चाहता हूं कि रिट्स कब दाखिल हो सकते हैं। रिट्स के बारे में यह बात होल्ड की गयी है कि अगर, सुप्रीम कोर्ट की राय में उसका जिक्र है, किसी सदस्य के खिलाफ रिट की जाये इस सदन की प्रोसीडिंग्स के सिलसिले में, तो वह रिट कन्टेम्प्ट होगी। तो मुझको यह बात समझ में नहीं आयी कि २८ जजों ने बैठ कर, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने जिन्होंने प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया, श्री चन्द्रजीत यादव और डाक्टर अहमद, आदि के खिलाफ ऐक्शन लिया है, यह रिट उनके सदन के कार्य के सम्बन्ध में है अतः कन्टेम्प्ट है ।

आखिर में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि इस ओपीनियन के बारे में यह स्पष्ट है कि इसको वह मान्यता नहीं दी जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट की राय की होनी चाहिये क्योंकि यह ओपीनियन बहुत डिफेक्टिव है, इल्लोजिकल आर्ग्यूमेन्ट्स पर आधारित है । इस ओपीनियन को, मैं समझता हूं, इसका जो अधिकार हमें मिलता ह १९४ के अनुसार माना जाये और दूसरा यह है कि इस अधिकार को उस तरह से ट्रीट किया जाये जिस तरीके से अमेरिका में एक बार जैक्शन प्रेसीडेंट ने ट्रीट किया था।

मैं सिर्फ डाइसी सेंटेंस डाइसी के कांस्टीट्यूशन के पेज १७७ पर जान मार्शल के जजमेंट के बारे में पढ़ना चाहता हूं:—

"John Marshall delivered his judgment, let him now enforce it, if he can and the judgment was never put into force."

यह ओपीनियन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दे दी। मेरा खयाल है कि सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन को कोई मान्यता नहीं देनी चाहिये और जो अधिकार हमें १९४ में हैं उनके ऊपर चलना चाहिये। साथ ही एक्जीक्यूटिव का भी फ़र्ज है, क्योंकि वे सदन के लिये रिस्पांसिबिल हैं, इसलिये वे इस सदन को सपोर्ट करें और जो जुडीशियरी की ओपीनियन है उस को आपरेट न करें। हालांकि मुझे एकाध बात और कहनी थी, लेकिन मैं अब खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी कम्युनिस्ट और पी० एस० पी० के लोग नहीं बोले हैं ।

(श्री राघेश्याम शर्मा के खड़े होने पर)

हम आप को भी मौक़ा देंगे। मैं वादा करता हूं कि आप को मौक़ा मिलेगा, लेकिन दूसरों का हक़ मारकर नहीं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं प्रार्थना करता हूं कि २ घंटे का समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अभी इनकी बात तो समाप्त होने दीजिये। एक प्रार्थना यह जरूर है कि अब सारा ग्राउन्ड कवर हो चुका है जो इस प्रश्न के सम्बन्ध में है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हम लोगों को बोलने के लिये मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

एस० एस० पी० के तीन सदस्य बोल चुके हैं, जनसंघ के केवल २ बोले हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं एस० एस० पी० में नहीं हूं इसलिये मुझे मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इसमें लिख कर देने की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरे बैठ जाने पर मुझे बतायेंगे कि मुझे क्यों नहीं मौक़ा मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ तो जाइये।

(श्री चन्द्रबलीसिंह ने स्थान ग्रहण किया।)

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के सामने एक विशेषाधिकार के गम्भीर प्रश्न पर विचार हो रहा है और यह सदन आज दूसरी बार इस पर विचार कर रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट की राय आने से पहले जब यहां के हाईकोर्ट से और हमारे विधान मंडल से, विशेषाधिकारों में टक्कर हुई और हमने उसे एक गम्भीर प्रश्न समझा कि जनतंत्र के अन्दर इस सदन के माननीय सदस्यों को संविधान ने और जनवादी परम्पराओं ने जो अधिकार दे रखे हैं उनके ऊपर उच्च न्यायालय के उस निर्णय से, जो हमारे सामने है, कुठाराघात होता है, हमने उसे गलत समझा और उसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया। इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये राष्ट्रपति ने उसे उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया। उसकी राय जानने के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि जनवाद के अन्दर जहां तक जनता की राय का क्या महत्व है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सारे देश के अन्दर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया गया और लोगों की राय इस सवाल पर आयी। जब उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय दे दी तो आज दोबारा हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और आज इस प्रश्न के ऊपर हमारे जो विचार हैं। उसे कानूनी गुत्थियों और पेचीदगियों से ऊपर उठा कर रखना चाहिये और हमें भी कांस्टीट्यूशन और लीगल जगलरीज से ऊपर उठ कर उस पर विचार करना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय दे दी और यह प्रश्न उस दायरे से आगे निकल गया। जनतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर, अपने संविधान के अन्दर जो प्रशासन का मुख्य अंग है, उनकी कद्र करना और उनकी प्रतिष्ठा, उनके सन्तुलन को बनाये रखना और जनतंत्र की नींव मजबूत रखना, इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद आज इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। यह कोई कम महत्व का प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि हम इस तथ्य पर विचार करें तो बड़ी गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में ही इस सदन के अन्दर मुझको २, ३ राय दिखाई पड़ती है। एक राय तो यह है कि जो इस सदन के विशेषाधिकारों को कोई महत्व नहीं देते हैं और इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों की और उनके अन्तर्गत उनके अधिकारों की क़दर नहीं करते हैं और न्यायालय के हाथ में इस सदन की गरिमा और गौरव को सुपुर्द करना चाहते हैं।

दूसरी राय इसके विपरीत है। जो हमारे अपने संविधान के अन्दर एक न्यायालय स्थापित है, जुडीशियरी स्थापित है वह भी हमारे प्रशासन का एक आवश्यक अंग है। उसके गौरव और गरिमा को, उसके महत्व को हमें जो उचित स्थान देना चाहिये, उससे हट कर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों में सन्तुलन होने के बाद सुदृढ़ नींव को कायम करने के लिये देश के अन्दर जनवाद अभी पनप रहा है, अभी वह शैशवावस्था में है, उस को परिपक्व करने के लिये आवश्यक है कि हम ऐसे रास्ते पर चलें जिससे यह धारणा जनता के अन्दर पैदा न हो कि जनवाद के अन्दर विधान मंडलों को कोई विशेषाधिकार नहीं है और जिस विधान मंडल को, देश की जनता चुन कर भेजती है, वह उस के प्रति विजिलेन्ट नहीं है, सतर्क नहीं है। दूसरी तरफ यह भी है कि हमें जनमत में ऐसी धारणा पैदा नहीं करनी चाहिये कि न्यायपालिका को हम उचित स्थान नहीं दे रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। अगर यह धारणा पैदा होगी तो यह देश के लिये और जनतंत्र के लिये खतरनाक बात होगी। मैं इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहता हूं।

सदन के अन्दर जब पहले इस पर विचार किया गया तो कुछ माननीय सदस्यों की यह राय थी कि जो भी हमारे संविधान के १९४ (३) में हमको अधिकार प्राप्त हैं, जिनको हमने हाउस आफ कामन्स से लिया है उसके बारे में तरह-तरह के भ्रम यहां पर पैदा किये गये। कुछ लोगों ने समझा कि हमें कोई न्यायिक अधिकार नहीं हैं, हम किसी को सजा नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न उठाया कि चूंकि हाउस आफ कामन्स कोर्ट आफ रिकार्ड है, वहां पर कमिट करने के लिये जो उसको अधिकार है, वह हमको नहीं है। प्रश्न यह भी उठाया गया कि यदि हम किसी को सजा देते हैं तो उस को जेल के अन्दर नहीं रख सकते। क्योंकि हाउस आफ कामन्स का अपना टावर है, हमारे पास नहीं है तो हम जेल नहीं भेज सकते। प्रश्न यह भी उठाया गया कि बगैर उसको बताये हुये हम कोई वारन्ट इशू नहीं कर सकते। इसमें नेचुरल जस्टिस का सवाल उठाया गया। सवाल यह भी उठाया गया कि जब भी न्यायालय चाहें वह हमारे किसी स्टेज पर दखल दे सकता है। मौलिक अधिकारों का भी प्रश्न उठाया गया और इसके साथ विशेषाधिकार के अधिकारों का भी प्रश्न उठाया गया। मुझे इस बात की खुशी है और मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को नजरन्दाज किया गया है और जिस तरह से उसने अपनी राय दी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गम्भीरतापूर्वक वहां पर विचार नहीं किया गया। हमारे ला मिनिस्टर ने जो कुछ केन्द्र से हमारे विशेषाधिकार के विषय में कहा था, मैं समझता हूं वह सही था। उच्चतम न्यायालय की राय आने के बाद, मैं यह समझता हूं कि जितनी गम्भीरता के साथ उन को विचार करना चाहिये था, उतनी गम्भीरता से नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केशवसिंह के केस में जिस प्रकार से निर्णय दिया है उसमें अधिकांश केवल एक बात को छोड़ कर सारी की सारी हमारी मान्यताओं का समर्थन किया है और मान लिया है। इसलिये मैं उस निर्णय से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि कौन सी मान्यतायें न्यायालय ने स्वीकार की हैं।

पहला सवाल उठाया गया था नेचुरल जस्टिस का कि कोई सजा हम बगैर किसी को स्पष्टीकरण दिये हुए इस प्रकार से नहीं दे सकते और हमारे एडवोकेट जनरल ने सलाह दी थी कि साहब आपने जो वारन्ट इशू कर दिया या इस प्रकार से बुला कर सदन में सजा देते हैं तो

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आप नेचुरल जस्टिस के खिलाफ यह काम करते हैं। उनकी उस राय के लिये भी न्यायालय ने कहा कि यह बात नहीं है। श्रीमन्, आप देखें। यह दो, तीन प्रश्नों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के सामने जो पेश हुए। उसमें हमारी नियमावली के दो नियम कोट किये गये थे ७४ और ७६, कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हैं। इस पर राय देते हुए इस बेंच ने कहा—

"It cannot be challenged on the ground of violation of the principles of natural justice. With regard to the second ground, it is unnecessary in the present case....."

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में तो उन्होंने कहा कि:

"With respect to the first ground it is sufficient to say that rules of natural justice only apply when the statute or statutory rules are silent as to the procedure....."

श्री चन्द्रजीत यादव—

तो इस प्रकार उन्होंने श्रीमन्, नेचुरल जस्टिस के प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया।

दूसरा प्रश्न यह था कि क्या हम कमिट कर सकते हैं। हम सोल जज हैं अपने प्रिविलेज के। इस पर उनकी राय बड़ी आवश्यक है। इस संबंध में राय देते हुए उन्होंने कहा कि—

"The petitioner is not entitled to challenge the commitment either on the ground of violation of the principles of natural justice or on the ground that the facts found by the Legislative Assembly do not amount to its contempt. Once we come to the conclusion that the Legislative Assembly has the power and jurisdiction to commit for its contempt and to impose the sentence passed on the petitioner, we cannot go into the question of the correctness, propriety or legality of the commitment."

जब हम ने कोई निर्णय कर लिया तो किसी न्यायालय को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह उस प्रश्न को देखे। हमने सजा गलत दी या सही, इसे देखने का अधिकार न्यायालय को नहीं है, इसे उन्होंने अपहोल्ड किया।

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि वैधानिक आपत्ति भी नहीं उठायी जा सकती उस सम्बन्ध में।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आगे उन्होंने कहा है कि—

"This court cannot, in a petition under Article 226 of the Constitution, sit in appeal over the decision of the Legislative Assembly, committing the petitioner for its contempt. The Legislative Assembly is the master of its own procedure and is the sole judge of the question whether its contempt has been committed or not."

यह हमारा दावा था और इसे अपहोल्ड किया इलाहाबाद के उच्चतम न्यायालय ने।

तीसरा प्रश्न यह उठाया गया कि हम जेल नहीं भेज सकते। उन्होंने इस बात को कहा कि—

"The Legislative Assembly also has a similar power to confine any person, whom it commits for breach of its privilege, in any prison."

हमारी सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर लीं। इसके बाद जब यह प्रश्न उठाया गया कि बिना

कारण बतलाये हम वारंट इश्यू कर सकते हैं तो उन्होंने अपहोल्ड किया कि हां, यह अधिकार है विधान सभा को, जैसा कि हाउस आफ कामंस को है।

यह भी सवाल था कि क्या बिना मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कराये हुए हम किसी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं। हमने कहा था कि जब हम किसी व्यक्ति को सजा देते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा और गौरव से नीचे की यह बात है कि हमारी सजा दिये हुए व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय और वह देखे कि यह कहीं अनुचित तो नहीं हुआ है। अगर अनुचित हो तो वह उसे छोड़ सकता है, इसके माने यही हैं। यह प्रिविलेज केस में होल्ड किया जा चुका है क्योंकि यही वर्डिग हैं। वह देखेगा कि कहीं गलत वारंट तो नहीं इश्यू हो गया है। उन्होंने इसमें होल्ड किया कि जब वह जन प्रतिनिधियों की संस्था है वह अगर इस प्रकार की सजा देती है तो उसके लिये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाउस आफ कामंस को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि यह अधिकार सदन को है।

मगर न्यायाधीशों ने पार्टली इस बात को माना है कि हम को सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि हाउस आफ कामंस को हैं, लेकिन फिर पार्टली उसे रिजेक्ट करने की कोशिश की है जब वह यह कहते हैं कि हम उसे मैलाफाइडी ग्राइउन्ड्स पर देख सकते हैं तो पार्टली ऐक्सेप्ट करना और पार्टली उसे रिजेक्ट करना, मैं समझता हूं कि यह बात मानी नहीं जा सकती। मैं इसको मानने से इन्कार करता हूं। श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो मौलिक खतरा है वह दो प्रकार का है। एक तो यह, जैसा कि बड़ी खबसूरती के साथ हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह कहने की कोशिश की कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकार और विधान मंडलों के अधिकारों के बीच टक्कर है और हम रक्षक के रूप में खड़े हैं और देश के नागरिक सतर्क हों वरना ये विधान मंडल हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो वास्तविकता थी उस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। आखिर में मौलिक अधिकार किसने दिया है? इस देश की जनता ने। किसने दिये हैं अधिकार देश के नागरिकों को? इस देश की जनता ने स्वयं हासिल किये हैं और इसलिये हमारे विधान के अन्दर यह आवश्यक समझा गया कि हम इस बात को प्रस्तावना में कहें कि "हम भारत के लोग" और आखिर में उन्होंने कहा कि "राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान-सभा में ....एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" तो इसमें "स्वयं" शब्द है, यानी जनता ने अपने अधिकारों को दिया। तो जब मौलिक अधिकार हमने दिया तो कहीं प्रतिबन्ध नहीं लगाया? मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद १९ में दिये हैं और उसी अनुच्छेद के दूसरे खण्ड में प्रतिबन्ध भी लगा दिया। कोई नागरिक हो, उसको अधिकार है कि अपनी बात को कहे, उसको आजादी है, उस को संगठन बनाने की आजादी है, मीटिंग करने की आजादी है, लेकिन इस बात की आजादी नहीं है कि वह किसी सार्वजनिक मीटिंग के अन्दर राजद्रोह का भाषण दे। इस बात की आजादी नहीं है कि किसी सार्वजनिक मीटिंग के अन्दर किसी मित्र देश के खिलाफ दुर्भावना जनता के अन्दर पैदा करे। इसकी आजादी नहीं है कि कोई ऐसा संगठन बनाये जो देश की सत्ता और आजादी के लिए खतरा पैदा करता हो। १९ (२) के अन्दर प्रतिबन्ध लगा दिया। लेकिन उसी जनता ने अपने जन-प्रतिनिधियों के द्वारा जब इस विधान मंडल की रचना की तो उसी संविधान में की। लेकिन हम समझते हैं कि जनवाद की आधारशिला हमारे विधान मंडल होंगे, हमारी संसद होगी, इसलिये हम संसद को मूल अधिकारों के ऊपर विशेषाधिकार प्रदान करते हैं १९४ (३) के प्रथम और दूसरे खंड में। चन्द्रजीत यादव अगर भाषण देते हैं तो दे सकते हैं लेकिन अगर उस भाषण में वे कोई ऐसी बात कहते हैं जो राज-द्रोह पैदा करती है तो मेरे ऊपर केस चल सकता है। मैं किसी न्यायालय के खिलाफ बोलूं तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर इस सदन के सदस्य की हैसियत से भाषण दूं राजद्रोह का तो कोई केस नहीं चल सकता या किसी अदालत की मानहानि का भाषण दूं तो कस नहीं

[श्री चन्द्रजीत यादव]

चल सकता। इसी संविधान ने विशेषाधिकार अपने इस सदन के सदस्यों को, इसलिए दे रखा है ताकि जिस जनवाद की शिला को हमने रखा है उसकी परम्परा को हम कायम रखना चाहते हैं कि वह मजबूत हो। तो क्या मौलिक अधिकारों और इस सदन के सदस्यों के अधिकारों के बीच में फर्क नहीं किया? फर्क किया। इसीलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न उठा कर कि हम मौलिक अधिकारों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, यह उच्चतम न्यायालय ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, देश को गुमराह करने की कोशिश की है। हम, जो कि जनतंत्र के हितैषी हैं, जो चाहते हैं कि जनतंत्र मजबूत हो, जो चाहते हैं कि जनतंत्र की जड़ें यहां और गहरी हों, आज हमें इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं बदकिस्मती से इस राय का होते हुए भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिये नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही लचर है। यह प्रस्ताव दो भ्रम पैदा करता है। यहां के कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों से हुआ है। उनका कहना है कि १९४ (३) के अन्दर हमें वे सारे विशेषाधिकार मिले हुये हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और जब किसी कानून की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा हो गयी तो वह चाहे सही हो या गलत हम हमें उसे स्वीकार करना चाहिये। इसी तरह हम जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का संतुलन कायम रख सकते हैं। उनकी राय को हमें मानना पड़ेगा। हम को अधिकार, यदि हम उन की राय से सहमत नहीं हैं तो दूसरे हैं। हम यह कह सकते हैं कि हम उनकी राय से सहमत नहीं हैं, जो व्याख्या उन्होंने की है उससे हमारे विशेषाधिकारों पर हमला हो सकता है, हमारे कामों में रुकावटें पड़ सकती हैं और उसके लिये हमको एक दूसरा अधिकार प्राप्त है, संविधान में संशोधन करने का। हम को स्पष्ट तरीके से यह कहना चाहिये कि जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे हमारे विशेषाधिकारों पर असर पड़ता है और संविधान में संशोधन किया जाय। मैं, मान्यवर, इस संकल्प की भाषा से सहमत नहीं हूं। इस संकल्प में जहां यह कहा गया है कि "यदि आवश्यकता समझी जाय, तो संविधान में उचित संशोधन या स्पष्टीकरण करने के लिये कार्यवाही की जाय।" मैं इससे सहमत नहीं हूं। "यदि आवश्यकता समझी जाय" इसकी जगह हमको स्पष्ट कहना चाहिये कि "संशोधन किया जाय"। इन शब्दों के रहने की आवश्यकता नहीं है। इनको निकाल देना चाहिये। हमको यह स्पष्ट कहना चाहिये कि संशोधन किया जाय और स्पष्टीकरण हो। हमने जनवादी परम्पराओं को कायम किया है। उसके अधीन न्यायालयों की राय की हमें कद्र करना पड़ेगी, किन्तु जो दूसरे रास्ते हम को प्राप्त हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिये।

श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे तकलीफ हुई, खास कर माननीय नायर साहब के। उन्होंने कहा कि हम सदन के अन्दर जब बैठते हैं तो हमारा जुडीशस एप्रोच नहीं होता, दूसरे यहां पर अंगूठा टेक लोग भी चुन कर आ जाते हैं, इसलिये जो कानून के पंडित हैं उन की राय हमें माननी चाहिये। यह बात बुनियादी तौर पर जनवाद के अन्दर अविश्वास पैदा करने वाली बात है। यह हमारे और विधान मंडल के गौरव के खिलाफ बात है। माननीय नायर साहब को सोचना चाहिये कि आखिर संविधान दिया किसने है? उसके अन्दर अगर संशोधन का अधिकार किसी को है तो वह हम ही को है। जुडिशियरी पर ब्लाइन्ड फेथ रखना और यह कहना कि उनसे गलती नहीं हो सकती, ठीक बात नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे भी अवसर आये हैं कि जुडिशियरी ने जनता की भावनाओं के खिलाफ मत व्यक्त किये हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे कि अमेरिका में, प्रसीडेंट रूजवेल्ट ने एक बार एक प्रगतिशील कार्यक्रम बनाया अपने यहां के लिये और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसके खिलाफ अपना मत दिया। उस वक्त राष्ट्रपति ने कहा कि यदि जजेज इसका विरोध करेंगे तो हम डट कर उनका मुकाबला करेंगे और मैं नये जजों को नियुक्त कर दूंगा अगर वे हमारे रास्ते में आते हैं। उस वक्त उनको जनता का समर्थन मिला। जजेज उस वक्त जनता

की भावना को नहीं पहिचान रहे थे। श्रीमन्, मैं यह नहीं कहता कि हमारे जजेज भी आज उसी पथ पर हैं परन्तु उनको जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था, उन्होंने वह नहीं अपनाया।

श्रीमन्, अब प्रश्न यह है कि आज ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई है ? जो यह डर जनता के दिमाग में है हमें उसकी गारन्टी भी जनता को देनी होगी। हमारे बहुत से काम कार्यपालिका करती है। हमारे अधिकारी भी ऐसा काम करते हैं जिसमें जनता की भावना बनी हुई है। अगर कार्य-पालिका कोई गलत काम करती है, हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला करती है, हमारे साथ ज्यादती करती है, तो हमारे यहां जो न्यायालय हैं उनसे हमें न्याय मिलता है। यह धारणा हमारे देश के अन्दर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमारे न्यायपालिका के मान, गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रहार या कुठाराघात किया। तो देश के अन्दर जो अव्यवस्था पैदा होगी वह सम्हाले नहीं सम्हलेगी। इसको मजबूती के साथ सोचना चाहिये....

श्री अध्यक्ष—

२० मिनट हो गये। जरा ध्यान रखिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

बदकिस्मती से १७–१८ साल के कांग्रेस के प्रशासन के अन्दर ऐसी अव्यवस्था आई जबकि लोगों की यह धारणा हुई। अभी केरल के अन्दर हुई। केरल के अन्दर आप जानते हैं, वहां वामपक्षी लोगों की जीत हुई। मैं उनकी नीति से सहमत नहीं। आज जनता का सवाल है कि केरल के अन्दर जनतन्त्र के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है। जनतन्त्र के सिद्धान्तों को अवहेलना करके आप जनता की अवहेलना करते हैं। लोगों में इससे भय का वातावरण हो गया है। यह माना जाता है कि बहुमत का प्रभाव होता है, परन्तु इस बहुमत के भय के कारण हमें जनतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों को नहीं भूलना चाहिये। अगर इस प्रकार की गलतियां शासकीय दल की ओर से होंगी तो भी हम ऐसे जनवाद के तरीकों से उसका भी मुकाबिला करेंगे। मैं इसलिये कहना चाहता कि ऐसे लोग जिनके दिमाग में ऐसा भय पैदा होता है। उनको इस डर में नहीं डालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जस्टिस पार्क ने भी यही कहा था कि गलतियां हो सकती हैं परन्तु उसका यह मतलब नहीं कि अधिकार छीन लिये जायं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री चन्द्रजीत यादव—

अभी श्रीमन्, आप लाल बत्ती न दिखलायें।

श्री अध्यक्ष—

२५ मिनट आपके भाषण को हो गये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, इसी प्रश्न पर मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का मैं आपको कोटेशन देता हूं। वह यह है कि—

"Representative Bodies must necessarily vindicate their authority and this must look in the process of committal for contempt."

वहां के प्रसिद्ध एक निर्णय के अन्दर कहा गया है कि यह आवश्यक है कि जब स्वयं हमने ऐसे प्रजातान्त्रिक ढांचे को बनाया है उसके अन्दर जनता की संस्थायें हों, और उनको यह अधिकार मिलना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

और उनको अथारिटी होनी चाहिये। अब मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि हमको इस प्रश्न पर विचार करते हुये कोई ऐसा काम इस सदन में नहीं करना चाहिये कि जिससे जनता की इस धारणा को बल मिले कि हमारे अन्दर अपने न्यायालयों के प्रति आस्था और आदर नहीं है। मैं इस सन्दर्भ में माननीय जस्टिस सरकार की सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने यह जो वैधानिक पेचीदगी पैदा हुई, उसकी गंभीरता को महसूस किया और हमको भी इस संघर्ष की गम्भीरता को महसूस करके ही कोई कदम उठाना चाहिये जिससे कि किसी के अन्दर कोई गलत धारणा न पैदा हो। मैं यह चाहता हूं कि हमारा यह सदन अपने देश की संसद से भी इस बात की प्रार्थना करे कि यह गंभीर प्रश्न जो देश के सामने पैदा हो गया है, इसकी गम्भीरता को देखते हुये इसके ऊपर विचार किया जाय, और मैं तो यह कहूंगा कि यदि आवश्यकता हो तो पूरे देश के माने जाने जन प्रतिनिधियों की और अपने कानून के पंडितों की एक कान्फरेंस बुलाई जाय और ऊंचे पैमाने पर इसको डिस्कस किया जाय कि किस तरह से हम इस चीज को सन्तुलित करें। हम नहीं चाहते कि एक क्षण के लिये भी अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हम हमला करें। हम हमेशा इस बात के लिये सतर्क रहना चाहते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार अक्षुण्ण रहें। उनके ऊपर जिस कार्नर से भी हमला होगा हम उससे लड़ेंगे। इसलिये यह जो भ्रम फैलाया गया है उच्चतम न्यायालय की तरफ से, उसका हमें निराकरण करना चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम अपने विशेषाधिकारों के बारे में भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 'टची', बहुत नहीं होना चाहिये। आप देखें कि अमेरिका के अन्दर सौ, डेढ़ सौ साल से सिनेट और कांग्रेस चल रही है, कोई विशेषाधिकार उनको प्राप्त नहीं है, लेकिन उनका सब काम ठीक चल रहा है। हाउस आफ कामन्स को देखें पिछले सौ साल से कोई ऐसा गंभीर प्रश्न उनके सामने नहीं आने पाया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं हम गलतियां कर सकते हैं। हमारे मतदाताओं को इस बात का अधिकार रहना चाहिये कि अगर हम गलतियां करें और वह जरूरी समझें तो हमको एक्सपोज कर सकें और हमारे अन्दर भी यह चीज होनी चाहिये, कि हम उस एक्सपोजर को बर्दाश्त करें, न कि सदन की शरण में आकर, सदन के विशेषाधिकार की आड़ लेकर हम अपने को बचायें। यह हम नहीं चाहते। हमसे गलतियां होती हैं और आम जनता या हमारे मतदाता उसकी आलोचना करते हैं तो हमें उस पर टची नहीं होना चाहिये। बहुत सम्हाल कर बहुत संजीदगी से हमें कार्यवाही करनी चाहिये। तो श्रीमन्, यह जो प्रश्न आज हमारे विधान मंडलों के सामने प्रस्तुत है इसको देखते हुये हमें एक सही रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिये और संविधान के अन्दर संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन किस प्रकार से किया जाय, हमारे संविधान के निर्माताओं की जो मंशा थी, उसके अनुरूप किस तरह हम अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करते हुये अपने काम को ठीक से कर सकें, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिये कि उच्चतम न्यायालय और दूसरे जो न्यायालय हैं उनके अन्दर भी यह धारणा नहीं आने देनी चाहिये कि न्यायालयों में हमारी आस्था नहीं है, या हम अपने विशेषाधिकार का लाभ उठाकर न्यायालयों पर आक्रामक होना चाहते हैं। इस प्रकार से एक संतुलित ढंग से हमको चलना चाहिये। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सुना और अपनी बात कहने का अवसर दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चन्द्रजीत यादव आपकी उस लीगल कमेटी के मेम्बर थे जो आपने बनायी थी इस सदन के सदस्यों की और कानूनी सलाहकार समिति की ओर से जैसी कि आपने घोषणा की थी यह प्रस्ताव है। तो क्या उस कमेटी का कोई सदस्य उस प्रस्ताव का यहां इस सदन में विरोध कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी बहस सुनकर अगर कोई आदरणीय सदस्य अपना मत बदल दे, तो उसमें कुछ बुराई है ? यहां बहस इसीलिये होती है कि आप एक दूसरे पर प्रभाव डालें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब तक उस कमेटी से माननीय चन्द्रजीत जी इस्तीफा न दे दें, तब तक उसके विरोध में बोलने का उनको हक नहीं है और अगर बोलते हैं, तो अनुशासन को तोड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप बैठें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक न्यायपालिका के अधिकारों का सवाल है वह भी अधिकार सुरक्षित होना चाहिये और जहां तक लेजिस्लेचर का संबंध है, उसके भी अधिकार सुरक्षित होना चाहिये और मैं महसूस करता हूं कि प्रेसीडेंट ने जो रेफरेंस किया है, उस पर अगर ठीक तरीके से ध्यान दें, तो पता चलेगा कि क्या जुडिशियरी को जो मामला रेफरेंस में दिया गया था, उसने उसके मुताबिक, अपने क्षेत्राधिकार के मुताबिक काम किया है या उसने लेजिस्लेचर के क्षेत्राधिकार के अन्दर इन्क्रोचमेन्ट किया है । जहां तक सवाल है क्षेत्राधिकार के इनक्रोचमेंट का, मैं इस मत का हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्षेत्राधिकार के अन्दर अतिक्रमण किया है और यह मैं इसलिये कहता हूं कि जो इश्यूज़ रेफर किये गये हैं, ओपिनियन के लिये उनके ऊपर अगर आप दृष्टि डालेंगे, तो पायेंगे कि मामला फंडामेन्टल राइट्स का नहीं था, बल्कि एक तरीके से फंडामेन्टल राइट्स को उसके अन्दर घसीटा गया है । मामला केवल जुडिशियरी और लेजिस्लेचर का था, लेकिन जजेज़ की जो यह भावना थी कि जनमत को कैसे अपनी तरफ करें, यह जो उनका ऐक्शन था, जिसके कारण संसद और विधान सभाओं में तथा देश में यह भावना पैदा हुई, कि हम आज विधान का संशोधन करें या न करें, यह बिलकुल गलत था । मैं इस पक्ष का हूं कि विधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वह अपनी जगह पर सक्षम है और उसने लेजिस्लेचर को जो पावर्स दिये हैं, तथा जुडिशियरी को जो पावर्स दिये हैं, उनके क्षेत्राधिकार को सही तरीके से सीमित कर दिया है । एक बवाल पैदा करने के लिये जजेज़ ने इसमें फंडामेन्टल राइट्स का प्रश्न ला दिया । मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर कोई मुझ पर चोरी का इलजाम लगावे और अगर मैं चोर हूं तो मैं अपनी चोरी को छिपाने के लिये चार गवाहों को अपने माफिक करके अदालतों में बयान दिलाने की कोशिश करता हूं, जिससे मेरी चोरी छिप सके, उसी तरीके से जुडिशियरी ने मौलिक अधिकार के प्रश्न को लाकर के हमारा जो मूलभूत प्रश्न था, उसको देश की जनता की निगाह से अलग करने की कोशिश की । मैं आपका ध्यान सुप्रीमकोर्ट की ओपिनियन के पेज ३ पर दिये गये रेफरेंसेज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें प्रश्न यह है कि—

(1) Whether, on the facts and circumstances of the case, it was competent for the Lucknow Bench of the High Court of Uttar Pradesh consisting of the Hon'ble Mr. Justice N. U. Beg and the Hon'ble Mr. Justice G. D. Sehgal, to entertain and deal with the petition of Mr. Keshav Singh challenging the legality of the sentence of imprisonment imposed upon him by the Legislative Assembly of Uttar Pradesh for its contempt and for infringement of its privileges and to pass orders releasing Mr. Keshav Singh on bail pending the disposal of his said petition;"

मैं आपका ध्यान खासतौर से इन शब्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—

"Challenging the legality of the sentence of imprisonment imposed upon him by the Legislative Assembly of Uttar Pradesh for its contempt and for infringement of its privilege and to pass orders releasing Mr. Keshav Singh on bail pending the disposal of his said petition."

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

मसला यह है कि हमने किसी को अपने अवमान के लिये दोषी पाया, और उस कारण उसको सजा दे दी। रेफरेंस यह है प्रेसीडेंट का कि क्या यह बेल जो ग्रान्ट की गई, वह सही की गई या गलत की गई और क्या जुडिशियल एग्जामिनेशन का राइट किसी भी हाईकोर्ट को है या नहीं ? हमारे क्षेत्राधिकार में जो हमको राइट्स दिये गये हैं, उनके अन्दर क्या किसी को हक है कि एन-क्रोचमेन्ट कर सकता है, चाहे जुडिशियरी हो, या देश का कितना ही बड़ा कानून का पंडित क्यों न हो ? दूसरा रिफरेंस इस प्रकार है—

(2) Whether, on the facts and circumstances of the case, Mr. Keshav Singh by causing the petition to be presented on his behalf to the High Court of Uttar Pradesh as aforesaid, Mr. B. Solomon, Advocate, by presenting the said petition and the said two Hon'ble Judges by entertaining and dealing with the said petition and ordering the release of Shri Keshav Singh on bail pending disposal of the said petition committed contempt of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh."

इसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने पेटीशन इन्टरटेन कर ली तो यह लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट हुआ या नहीं ? तीसरा, चौथा और पांचवा रेफरेंस इस प्रकार हैं—

"(3) Whether, on the facts and circumstances of the case, it was competent for the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to direct the production of the said two Hon'ble Judges and Mr. B. Solomon, Advocate, before it in custody or to call for their explanation for its contempt;

(4) Whether, on the facts and circusmtances of the case, it was competent for the Full Bench of the High Court of Uttar Pradesh to entetain and deal with the petitions of the said two Hon'ble Judges and Mr. B. Solomon, Advocate, and to pass interim orders restraining the Speaker of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh and other respondents to the said petitions from implementing the aforesaid direction of the said Legislative Assembly, and

(5) Whether a judge of a High Court who entertains or deals with a petition challenging any order or decision of a Legislature imposing any penalty on the petitioner or issuing any process against the petitioner for its contempt or for infringement of its privileges and immunities or who passes any order on such petition commits contempt of the said Legislature and whether the said Legislature is competent to take proceedings against such a Judge in the exercise and enforcement of is powers, privileges and immunities."

मेरा कहना यह है कि अगर आप रेफरेंस को देखें तो पायेंगे कि सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज के सामने रखा गया, उसमें हमारे लेजिस्लेचर को जो सजा देने का अवमान के लिये अधिकार है, उसके या जो बेल किया है, उसके कुछ सैलियेंट प्वाइन्ट्स रख दिये गये, जिनको सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना था, लेकिन उनके ऊपर एग्जामिनेशन न करके बीच में फन्डामेन्टल राइट्स की बात ला करके उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि इससे जुडिशियरी की नीयत अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसको हिन्दुस्तान या दुनियां का कोई भी व्यक्ति जूरिसप्रूडेंस के अन्दर नहीं कह सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

आप उनकी नीयत के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। वास्तविकता की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

श्री उग्रसेन--

माननीय नेकराम शर्मा जी ने तो अपनी बहुत बड़ी-बड़ी व्यवस्थायें दे दी हैं, नरसिंह नारायण जी ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। उनको कह लेने दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जहां तक नेचर आफ ओपीनियन का सवाल है, १४३(१) के अन्तर्गत प्रेसीडेन्ट ने रिफरेन्स किया। मेरा कहना यह है कि १४३(१) में हमें यह हक है, जो हमें हमारे विधान ने दिया कि हम राय दें, जजेज राय दें, सुप्रीम कोर्ट राय दे या न दे। श्रीमन्, इसी के अन्तर्गत यह रिफरेन्स किया गया। श्रीमन्, यदि आप १४३(२) को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें "मे" और "शैल" शब्दों का प्रयोग हुआ है। १४३(१) में जो रिफरेन्स किया गया है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में मेरी राय में यह है कि उनका यह जुडीशियल जजमेंट नहीं है। इसलिये इसको मैं कहता हूं कि यह ला आफीसर की रिपोर्ट है और इसीलिये एक एडवाइजरी ओपीनियन है। इसके लिये मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं। १९१२ में प्रिवी कौंसिल ने एक फैसला दिया था। उन्होंने राय व्यक्त की है, उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी वही राय दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में उस चीज को होल्ड किया है। 'हिन्दू वीमन' और 'केरल ऐजूकेशन बिल' आदि के सिलसिले में इसको जुडीशियल फैसला नहीं माना, उसको एक ला आफीसर की रिपोर्ट ही माना है।

इसके बाद आपके सामने मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज राष्ट्रपति ने जो निर्देश किया है उसमें दो तरह के फैसले आये हैं। एक फैसला तो मैजारिटी जजों का है और दूसरा सरकार साहब का फैसला है। संसद और राज्य विधान मंडलों के मूल अधिकारों के अन्तर्गत यह आता है या नहीं, इस बारे में मेजारिटी जजों का कहना है कि विधान लागू होने के समय यह अधिकार अगर रहे हों तो भी भारत की संसद् या विधान सभाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन जस्टिस सरकार ने जो ओपीनियन दी है उसमें कहा गया है कि हाउस आफ कामन्स को ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं और १९४ (३) की भाषा बिलकुल साफ है उसको देखते हुये विधान मंडलों को यह अधिकार प्राप्त है। यदि कोई सभा अपने अवमान के प्रश्न पर किसी सामान्य वारंट के द्वारा दंड देती है तब उस व्यक्ति को किसी न्यायालय के पास जाने का अधिकार नहीं होगा और न न्यायालय दंड के उस आदेश के बारे में फैसला ही दे सकता है।

अब प्रश्न यह आता है कि धारा १९४ (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों और व्यक्तियों के मूल अधिकारों के बारे में कहीं विरोध हो तो दोनों उपबन्धों को समन्वय से देखा जायगा। इस बारे में, मैं कई केसों का उद्धरण दे सकता हूं। उच्चतम न्यायालय ने 'सर्च लाइट' के केस में फैसला दिया है और 'असामिया' केस में भी यही होल्ड किया है। विधान मंडलों और मूल अधिकारों का जहां प्रश्न आया है, वहां सब जगह सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने जितने भी फैसले दिये हैं वे सब के सब हमारे हक में ही दिये हैं। इतना ही नहीं अगर विशेषाधिकार के बारे में और हिस्ट्री को आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि १९२१ से लेकर १९४७ के पहले, हमेशा हमने प्रयास किया कि हम अपने विशेषाधिकारों को कैसे रखें। जब अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर था उस समय भी और जब हमारी असेम्बलियों का गठन हुआ तब भी इसका जिक्र अध्यक्षों के सम्मेलन में बार-बार आया है और.....

श्री अध्यक्ष--

यह सब बातें हो चुकी हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

फैसला किया गया कि प्रिविलेज को कैसे तय किया जाय और हमने भी मेहनत करके अपने प्रिविलेज को कायम किया। हम नहीं चाहते कि उन्हें समाप्त किया जाय। अगर यहां पर आकर सदन में कोई बात रखी जाय तो बाहर अगर कोई भी नाराज होकर पुलिस से मिलकर

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

मुकदमे चला सकता है, यही विरोधी पक्ष का सरकार पर चार्ज है, तब उस समय आपके पास कौनसा अधिकार रहेगा जिसके जरिये आप अपने हकूक की रक्षा कर सकेंगे ? अतः विरोधी लोगों को विचार करना चाहिये ।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि जितने भी प्वाइन्ट्स थे वे तो ज्यादातर कवर हो गये हैं । खास तौर से मैं चन्द्रजीत यादव जी के २ प्वाइन्ट्स के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । एक बात तो उन्होंने यह कही कि लेजिस्लेचर को प्रिविलेज के लिये ज्यादा टची नहीं होना चाहिये । दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह है कि न्यायालय के सम्मान की व्वयस्था होनी चाहिये, उनमें विश्वास होना चाहिये । लेकिन यह चीज ऐसी है, श्रीमन्, कि १९४८ के बाद और खास तौर से १९५० से जब से हमारा कांस्टीट्यूशन बना कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें कभी भी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ने किसी किस्म की किसी के प्रति डिसरेस्पेक्ट की हो, किसी जज या किसी कोर्ट के प्रति । अभी-अभी हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के श्री एस०एन० द्विवेदी जी ने जब लोक सभा में माननीय पटनायक का सव ल आया, तो कोई ओपीनियन नहीं जाहिर की, क्योंकि वह मामला अदालत में है । कलकत्ते में उसकी रिट है । जहां पर इज्जत का सवाल होता है हमने अभी लगातार १५ साल के अन्दर किसी भी जज के कार्य में या कोर्ट के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, उनके राइट्स में इन्टरफियरेन्स नहीं किया । लेकिन जजों की हमारे सामने एक मिसाल आयी । आखिर यह क्या सवाल था ? अगर यहां पर आकर कोई बाहर का आदमी तमाम लेजिस्लेचर के लिये, तमाम हाउस के लिये बेइज्जती का बाअस बनता है तो कैसे कार्य चल सकता है ? आपके आगाह करने के बावजूद भी, आपके बार-बार कहने के बावजूद भी वह पीठ फेर लेता है और उत्तर नहीं देता है तब भी उसे कहा जाता है कि अगर तुम माफी मांग लो तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा, किन्तु उस पर भी वह शख्स मुंह फेर लेता है । तब उसके लिये ७ दिन की सजा हुई । उसके बाद वह कोर्ट में जाता है और वहां पर वह हैबियस कार्पस की दरख्वास्त देता है । उस पर सरकारी वकील को बिना सुने ही बड़ी जल्दी में, जैसे वे पहले से तैयार ही बैठे हों, न सरकारी वकील को सुना और जल्दी से बेल स्वीकार कर दिया । तो इससे जजेज की क्या मन्शा जाहिर होती है ? जो फन्डामेन्टल राइट्स हैं सिटीजन्स के, क्या हमारी जुडीशियरी उनकी गार्जियन है या हमारी लेजिस्लेचर है ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि जुडीशियरी हमेशा कंजरवेटिव रही है । किसी भी समाजवाद को लाने में, सोशल चेंजेज लाने में जुडीशियरी ने कभी भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं लिये दुनिया के इतिहास में ।

श्री भगवानसहाय—

अमेरिका में जुडीशियरी ने अबालीशन आफ स्लेवरी किया ।

श्री बलवानसिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि सोक्रेटीज को जहर देने वाली जुडीशियरी थी । महात्मा गांधी को जेल भेजने वाली जुडीशियरी थी और सोशल स्ट्रक्चर को समाजवादी ढांचे में लाने के लिये आज भी हिन्दुस्तान की जुडीशियरी तैयार नहीं है । जुडीशियरी का कंडक्ट अगर ऐसा हो जो इस देश की प्रोग्रेस पर धक्का पहुंचाने वाला हो तो हम उसे हाउस के अन्दर डिस्कस नहीं कर सकते ? इस मानी में अगर डिसकस किया जाता है तो वह किसी किस्म का उस पर आघात नहीं है । अगर जुडीशियरी गलत रास्ते पर हो तो लेजिस्लेचर को हक है उसे रास्ता दिखलाने का ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काशीनाथ जी अभी बड़ी आवाज दे रहे हैं। यह कोई पार्टी का मसला नहीं है। यह किसी आदमी के साथ दोस्ती का मसला नहीं है। एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। लेजिस्लेचर को चैलेंज किया गया है। हमारे एक साथी ने कम्युनिज्म की बड़ी दुहाई दी। उन्होंने कहा कि जजेज न रहें तो जनता में कम्युनिस्टों की आवाज सुनाई पड़े। जहां तक जनता की मनोभावना की बात है, जनता को रास्ता दिखलाने की बात है, तो चाहे जजेज कहें अथवा कोई जुडीशियरी कहे अगर हिन्दुस्तान की ४५ करोड़ जनता कम्युनिस्ट होना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत होकर रहेगी।

के० के० के० नायर साहब ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स पर आघात किया गया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हर पांच साल के बाद जनता के सामने ही हमको जाना होता है। इसीलियें हम जनता के हकूक को ही ठोकर कैसे दे सकते हैं? जनता के हकूक से ही हम आते हैं। यहां उसी जनता के हकूक का सवाल उठाया जाता है। कुछ लोगों ने यह कहा कि यह जनता के हकूक को लेने वाले हम लोग अंगूठा टेक हैं। तो मैं उनकी अक्ल के लिये क्या कहूं? वे अंगूठा टेक में क्यों आ गये है, उनको जजेज में जाना चाहिये। मुझे हैरत है कि उस समय कुर्सी पर जो भी विराजमान थे उनको उस शब्दावली को निकाल देना चाहिये था। वह एक वातावरण के अन्दर पले हैं और इसीलिये उनका दिलो दिमाग आज भी प्रोग्रेसिव समाजवाद की स्थापना करने का हामी नहीं है। हमें देखना होगा कि जुडीशियरी आज किस तरह से काम कर रही है। उसने जिस तरह से लेजिस्लेचर तथा पार्लियामेंट पर हमला किया है, कितनी जल्दबाजी में यह हो गया है यह आश्चर्य की बात है। हमारा प्रेसीडेंट कौन है? जनता द्वारा चुना हुआ है। उन्हीं के माध्यम से जुडीशियरी है। जजेज की जो आवाज बोलने की है, उस आवाज में जितनी शक्ति है वह लेजिस्लेचर तथा पार्लियामेंट की वजह से है। आज यहां पाकिस्तान की तरह डिक्टेटरशिप हो जहां की जुडीशियरी की आवाजें बन्द कर दी गयी हैं, वही हालत जुडीशियरी की यहां होती। वहां कोई हक है जुडीशियरी का? लेकिन यहां अगर यह ४३१ का हाउस अपने किसी प्रिविलेज पर कोई बात तय करता है तो उसके लिये फौरन कहा गया कि यह फंडामेंटल राइट्स का हनन है। आज जुडीशियरी ने चालाकी से असली इश्यु को सेट एसाइड कर दिया और लेजिस्लेचर को जनता के साथ झगड़े में डाल दिया। आज जो यह लेजिस्लेचर का झगड़ा है यह लेजिस्लेचर का नहीं है बल्कि सीधा झगड़ा जुडिशियरी वरसेज लेजिस्लेचर का है। मैं अपने माननीय साथी काशीनाथ जी से कहूंगा कि वह बड़े गौर से सोचें कि हम भी आपके साथी हैं और यह सवाल हमारे सदन की मर्यादा का है। हम आज यहां पर आजादी के साथ बोल सकते हैं। हमारी कार्य प्रणाली को अगर कोई हमसे छीनना चाहता है या गैर आदमी यहां जूता फेंकता है या बेइज्जती करे तो क्या हम उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं? मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य हमारे प्रिविलेजेज को रोकने के लिये आघात करता है वह अपनी आजादी को खतरे में डालता है (व्यवधान)।

("दरबारी हैं" की आवाजें)

वे लोग दरबारी हैं जो दरबारी करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी दरबारी कह सकता हूं और मुझे भी गाली देना आता है, लेकिन संयम की बात होती है। आज आप पार्टी की बेसिस पर कह सकते हैं कि केशवसिंह जी का कार्य अच्छा था, लेकिन आने वाला लेजिस्लेचर इस चीज को माफ नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने ही शुरू किया। यह कह कर कि दरबारी हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमने यह नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया है।

श्री बलवान सिंह—

श्रीमन्, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है अगर हम उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाते हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, केशव सिंह जी तो हमारी पार्टी के थे, लेकिन जजों ने क्यों कह दिया? क्या वे उनकी पार्टी के थे? (व्यवधान)

एक सदस्य—

मंत्री जी कह रहे हैं कि थे।

श्री उग्रसेन—

पता नहीं कैसे मंत्री बना दिया गया है! आप सारे प्रदेश को गढ़े में ले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, जब तक आप नहीं थे शान्ति से बात हो रही थी। जब से आप आये यह शोर शुरू हुआ।

श्री उग्रसेन—

बलवान सिंह जी बोलें, लेकिन मंत्री जी जो कहते हैं उससे उनकी अक्ल पर तरस आता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, जब आप आते हैं तो शोरगुल होता है।

श्री बलवान सिंह—

श्रीमन्, मैं जरा अपने साथियों से यह कहना चाहूंगा कि वे मेरी बात सुन लें। मैं जानना चाहता हूं कि हम लेजिस्लेचर में क्यों आये हैं? जैसे अंग्रेजी सरकार के जमाने में कानून बन जाते थे उस तरह से काम हो सकता था। लेकिन जनतंत्र में जनता की आवाज को देखने के लिये ही लेजिस्लेचर होता है। हम सब लोग यहां पर जनता के हकूक को देखने के लिये ही बैठे हैं। हम जनता के हकूक को देखते हैं और हमारे कुछ प्रिविलेजेज हैं और वे जुडीशियरी ने दिये नहीं हैं। हाउस आफ कामंस में भी दिये गये है और हमको भी दिये गये हैं, लेकिन इनके बावजूद हमने अपने मेम्बरों के डिस्प्लिन के लिये खुद अपना कोड आफ कंडक्ट बनाया है। आज हमारे प्रिविलेजेज पर हमला है इसलिये मैं अपील करूंगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ऐडवाइस आई है, उसका व्यू आया है, सुप्रीमकोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की केवल एक राय है, अगर यह जरूरी हुआ, जिस तरह से आज एक डाउट क्रियेट हुआ, तो यह हमारा विचार होना चाहिये और यह बात हमारे सामने आ जानी चाहिये कि लेजिस्लेचर के प्रिवीलेजेज में किसी को भी इन्टरफियर करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस विषय पर एक दिन और बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

अब यह बढ़ नहीं सकता है। एक दिन यों ही बढ़ाया जा चुका है और अब इसके बाद कार्यमंत्रणा समिति का २, ३ और ४ को कार्यक्रम है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मुझको भी बोलने का मौका अवश्य दिया जाये। अब चाहे सदस्यों को ३–४ मिनट ही दिये जायें, नहीं तो हमारे साथ यह तो अन्याय होगा।

(श्री शिवराजसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

कितना समय दे रहे हैं, हमें श्रीमन्?

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट।

श्री शिवराजसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की मैजारिटी ओपीनियन के सम्बन्ध में मेरा यह निश्चित मत है कि इसमें संबंधित न्यायाधीशों ने हटधर्मी से काम लिया है। मान्यवर, इस मत के सम्बन्ध में मेरा यह निश्चित मत है कि इसमें जो अर्थ संविधान के विशेषाधिकार सम्बन्धी आर्टिकिल का लगाया गया है वह सही नहीं है। मान्यवर, इतना ही नहीं अनधिकृत रूप से सम्बन्धित न्यायाधीशों ने यह चेष्टा की है कि वशेषाधिकार सम्बन्धी, जो आर्टिकिल्स भारतीय संविधान के हैं, उनमें एक अप्रत्यक्ष रूप से संशोधन कर दिया जाये। मान्यवर, हममें से हर विधान सभा के सदस्य का, जिसने संविधान की शपथ ली है, उसका यह पुनीत कर्त्तव्य है कि जहां भी लोकतंत्र को कोई आघात पहुंचे उसे बचाने की पूरी चेष्टा करें। मान्यवर, मैं सभी विशेषाधिकारों की संख्या और मात्रा के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर के विशेषाधिकार किसी माननीय सदस्य के लिये शोभा या लज्जा की वस्तु नहीं हैं, बल्कि वह उनका आवश्यकीय अधिकार है, जो हर माननीय सदस्य को अपने विशेष उत्तरदायित्व का पालन करने के लिय आम नागरिक से अधिक उसे मिले हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का यदि अवलोकन किया जाये तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विशेषाधिकार जो हाउस आफ कामंस के हैं उनमें से कोई भी सुपरफ्लुअस नहीं है, सरप्लस नहीं है। स्टूवर्ट्स ने बड़े संघर्ष के बाद यह विशेषाधिकार हाउस आफ कामन्स को दिये जो उनके लिये बहुत ही जरूरी और अत्यावश्यक थे। मान्यवर, मैं यह तथ्य सदन के समक्ष रखूंगा कि हमारे संविधान रचयिताओं ने लेजिस्लेचर को विशेषाधिकार देने में बड़ी कंजूसी से काम लिया। मान्यवर, आप स्वयं सोचें, ब्रिटेन में कितनी अधिक साक्षरता है, वहां सदियों से लोकतंत्र स्थापित है, वहां के नागरिकों की लोकतंत्र की प्रणाली में पूरी तरह से ट्रेनिंग है। किन्तु जब कि भारत की स्थिति वहां की स्थिति से काफी भिन्न है, यहां की ८०–८५ प्रतिशत जनता निरक्षर है, यहां पर नवोदित डेमोक्रेसी है जो अभी शैशवावस्था में है, कम विकसित है, तो इंग्लैंड की तुलना में चाहिये तो यह था कि हमें ब्रिटेन से कहीं ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त होते, जिनकी हमें आवश्यकता थी, लेकिन हमारे कांस्टीटयूशन मेकर्स ने हमको केवल उतने विशेषाधिकार दिये जितने ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स को २६ जनवरी, १९५० को उपलब्ध थे। मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे विशेषाधिकारों में किसी तरह की कमी हुई तो हमें अपना लोकतंत्र सफलतापूर्वक चलाना दुष्कर हो जायेगा और इसलिये जितने भी व्यक्ति इस देश और प्रदेश के अन्दर जम्हूरियत के हामी हैं उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि किसी तरह से जब कभी इन विशेषाधिकारों को कोई आघात पहुंचे तो उसको ठीक करने की चेष्टा करें।

मान्यवर, इस मैजारिटी ओपीनियन के पश्चात् हमारी विधान सभा की शक्ल उस शीशे के मकान की तरह हो गयी जिस पर बाहर का कोई भी नागरिक चाहे पत्थर फेंक सकता है, उसे

[श्री शिवराजसिंह]

चकनाचूर कर सकता है और विधान सभा उसको उसके लिये कोई डेटरेंट सजा भी नहीं दे सकती। मेरे जो भी आबजर्वेशंस इस मजारिटी ओपीनियन के सम्बन्ध में हैं उसकी पुष्टि हेतु मैं अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन की एक साइन्स है और उसके सर्वमान्य सिद्धान्त हैं। विशेषाधिकार सम्बन्धी जितने निर्णय इस देश के और दूसरे डिमोक्रेटिक कंट्रीज के हैं उनमें भी उन सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि मैंजारिटी ओपीनियन देते समय सम्बन्धित न्यायाधीशों ने उस साइन्स को ताक पर उठाकर रख दिया। मान्यवर, जितने भी परेलल ऐनालागस ला इस देश के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में हुये हैं चाहे दूसरे मुल्कों में हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया है। मेरा तात्पर्य है आस्ट्रेलिया के रिचर्ड्स केस में या एम० एस० एम० शर्मा के केस म जस्टिस सुब्बा राव ने जो कहा है कि १९४ (३) अनुच्छेद के शब्द इतने स्पष्ट है कि "उसक दूसरे अर्थ लगाना कांस्टीट्यूशन बदलने के समान होगा"। मा० जस्टिस एस०आर० दास, सी०जे० ने कहा है कि स्पेसिफिक क्लाज को जनरल क्लाज के ऊपर प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, साथ ही जो जो इंटरप्रिटेशन ऐनालागस लाज में दिये गये हैं उन सब को मैंजारिटी ओपीनियन देते समय इन सम्बन्धित न्यायाधीशों ने खूंटी पर टांग दिया। श्रीमन्, इतना ही नहीं बहुत ही गलत आर्गूमेंट्स मेजारिटी ओपीनियन देते समय सम्बन्धित न्यायाधीशों ने दी है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि उनकी जानकारी अधूरी है, या उनमें विद्वता की कमी है लेकिन उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के अन्दर तो हाउस आफ कामन्स को जो अवमान की अवस्था में सजा देने का अधिकार है और उसमें जो यह है कि कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिये यह अधिकार यहां कामिटी (comity) के आधार पर केवल है। जस्टिस सरकार ने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया है। सी प्रकार के गलत फैक्ट्स इस मेजारिटी ओपीनियन में दिये गये हैं। कहा गया है कि अगर हाउस आफ कामंस के सारे ही अधिकार लेजिस्लेचर्स को हैं तो फिर जो तीन अधिकार उनको और हैं उन्हें भी क्यों नहीं बरतते? जैसे इम्पीचमेंटका अधिकार, ऐक्ट आफअटेंहर (Act of attainder) का अधिकार। जस्टिस सुब्बा राव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अधिकार हाउस आफ कामस के नहीं हैं यह अधिकार पार्लियामेंट के हैं। श्रीमन्, इस तरह से गलत तथ्य रख कर उन्होंने गलत बात की है।

श्री अध्यक्ष—

इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। यह तो जजमेंट यहां हुआ है उसमें भी उन्होंने कह दिया है।

श्री शिवराजसिंह—

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंजारिटी ओपीनियन में सम्बन्धित न्यायाधीशों ने जानबूझ कर हठधर्मी की है और हमारे अधिकारों में भारी इरोजन पैदा करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, बहुत से विशेषाधिकार जिनके सम्बन्ध में संविधान में प्राविधान मौजूद है उनके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह अधिकार भी आप क्यों नहीं बरतते जैसे नये रिट्स कायम करना, नये खाली स्थानों (सदन के) के लिये प्राविधान करना, या पेटीशन सुनने का अधिकार आदि। इनके सम्बन्ध में पार्ट १५ कांस्टीट्यशन के अन्दर अलग से उपलब्ध है। इसी प्रकार से श्रीमन्, कांस्टीटयूशन मेकर्स के इन्टेशन को भी उन्होंने बालाये ताक रख दिया। आप जानते हैं कि इंटर-प्रिटेशन के अन्दर विधान बनाने वालों के इंटरप्रिटेशन का एक खास स्थान होता है। लेकिन इन न्यायाधीशों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और बिला वजह ब्रिटिश हिस्ट्री को घसीटने की कोशिश की है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश नहीं है बल्कि आस्ट्रे-लिया, साउथ आस्ट्रेलिया और दूसरी डोमिनियन में विभिन्न सालों में कांस्टीट्युशनल ऐक्ट के द्वारा यह विशेषाधिकार, जो हाउस आफ कामन्स के हैं, उनके देशों को प्राप्त हुये हैं।

श्रीमन्, इस मेजारिटी ओपिनियन से बहुत सी भ्रान्तियां फैल गई हैं और इसके बहुत से चिन्ताजनक पहलू हैं जिनमें कुछ के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। मान्यवर, मैंजारिटी

ओपिनियन में यह कहा गया है कि हमारे विशेषाधिकार, मौलिक अधिकार का जो आर्टिकिल ३२ है, उसके मातहत हैं। मान्यवर, यदि ३२ के मातहत है तो वे सब फंडामेंटल राइट के मातहत हैं और इस प्रकार से वह आर्टिकिल २२ के भी मातहत हो जाते हैं। अगर यह सही है कि उसके मातहत हैं तो श्रीमन्, खुद आप किसी को सजा नहीं दे सकते। आप को दी हुई सजा को हर एक काम्पीटेंट मैजिस्ट्रेट दखल देने को तैयार हो सकता है और इस विधान सभा का कार्य करना असम्भव हो जायगा। श्रीमन्, इसी प्रकार से इस मैजारिटी ओपिनियन में कहा गया है कि आर्टिकिल २०८ के अन्दर जो भी रूल इस सदन के कार्य संचालन के लिये बनायेंगे उनको भी फंडामेंटल राइट के मातहत होना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो हमारे सदन के कार्य संचालन के लिये नियम होंगे उनका भी वह अवलोकन करने का और उनमें दखल देने का अधिकार वह लेना चाहते है। यद्यपि जो हमारे अधिकार ह, हम अपने कार्य संचालन के नियम बनाने के पूरे मालिक है, वह अधिकार वह लेना चाहते हैं। इस प्रकार इस सदन का काम करना मुश्किल हो जायगा। मान्यवर, इस मैजारिटी ओपीनियन में यह भी कहा गया है कि सदन के अन्दर माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में आप जो भी कार्यवाही करेंगे उसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। इसका श्रीमन्, निष्कर्ष यह भी निकलता है कि माननीय सदस्यों के अधिकार एक नागरिक के अधिकारों से भी कम हो जायेंगे जब कि विशेषाधिकार के आधार पर उनके अतिरिक्त और ज्यादा अधिकार होने चाहिये। यह डिफरेंसियेशन मेरी समझ में नहीं आया कि इस विधान सभा क सदस्यों क अधिकार कम हों और बाहर क नागरिकों के अधिकार ज्यादा हों। इसी प्रकार से आर्टिकिल २२६ में जैसा कि माननीय बी० बी० शरण जी ने कहा कि उस का फोर्स लेजिस्लेचर पर नहीं है, उसका फोर्स बताकर अपने अधिकार का क्षेत्र उन्होंने बढ़ाया है। मुझे सन्तोष है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें इन तमाम बातों का खंडन करके हमार अधिकारों की रक्षा की है और मेजारिटी ओपिनियन से न्यायपालिका को प्रतिष्ठा और निष्ठा को जो चोट पहुंची थी उसको फिर से सेहतयाब किया है। मान्यवर, संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिकाओं की भी निष्ठा और इज्जत कायम रहे। इसलिये मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन जजों को, जिन्होंने उस मैजारिटी ओपिनियन में जो गलती की गई थी, उसमें तरमीम की है, बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत संल्कप का समर्थन करता हूं।

(श्री राधेश्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

जिन लोगों के नाम आप निश्चित कर चुके हैं, वे बोलेंगे। मेरी प्रार्थना है कि क्या आप उनमें परिवर्तन करने की कृपा करेंगे या उनको ही बोलने के लिये कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ४३० नाम लिखे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

जनसंघ के दो आदमी बोले हैं और इनकी पार्टी से ३ बोले हैं, इसका ध्यान रखियेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं उनसे वचनबद्ध था, लेकिन मैं आपको भी मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहला प्रश्न यह है कि आपने इस संकल्प के पक्ष में ६ भाषण होने के बाद मुझे समय दिया। मैं तमाम बातों को दोहरा कर बहस को क्रमबद्ध करना

[श्री राधेश्याम शर्मा]

चाहता हूं। क्या क्या नहीं कहा गया सदन में। २११ की स्पष्ट अवहेलना की गयी। उन तमाम बातों का जवाब मैं सदन में नहीं दूंगा। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि व्यक्तिगत दोषारोपण करूं।

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहस क्यों है? आप संकल्प क्यों पास कराना चाहते हैं? वैसे तो मेरे मित्र काशीनाथ जी ने बहुत सफाई कर दी है कि १४७ और १३२ के मातहत यह नहीं आना चाहिये था क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रिटेशन कर सकता था, लेकिन आप ऐसे शब्द ले आये कि यह आ गया। मेरे कमरे में कई विधि विशेषज्ञ रात बैठे थे, उनकी राय थी कि यह नहीं आना चाहिये, लेकिन आपने उसमें ऐसे शब्द रख दिये और उस पर अपनी व्यवस्था दे दी। तो यह चार मुद्दे हैं कि जिनके लिये आप इस संकल्प को पास कराना चाहते है। वे इस प्रकार हैं—

१—चूंकि विधान मंडल तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें अपने किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभा भवन के भीतर या बाहर उनका अवमान करने के बारे में निर्णय करने और संविधान के किसी अनुच्छेद के अन्तर्गत अथवा अन्यथा न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना उस अवमान के लिये दंड देने की शक्तियां प्राप्त न हों,

२—चूंकि संविधान के निर्माताओं का आशय इस विषय में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को हटाना था जैसा कि अनुच्छेद १०५(३) और १९४(३) को स्वीकार करते समय संविधान सभा में डा० अम्बेदकर और सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर द्वारा दिये गये वक्तव्यों से स्पष्ट है,

३—चूंकि इन अनुच्छेदों की भाषा इतनी स्पष्ट है कि जस्टिस सरकार के कथनानुसार उस भाषा का केवल एक ही अर्थ निकल सकता है और वह यह है कि उसका अभिप्राय विधान मंडलों को वही शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां देना था, जो संविधान के लागू होने के समय इंग्लैन्ड के हाउस आफ कामंस को प्राप्त थीं, और

४—चूंकि उच्चतम न्यायालय की राय ने विधान मंडलों का दर्जा घटा कर अधीनस्थ न्यायालयों के समान कर दिया है जिसका यह परिणाम होगा कि विधान मंडल दक्षता, ईमानदारी और सम्मान के साथ कार्य नहीं कर पायेंगे।

श्रीमन्, इन चार बातों के अलावा मैं नहीं समझता कि किस बात के लिये इस संकल्प को पेश करके पास कराया जा रहा है तथा पार्लियामेंट को बल प्रदान किया जा रहा है। मैं इसके विपरीत जो तर्क हैं वह आप के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मुझे बड़ी तकलीफ हुई कल से। यह कहा जाता है कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की तो ओपीनियन मांगी गयी, इसे मानने के लिये हम बाध्य नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी कि यह बहुमत का फैसला है। मुझे "बहुमत" शब्द से बड़ी चिढ़ है। नवल किशोर जी बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं। सात जजों का फैसला था। उसमें बहुमत और अल्प मत की बात कहां से आ गयी। इस सदन में रोज "हां" और "ना" होती रहती है, 'ना" की संख्या कम रहती है, लेकिन हम बाहर जाकर नहीं कहते कि यह बहुमत का कानून है, अल्पमत का नहीं। केशव सिंह के मामले में भी हमने अल्पमत की बात नहीं मानी, पूरी विधान सभा का जो फैसला था उसे हमने माना। यह बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आपके बहुमत और अल्प मत की बात से बड़ी तकलीफ हुई। वह जजों का फैसला है उसमें अल्पमत और बहुमत का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये क्योंकि अल्पमत बहुमत के साथ बहुमत की राय में स्वतः आ जाता है।

तीसरी बात यह कही गयी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहीं कहीं कोटेशन दिये। आपका मुंह है, आप चाहे जो कह सकते हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं केशव सिंह केस से बिलकुल असहमत हूं शुरू से आखिर तक। उसका जो व्यवहार था यहां सदन में वह बिलकुल अनडेमोक्रेटिक, गलत और ऐसा लज्जाजनक व्यवहार था कि जिसको कोई समाजवादी बरदाश्त नहीं कर

सकता । यह में सफाई के साथ कहना चाहता हूं । मैं न्यायालय को परमात्मा का अधिकार नहीं देना चाहता और न इस सदन को ही परमात्मा का अधिकार देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में सावरेन्टी जनता में निहित है । यह न सदन में है न न्यायालय में । अध्यक्ष महोदय, मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इस पर बहस चल रही थी तो बतलाना चाहता हूं कि कितने लोगों ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की राय आने पर उसे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे । जो अब यह मांग कर रहे हैं कि हम उसे मानने के लिये बाध्य नहीं हैं, सारे लोग इस तरह से बात किये हैं बड़ी गैर-जिम्मेदारी के साथ । इसी सदन में मैं बता देना चाहता हूं, नवल किशोर जी, कि २८ मार्च, सन् ६४ को जो कुछ हुआ वह सुनने लायक है । आपने यह कहा कि अगर यह फैसला आपके माफिक होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज की राय सर माथे पर, खिलाफ हो गया तो ओपोनियन हो गयी । मानने के लिये अब बाध्य नहीं है । मैं सभी माननीय सदस्यों को ईमानदारी के ऊपर छोड़ता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट में गया जब राष्ट्रपति ने रेफर किया । सुप्रीम कोर्ट को ही रेफर क्यों किया ? किसी पान वाले को क्यों नहीं रेफर किया ? इसीलिये किया कि सुप्रीमकोर्ट एक फाइनल अथारिटी है । वह सारी बातों का सही विश्लेषण करेगी और उसके बाद उसका फैसला माना जायगा । आज सारी पोल खुल जायगी । आज जो कहते हैं कि ओपीनियन है, कोई अधिकार ही उनको नहीं है, आज तो यह सुप्रीम कोर्ट की बात घास-भूसा है ! अगर भेजते समय ही आप ईमानदारी से कह दिये होते कि हम उसको मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे तो मैं मान लेता कि आपने ईमानदारी बरती । लेकिन उस समय आपने क्या कहा, जरा ता० २८ मार्च सन् ६४ की इसी सदन की कार्यवाही सुनिये ।

"श्री अध्यक्ष---

मेरे सामने अब कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, इस वास्ते कि मैं इसको विशेषाधिकार समिति में भेजता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह सारी चीजें न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं । आप एक गुत्थी के बाद दूसरी गुत्थी पैदा करते जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात आप कई बार कह चुके हैं ।

"श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं नये सिरे से आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं । विधान सभा और न्यायाधीशों की जो गुत्थमगुत्था चल रही है और यह उलझाव जो बढ़ता जा रहा है उसे मैं ठीक नहीं समझता । इसलिये इसे बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति में न भेजा जाय । यह सारा मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । विशेषाधिकार समिति को भी रेस्ट्रेन किया गया है उच्च न्यायालय द्वारा ।

"श्री अध्यक्ष---

मैंने आपकी बात सुन ली । आपका कहना यह है कि चूंकि यह समस्त विषय न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए विशेषाधिकार समिति को न भेजा जाय । मैं इसका कारण बतला दूंगा ।

"श्री उग्रसेन---

धारा १४३ जो संविधान की है उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिये यह सारा मामला भेजा है और उन्होंने इसके ५ प्वाइंट्स बनाये हैं । तो क्या यह विषय

[श्री राधेश्याम शर्मा]

उनके परे है ? यदि उनके अन्तर्गत है तो क्या यह विशेषाधिकार समिति को जा सकता है जब कि राष्ट्रपति ने इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट में भेजा है ?"

इस पर माननीय नवल किशोर जी कहते हैं कि यह मुनासिब है कि राष्ट्रपति उसको भेजें। उस वक्त राष्ट्रपति की कितनी इज्जत थी ? और अब राष्ट्रपति ने जो सर्वोच्च न्यायालय को भेजा तो वह ओपीनियन रह गयी ? अब वह उसको मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। उस वक्त मानते थे कि हाई कोर्ट ने अवमान किया। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों का क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी हाई कोर्ट चुप नहीं है । अब इसके बाद जो कहा गया उससे सारी पोल खुल गयी कमेटी के मेम्बरान की। श्री नेकराम शर्मा ने दुनिया भर की दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने वहां दावत खाई और वहां नाचे, लेकिन ६०,००० रुपया विधान सभा का आपने भी खर्च किया, हालांकि मैं उस प्रश्न को नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि अगर कसूर हुआ तो दोनों तरफ से हुआ, इधर से भी और उधर से भी। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आप क्या कहते हैं ? आपने कहा कि मैं सदन का सेवक हूं और सदन कहता है कि आप यहां के हमारे अधिकारों के मालिक हैं। सारी सत्ता आप में निहित है। तो फिर आपके मुंह से जो बात कही जाय वह सारे सदन की बात होती है। तारीख २८ मार्च को आपने क्या कहा :—

"श्री अध्यक्ष—

यह बहस नहीं होगी। आप बैठ जायं।

एक बहुत मोटी-सी बात हमें समझ लेनी चाहिये कि प्रश्न तो यह है कि हाई कोर्ट ने हमारा अवमान किया है या नहीं । इस प्रश्न में हाई कोर्ट और हम पार्टीज हैं। अगर आप कहते हैं कि जो हमारा मुद्दाअलेह है वही फैसला करे तो यह तो बड़ी एडवर्स सी बात है। हम विशेषाधिकार समिति को भेज रहे हैं, इसलिये कि वह हमारे सामने सब बातों को जांच करके रखे और हम उस पर शांतिपूर्वक विचार करें।

दूसरी बात यह है कि माननीय उग्रसेन ने अनुच्छेद १४३ का जिक्र किया। यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में है । सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बहस होगी, जो फैसला होगा, उसका हम आदर करेंगे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे।"

तो यह कैसा आदर है ? मान्यवर, एक देहात में कहावत है "पंचों का फैसला सिर माथे, मगर पतनाला वहीं पड़ेगा, जहां पहिले था"। उस समय अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही, आज जब फैसला हो गया तो वह मान्य नहीं है। माननीय नेकराम शर्मा, माननीय नवल-किशोर, माननीय कमलासिंह यादव सभी ने उस समय जो कहा है, अध्यक्ष महोदय, वह मैं सफाई के साथ आज कहना चाहता हूं। उस समय माननीय नेकराम शर्मा ने भी कहा था—

"श्रीमन्, उस दिन के प्रस्ताव के बाद आपने यहां की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी और बताया कि कांस्टीट्यूशन की धारा १४३ के अनुसार प्रेसीडेंट ने सुप्रीमकोर्ट को वह रिफर कर दिया है राय के लिये। अब ओपीनियन के विषय में यह भी लिखा हुआ है कि वह अपनी ओपीनियन से भी बाध्य न होगा। अगर उसके बाद कोई फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आयें तो वह अपनी ओपीनियन को बदल भी सकता है और उस पहली ओपीनियन के विरुद्ध भी निर्णय दे सकता है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया है तो हमें उसको देखना चाहिये, क्या मत वे राष्ट्रपति महोदय को देते हैं।"

तो मेरे कहने का मतलब श्रीमन्, यह है कि अगर फैसला आपके माफिक हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट जिन्दाबाद, अगर वह आपके खिलाफ हो गया तो वह राय गलत हो गयी। मैं सभी माननीय सदस्यों ने जो जो कहा है आज वह सब आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अगर पहले ही कह देते कि यह ओपीनियन है, हम इसको मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे, तो मैं समझ लेता। उस वक्त

तो आप कहते थे उनकी राय हमारे लिये मान्य होगी, आज वह खिलाफ हो गयी तो वह गलत है । नेकराम जी ने उसी दिन यह भी कहा—

"अगर वहां बहस होती है तो सदन की ओर से किसी वकील को हमें वहां भेजना चाहिये । अगर वहां बहस नहीं होती है तो सारे लेजिस्लेचर्स के प्रतिनिधियों और स्पीकर्स की हमें लखनऊ में एक मीटिंग बुलानी चाहिये क्योंकि इस समय यह क्वेश्चन लेजिस्लेचर वर्सेज जुडीशियरी हो रहा है ।"

श्री अध्यक्ष—

आपने कृपा करके उसे देखा नहीं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा है । इसीलिये यह सारी बहस आप कर रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं यह कह दिया है कि इस राय से कोई पाबन्द नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

आपने रोक दिया श्रीमन्, मैं वही कहने जा रहा था ।

श्री अध्यक्ष—

हमारे वकील ने निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी उपस्थिति के कारण जो ओपीनियन आप देंगे उसको मानने के लिये पाबन्द होंगे, तो मैं बैठ जाता हूं मुझे कुछ बहस नहीं करना है । वकील ने पहले ही यह साफ न्यायालय में कह दिया था ।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप कहते हैं कि १९४ (३) माना जाय क्योंकि आप ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के सारे अधिकार लेना चाहते हैं । माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि ब्रिटेन में अनरिटिन कान्स्टीट्यूशन है और हमारे यहां रिटिन कांस्टीट्यूशन है । हमारे यहां जनता के अन्दर ताकत है । पर मैं आपको बतला दूं कि अगर ब्रिटिश हाउस आफ् कामन्स के सारे पावर्स इस सदन में दे दिये जायं, तो जितने भी भाषण हुये हैं आज यहां वह सब माननीय हुकुमसिंह जी की किताब में, मैं दावे के साथ कहता हूं, सारे के सारे निहित हैं । माननीय हुकुमसिंह ने इसमें जो संकल्प का पक्ष हो सकता था वह एक-एक कह दिया । यह भी कह दिया कि कब-कब कमेटियां बनीं, कब-कब जरूरत पड़ी और कब-कब कैसे-कैसे विशेषाधिकार के प्रश्न हाउस आफ् कामन्स के होने चाहिये । पर मैं गजेंद्र गडकर साहब की राय से बहुत सहमत हूं जिसे माननीय कमलासिंह जी काट रहे थे । उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य के लिये सब कानून हैं और जो बाहर के आते हैं उनके लिये नहीं हैं । यह फैसला करना है । मूल अधिकारों की बात है या सदन के अधिकारों की, यह भी तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने । हमारे यहां के सामान्य वारंट अंतिम हो सकते हैं या नहीं ? मैं कमला सिंह जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं एक लाख व्यक्तियों द्वारा चुना हुआ सदस्य हूं । मेरी सदस्यता को आप समाप्त कर सकते हैं । परन्तु मैं कमला सिंह जी को बतला दूं कि अगर बाहर के आदमियों को भेज दिया जाता है और जिस दिन बाहर के आदमियों के बारे में चर्चा होती है तो उसके बारे में हम टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं । हम यहां पर अपनी सफाई दे सकते हैं, अपने अधिकारों के लिये लड़ाई कर सकते हैं । गजेंद्र गडकर साहब ने यह सब इसीलिये कहा है कि बाहर के आदमियों को यह सब मौका नहीं है ।

श्री बृजभूषणशरण—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में इस विषय पर बहस के लिये एक दिन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, आप किसी को अलाऊ करते हैं और किसी को नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री उग्रसेन से) आप ६ बजे इस प्रस्ताव को रख सकते हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

कानून के दायरे में सब बातें होनी चाहिये । श्रीमन्, मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि ३० मार्च, १९६५ के एजेंडे में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह संकल्प...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । यह प्रश्न आपको उसी दिन उठाना चाहिये था, आज दो दिन के बाद आप उठा रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अब कमलासिंह जी की बात साफ हो जाती है । बाहर का आदमी आवे तो हम अदालत में जावें । हम अपनी बात यहां कह सकते हैं, सदन के सदस्य हैं । बाहर का आदमी अपनी बात यहां नहीं कह सकता है । उग्रसेन जी, आपको याद होगा कि यह भी तो आपकी मरजी के ऊपर की बात है । श्रीमन्, केशवसिंह ने बड़ी गलती की । हम लोग दिल्ली में थे उस दिन, वरना उसे कन्डैम किये बिना नहीं रहते । लेकिन कोई भी स्ट्रेंजर दो सजा एक ही जुर्म में यहां पाये यह कहां तक उचित है ? एक तो उनकी भर्त्सना हुई और दूसरे जेल । उसके बाद दूसरा स्ट्रेंजर एक लड़का हमारे मथुरा का यहां पर हल्ला करते हुये गिर गया । उसने बताया कि उसने कुछ खा लिया है । उसे आपने पुलिस के हवाले क्यों कर दिया ? उसने भी तो आपके सदन का अवमान किया था और स्वयं उसकी सजा यहां न करके पुलिस को देकर अदालत भेजकर आपने स्वयं सदन का अवमान किया ।

अब १९४(३) की बात पर मैं आता हूं । मैं ६ कारण देता हूं । मैं १९४ (३) को बिलकुल निकलवाना चाहता हूं चूंकि (१) और (२) ही उसमें काफी हैं । अमरीका में एक जो संविधान के बड़े भारी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि—

"Under the theory of constitutional government, the exercise of authority is based on law and is limited in time and scope, with periodic elections required to legitimate the authority exercised by the Legislators. In all the political process, there is an implicit assumption that those exercising authority must be able to explain, defend and justify their action before some group they do not control."

यह रोनाल्ड यंग ने कहा है "अमरीकन कांग्रेस" पुस्तक है, पेज ४४ । इसका यह मतलब है कि संवैधानिक सरकार की थ्योरी के अनुसार अधिकार का इस्तेमाल कानून के अनुसार होता है, और कानून पर ही निर्भर ह और समय और स्कोप में सामयिक चुनाव जो कि विधान सभाओं के अधिकार-क्षेत्र को कानूनी शक्ल देने के लिये आवश्यक होता है, से सीमित है और हर राजनीतिक प्रोसेस में यह बात समझी जाती है और मानी जाती है कि जो अधिकार का इस्तेमाल करते हैं उन्हें किसी ऐसी संस्था के सामने अपने कार्यों को सही और उचित बताना चाहिये जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हों । वे न्यायालय ही हो सकते हैं । न्यायालय का दर्जा हमें बिलकुल अलग रखना है और हमारे जो अधिकार रखने वाली विधान सभा है उसे न्यायालय के समक्ष अपना न्याय प्रस्तुत करने के लिये, विश्लेषण कराने के लिये, बिलकुल जाना होगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राधेश्याम जी, यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैंने बताया तो 'दी अमेरीकन कांग्रेस' के पेज ४४ से ।

श्रीमन्, हमारा संविधान फैडरल टाइप का है । न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार अलग-अलग बंटे हुये हैं । जैसा हरेक का संवैधानिक दायरा है यह इस बात का स्वयं खंडन करता है कि विधान सभा को न्यायपालिका के अधिकार हैं । इसलिये ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की परम्परायें हमारे ऊपर लागू नहीं होती हैं ।

तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में बताया कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स को अवमान के लिये सजा देने का अधिकार उस आधार पर है जिस आधार पर जैसे न्यायपालिका को कोर्ट आफ रेकार्ड कहते हैं वैसे ही ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स भी कोर्ट आफ रेकार्ड है । इसमें वहां के सैकड़ों सालों का इतिहास है कि किस प्रकार उन्होंने स्टुअर्ट्स से लड़ाई लड़ी । हाउस आफ कामन्स अपने अधिकारों के लिये लड़ता रहा । इसलिये वह कामन्स की सभा न्यायपालिका हो सकती है । इसलिये इस सदन को वे अधिकार नहीं मिल सकते हैं और न लेने ही चाहिये चूंकि उससे तानाशाही की ओर जनता के प्रतिनिधियों की जाने की बात हो सकती है ।

मैं सदन के प्रिविलेज चाहता हूं, लेकिन वे कहीं लिखे जावें । इससे बड़ा भारी नुकसान होगा जो आप चाहते हैं ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की दुहाई देकर कि जो विधान सभा और मान्यवर का विवेक काम करेगा वही होगा । तो मैं चाहता हूं कि विधान सभा कानून बनाकर २९, लिस्ट २, के अनुसार विशेषाधिकार को परिभाषित करके एक अलग से कानून बनावे जिसके अनुसार सजा न्यायपालिका जाब्ता के आधार पर दे । यदि कानून नहीं बनाया जाता है तो संविधान के साथ जाल-बट्टा ह ।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं निवेदन कर दूं । १४३(१) अनुच्छेद के अन्तर्गत जो राय दी जाती है उसको हम समझें कि वह सबके ऊपर बाध्य है । इस संबंध में जब सीरवाई साहेब से हमने परामर्श किया तो यह मालूम हुआ कि इसकी वह वकअत नहीं है जो कि हम समझे हुये थे । इतना मूल्य इसे नहीं दिया जा सकता । सीरवाई साहेब ने हमसे कहा कि आपके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि आप अदालत में जाकर, हाजिर होकर, बहस करायें । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट कह दिया था कि अगर इस आदरणीय अदालत का यह खयाल है कि हम आपके क्षेत्राधिकार में आकर अपने आपको पाबन्द करना चाहते हैं तो हम उसके लिये राजी नहीं है । उन्होंने यह भी कहा था कि यह मैं आपको इसलिये बतला रहा हूं कि कहीं ऐसा न हो कि आपका मत अगर हमारे विरुद्ध हुआ तो आप या लोग यह न कहें कि चूंकि मत विधान सभा के विरुद्ध हो गया इसलिये वह नहीं मान रहे हैं । यह सीरवाई साहब ने हमारी ओर से अदालत में प्रारम्भ

[श्री अध्यक्ष]

में ही साफ़ कर दिया था। इस पर आदरणीय हिदायतुल्ला जज ने कहा कि आप यहां आवेंगे भी और बहस भी करेंगे, तो माननीय गजेन्द्र गडकर ने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है चूंकि इस राय की पाबन्दी किसी के ऊपर नहीं है।

श्री उग्रसेन—

जब आप ने यह भाष्य किया तो फिर यहां इस लंगड़े संकल्प पर बहस क्यों करा रहे हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, यह संकल्प किसी कानूनी नियम के अन्दर पेश होना चाहिये। ३०-३-६५ के एजेन्डा के पहले पृष्ठ पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस संकल्प को पेश करने के लिए छपा है, उसके बाद जब उनके द्वारा पेश करने का समय आया तो उन्होंने साफ़ साफ़ शब्दों में इसे पेश करने से इंकार कर दिया। यह आप कार्यवाही में देख सकते हैं। आप नियमावली की धारा ८९..

श्री अध्यक्ष—

हमारे नियमों में है कि जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय तो तत्काल उठाना चाहिये जब वह पैदा हो। इस तरह के प्रश्न उस समय उपस्थित भी किये गये थे जब यह संकल्प प्रारम्भ में आया। माननीय काशीनाथ, माननीय उग्रसेन, माननीय राधेश्याम, माननीय रक्षपालसिंह, इन सब ने यह प्रश्न उठाया था और वह समाप्त हो चुका है, इसलिये अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता.... (व्यवधान), अब आप बैठ जाइए।

श्री ज० पी० मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जुडिशियरी और विधान सभा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन आयी है, इसके ऊपर बहस का आज तीसरा दिन है। मैंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि इस बहस में भाग लेने वाले सम्मानित साथियों और न्याय मंत्री की बात अच्छी तरह से सुनूं। मैंने उसे गौर से सुना है और समझने का प्रयत्न किया है। मुझे यह निवेदन करना है कि गम्भीरतापूर्वक विचार करने के साथ-साथ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उचित आदर देने के साथ-साथ एक और बहुत बड़ा प्रश्न श्रीमन्, इस समय सामने प्रस्तुत है। वह यह है कि संविधान के बनाने वाले इस देश में उस किस्म के लोग थे कि जिनको हिन्दुस्तान की जनता ने चुनकर कांस्टीट्युएंट असेम्बली में भेजा था और बड़े बड़े कानूनवेत्ता इस विधान के बनाने में शामिल थे। माननीय डाक्टर अम्बेदकर, सर रामास्वामी ऐयर ऐसे बड़े बड़े कानून के जानने वालों ने सारे संसार के विधानों पर निगाह रख कर २६ जनवरी सन् १९५० तक के हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज, पावर्स और इम्यूनिटीज को अपने देश की पार्लियामेंट और विधान सभाओं के लिए १९४ (३) में बड़े स्पष्ट शब्दों में जोड़ा था। उस १९४ (३) का मतलब श्रीमन्, मैं मोटे तौर से उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहता हूं। कानूनी और आर्टिकिल्स की बहस में मैं नहीं जाना चाहता। बहुत मोटा उदाहरण देना चाहता हूं।

माननीय राधेश्याम जी ने जो बात कही, क्योंकि उन की पार्टी सीधे (डाइरेक्टली) उसमें है और इस सदन की राय उनकी राय के बहुत खिलाफ गई, बहुत बड़ा बहुमत उनकी राय के खिलाफ है, इसलिये कुछ नाखुशी और कुछ फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने यह बात कही कि माननीय अध्यक्ष जी ने किसी वक्त अपनी रूलिंग में एक बात कही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की राय का आदर करेंगे। श्रीमन्, आदर की बात बिलकुल ठीक कही थी अध्यक्ष ने। लेकिन माननीय राधेश्याम जी ने समझने में ग़लती की। संविधान बनाने वालों ने, डाक्टर अम्बेदकर और सर सी० पी० रामास्वमी ऐयर जैसे विद्वानों ने बड़े स्पष्ट तरीके से १९४ (३) को जोड़ते हुए इस बात के ऊपर विचार कर लिया था और उनका यह मत था कि पार्लियामेंट और विधान सभाओं के प्रिविलेजेज, पावर्स और इम्यूनिटीज बिलकुल स्पष्ट कर दिये जायं। मैं मोटी मिसाल आपके

सामने पेश करता हूं। तीन नागरिक हैं। एक उसमें से जज हुआ, एक माननीय राधेश्याम जो हुए विधान सभा के सदस्य, और एक बाहर रह गया। माननीय राधेश्याम जी यहां कानून बनाते हैं और रोज बरोज चीफ मिनिस्टर से लेकर मेरे बायें तक बैठने वाले जितने हैं उनके ऊपर तरह-तरह के जो भी मिजाज चाहता है, आसमान से लेकर पाताल तक के चार्जेज लाकर खड़ा कर देते हैं। श्रीमन्, एक जज बैठा है और वह नागरिक है बाहर। उस नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वह इस किस्म के चार्जेज लगाये .....(व्यवधान) .....मैं जवाब दे लूंगा, आप परेशान न होइए। तो श्रीमन्, यहां पर सवाल सिर्फ इतना था कि माननीय सदस्य ने अपना मत यहां व्यक्त किया जो चुन कर आया सदस्य है और एक जो नहीं चुना गया, उसके ऊपर बाहर उसने टीका-टिप्पणी की। सदन का जो निश्चय था, वह बिलकुल इन्नोसेंट था। सदन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था, जिसमें किसी को सजा या जेल भेजना पड़े। बिलकुल इन्नोसेंट तरीके से यहां उन महानुभावों को तलब किया गया और बाकी जो हुआ वह सदन के सामने है। इसलिए मुझे कहना है कि तीन किस्म के नागरिक और दो किस्म के अधिकार हैं। हाईकोर्ट का जज बाहर है, विधान सभा का सदस्य बाहर है, और एक नागरिक बाहर है ही। तीनों की हैसियत बाहर बराबर है। एक उनमें से विधान सभा में आया और एक हाई कोर्ट की कुर्सी पर गया। तो तीसरा जो नागरिक बचा, उसकी हैसियत फंडामेंटल राइट्स के आधार पर ऊपर गिनी जा सकती है। यहां जो नागरिक चुन आया उसके लिए १९४ (३) में प्रिविलेजेज, पावर्स और इम्युनिटीज हैं, और हाई कोर्ट का जो जज है उस के लिये अगर एक शब्द भी कह दें, तो कन्टेम्प्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई कन्टेम्प्ट कर दे, साधारण आलोचना कर दे, तो वह सजा पाने का मुस्तहक़ हो गया और किसी अदालत में उस की कोई अपील नहीं है। तो उनके कन्टेम्प्ट का कानून बगैर चैलेंज के हो गया। अब हम रह गये। हमने सदन के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया था। एक मामला यहां हुआ और उसके ऊपर एक सज्जन को तलब किया, उन्होंने अध्यक्ष और सदन का अवमान किया और हमने कहा कि अगर अब भी आप क्षमा याचना कर लें, तो हम उस मामले को यहीं दफन कर सकते हैं। उन्होंने क्षमायाचना नहीं की....

श्री काशीनाथ मिश्र--

जरा माननीय सदस्य अपने काले कारनामों के बारे में बोल लें, जो छपे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र--

इसलिए जो नवलकिशोर जी ने प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है, उसकी वजह है खास और वह प्रस्ताव होना चाहिए था। सुप्रीमकोर्ट जजेज की जो राय है, उसके लिए एक पक्ष कहता है कि यह जुडिशियल राय है और इस सदन का काफी बहुमत यह कहता है कि यह जुडिशियल राय नहीं है, बल्कि एक थिसिस है, बेस्ड आन प्रिकंसीव्ड नोशन्स (based on pre-concieved notions)। दो किस्म की राय सुप्रीम कोर्ट की है, एक मेजारिटी की और दूसरी माइनारिटी की। माननीय जस्टिस सरकार की जो राय है, वह इस सदन के बहुमत सदस्यों की भी है, और वह मुनासिब है और कांस्टीट्यूशन में संशोधन होना चाहिए। उसी के लिए यह प्रस्ताव आया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपार्लसिंह--

मैं केवल श्रीमन्, दो बातें निवेदन करूंगा.....

श्री उग्रसेन--

मान्यवर, एक दिन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव हमारा लेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय श्रीपाल जी को बोल लेने दीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

संविधान की धारा १९४ (३) पर जो बहस हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई। जो मेरी समझ में आया वह मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कोई वकील तो हूं नहीं जो कानूनी हैसियत बता सकूं, लेकिन मैं अपनी समझ से यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि "१९४ (३)—अन्य बातों में राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधान मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की है।"

तो यह प्रश्न यहीं समाप्त हो गया कि हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज हमारे ऊपर लागू हैं ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रिया नियमावली बना ली और जो कांड हमारे सामने हुआ वह तब हुआ जब हमारी नियमावली बन चुकी थी। तो १९४ (३) तो कतई लागू नहीं होता। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रक्रिया के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यही संविधान पावर्स देता है कि जब प्रक्रिया बना लेंगे, तो जो हम सदन में काम करेंगे, उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं की जायगी। श्रीमन्, आप संविधान का अनुच्छेद २१२ देखें। उसके (१) और (२) में लिखा हुआ है—"२१२ (१)—प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायगी।"

और मान्यवर, २१२ (२) के अन्त में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि "किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।"

धारा २१२ में एकदम स्पष्ट है कि जब हमने प्रक्रिया बना ली तो हम उस के अन्तर्गत यदि काम करते हैं, तो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। हमने जो भी काम किया वह अपनी नियमावली के नियम ७६ (६) के अधीन किया और उसी में हमने श्री केशव-सिंह को सजा दी। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आयें।

अब सवाल यह होता है कि न्यायालय ने फिर क्यों अपनी टांग अड़ाई? एक कारण है, और मैं स्पष्ट कहूंगा कि इतना स्पष्ट संविधान होते हुए भी, अगर टांग अड़ाई गई, तो उसमें भी कुछ न कुछ बात थी और वह यह थी, जो माननीय नैयर ने कही कि यहां के जितने सदस्य हैं, इनको सर्विसेज के आदमी और न्यायाधीश, मैं थोड़ा आगे बढ़ कर कहता हूं, वह यही समझते हैं कि सब "अंगठा टेक" हैं। इसलिये इनकी न तो कोई इज्जत है, और न ये किसी काम के हैं, इनको जो चाहो सो कहो। अन्यथा इतना स्पष्ट संविधान है, उसके बावजूद जब अर्जी गई तो पहले ४९१ सी० आर० पी० सी० में दी गई। जज ने कहा कि मैं धारा ४९१ में तो नहीं ले सकता, यदि आप अनुच्छेद २२६ में इसको दें, तो मैं इसे देखूं। जहां तक मुझे याद है, सरकारी वकील का जो वक्तव्य उस दिन आया था, वह यही था कि जज ने यह कहा कि इसको २२६ कर दीजिए, तब हम देख सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम और उग्रसेन खुद रिट मूव करने के लिये गये थे, जज ने यह कभी नहीं कहा कि २२६ में कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

फैक्ट्स जो हमारे सामने आये हैं, वे वही हैं, जो माननीय श्रीपालसिंह कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

श्री कपूर जब फंस गये तो अपने बचाव के लिये ऐसा कह दिया।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो मैं कह रहा था कि इसी स्थान पर मंशा स्पष्ट हो जाती है, कि धारा २२६ में ले आने का कारण क्या था? वह कारण केवल यह था कि अच्छा मौका है, इनको घिसो और इनके अधिकारों को घिस कर, अंगूठाटेक तो हैं ही, रद्दी की टोकरी में डाल दो। इस आधार पर ही उनको जमानत पर छोड़ दिया गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है। कैन ए मेम्बर एट्रीब्यूट मोटिव्स, स्पेशली फार दि कोर्ट? (Can a member attribute motives specially for the Court ?)

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर वे हिन्दी में कुछ कहते तब तो उसका कुछ जवाब भी देता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जानबूझ कर यह चेष्टा कैसे हुई। आप उसका प्रमाण देखिये। जब हमारे यहां यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो हमने उस पर विचार किया और हमने विचार करके यह नहीं कहा कि उन को पकड़ कर ले आया जाय।

(श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर के खड़े होने पर शोर)

श्री बृजभूषणशरण—

बार-बार यह जो सदस्य बोल रहे हैं वे कौन हैं, बीच-बीच में वे क्यों बोल जाते हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैंने जो वारंट जारी किया था उसमें यह कहा था—स्पष्टीकरणार्थ उपस्थित हों।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर ही यह कह रहा हूं, अगर शब्दों में कुछ हेर फेर हो तो उस को क्षमा किया जाय। जब हमने जजेज को सुनने के लिये बुलाया तो हमने कौन-सी तोप दाग दी थी? कहां उन को पकड़ कर बंद कर दिया था कि एक दम २८ जज चट से विचार करने के लिये बैठ गये? जब २८ आदमियों ने बैठ कर एक चीज पर विचार किया तो उन्होंने भी उन्हीं ऐक्शन्स को किया जिन हमारे ऐक्शन्स को गैरकानूनी बताया गया था, बल्कि उनसे भी ज्यादा गैर कानूनी काम किया। फिर भी, हमारी नीयत देखिये कि हम उद्दंड नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। क्रोध को संवरण करके इस झगड़े को हमने राष्ट्रपति को दे दिया, सुलझाने के लिये। राष्ट्रपति ने स्वयं उस को नहीं मांगा था। हम लोगों ने उसको उनके पास भेजा।

अब सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी वह उनका कोई फैसला नहीं है, उनकी एक राय है। राय मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह भी लिख दिया कि यह किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन यहां प्रश्न यह खड़ा कर दिया गया है कि विशेषाधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या हैं। यह प्रश्न कहां से आ गया? यहां तो साफ-साफ प्रश्न न्यायपालिका और विधायिका का था। अब सवाल यह आता है कि न्यायपालिका ऊपर है या विधायिका? विधायिका जो काम करती है न्यायपालिका उसको

[कुंवर श्रीपालसिंह]

अमल में लाती है । उस का इन्टरप्रिटेशन यह है, कि विधायिका न्यायपालिका को सुझाती है कि यह काम करो । एक मोटी सी मिसाल है । कोई यह पूछे तो क्या जवाब होगा कि बच्चे पर मां का अधिकार है या पिता का। कानून को बनाती है विधायिका और न्यायपालिका उसका अर्थ करती है । अगर न्यायपालिका को ही सब शक्ति होती तो वह कानून क्यों नहीं बना देती है ? फिर हम यहां पर क्यों बैठे हैं ? न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है ? मैं आज कल की नहीं, उस समय की बात कहता हूं जब शुरू म इसकी नियुक्ति हुयी ह । उस समय जब राजा कोर्ट में नहीं बैठ पाता था तो अपने स्थान पर धर्माध्यक्ष, वही अब न्यायाधीश कहलाता है, को बैठा देता था। यानी राजा के पिष्टपेषण के लिए उसका निर्माण हुआ और वही कार्य वे आजतक करते आये हैं। आज माननीय हरगोविन्द सिंह जो पुलिस के मंत्री हैं, अगर वे जबरदस्ती किसी को बन्द करा दें, बहुमत के द्वारा वे कानून बना दें, तो मजाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके खिलाफ चली जाय। मेरी राय में सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी है, कार्यपालिका । उसका प्रमाण क्या है ? काश्मीर में शेख अब्दुल्ला के ऊपर मुकदमा चलाया गया । कार्यपालिका ने चलाया । न्यायपालिका के सामने वह केस मौजूद था। बीच में ही उसको विड्ड्रा कर लिया । न्यायपालिका की कहां चली गयी सुप्रीमेसी जिसके आधार पर हमें कहा जाता है कि तुम मुंह खोल कर बैठो ? तो यह सुप्रीमेसी वाली चीज स्पष्ट सिद्ध है ।

एक चीज और आप देखें। जजेज की नियुक्ति कौन करता है ? राष्ट्रपति । और राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है ? हम । इस तरह से आप सोच लें कि सुप्रीमेसी किस की है। जो जजेज को नियुक्त करता है हम उस को नियुक्त करते हैं, मगर हम कहीं के नहीं हैं। हमारी बात कुछ नहीं है। हम अंगूठा टेक समझे जाते हैं। अंगूठा टेकने वालों की ही मैजोरिटी देश में है। उसमें बड़ी बड़ी पोथी वालों की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने ही देश का सत्यानाश किया है। जिस समय देश में स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ा हुआ था, कितने जजेज थे जिन्होंने उस में भाग लिया ? उस वक्त भी ये अंग्रेजों के कानून का इन्टरप्रिटेशन करते थे और अब जब वे चले गये हैं तो ये हमारी मौजदा सरकार के कानूनों का इन्टरप्रिटेशन करत हैं और कल जब हम उधर होंगे तो ये हमारे कानून का इन्टरप्रिटेशन करने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि "हम" सुप्रीम हैं।

अन्त में, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है इसमें माननीय चन्द्रजीत जी मे जो एक चीज कही थी,उस संशोधन का मैं विरोध करता हूं। वह है "यदि उचित हो"। हमारा संविधान इतना सक्षम है कि यदि ५ देशों के जजेज को बुलाकर बैठा दिया जाय और उनके सामने यह संविधान रख दिया जाय तब देखिए कि क्या फैसला होता है, जजेज के पक्ष में या विपक्ष में ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैंने पहले एक प्रस्ताव समय बढ़ाने के सम्बन्ध में किया था। तो पहले हमारे प्रस्ताव को लिया जाय और बाद में और दूसरे प्रस्ताव को लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस विवाद के लिए एक दिन का समय बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी इस बीच निम्न कार्यवाही हुई ।)

श्री भगवानसहाय—

मैं चाहता हूं कि बैलेट से वोट लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नहीं हो सकता।

श्री भगवानसहाय—

क्यों नहीं हो सकता ? आपके कानून में दिया हुआ है कि बैलट से वोट लेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

लाबीज से भी लोग आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

लाबी सदन का हिस्सा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में .. ३०,

विपक्ष में .. १०४)।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लें। नियम २९८ के अन्तर्गत मुझे यह अधिकार है कि केवल हाथ उठा कर मैं यह निश्चय करूं कि विभाजन का क्या परिणाम हुआ। लिहाजा जो आपत्ति की गयी थी वह निराधार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणसिंह—

यह संकल्प आप किसको भेजेंगे, कहां भेजेंगे, यह साफ नहीं है। इसलिये इस संकल्प पर आप बैलट से वोट लें वर्ना यह हवा में जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आने तो दीजिये उसे।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वादविवाद में हिस्सा लिया। मान्यवर, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ ने इसका विरोध भी किया। कुछ ने शान्ति से बात कही और कुछ ने जोरों से कही। यह बात अपनी जगह सर्वमान्य है कि जोरों से बात कहने में कोई प्वाइंट गेन नहीं होता और शांति से बात कहने में कोई प्वाइंट लूज नहीं करता।

जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने ४, ५ बातों पर बहुत जोर दिया। एक तो यह कहा गया कि आप इतने बड़े अधिकार क्यों चाहते हैं? क्यों आप जनता के,

[श्री नबल किशोर]

अधिकारों से ऊपर अपने अधिकारों को रखना चाहते हैं? किसी ने मान्यवर, कहा है कि जो न्यायपालिका के अधिकार हैं उनको क्यों छीनना चाहते हैं? किसी ने कहा कि ३००-४०० वर्षों के पहले क पुराने अधिकार हैं और श्रीमन्, किसी ने यहां यह कहा है कि १९४(३) को कांस्टीट्यूशन में से निकाल दिया जाय, इसको फाड़ कर फेंक दिया जाय। मान्यवर, इतिहास बताता है कि ऐसे भी महापुरुष हुये हैं जिन्होंने जिस शाख पर वे बैठे उसी को काटा है। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे दुख जरूर है कि जो बात हाई कोर्ट ने भी नहीं कही और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कही, उससे भी आगे हमारे कुछ साथी चले गये।

माननीय राधेश्याम जी ने बड़े जोरों से कहा, लेकिन में उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने उसको स्पष्ट कर दिया है। इस विधान सभा ने राष्ट्रपति को रिफ्रेंस नहीं भेजा और हमने हर स्टेज पर कहा कि यह नहीं समझना चाहिये कि हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को सबमिट कर रहे हैं और हमारे वकील ने भी कह दिया था कि मुझे विधान सभा के स्पष्ट आदेश हैं कि वह पार्टी नहीं हैं और किसी भी मानी में उसके ऊपर आपका फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। अब श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन क्या है, मेरे कहने की बात नहीं है, यह कानूनी बात है। प्रिवी कौंसिल और फेडरल कोर्ट के जजेज का निश्चित मत है कि ओपीनियन की हैसियत वही है जो किसी ओपीनियन आफ ला आफिसर्स की होती है। जस्टिस लोटवर्न ने भी यही मत प्रकट किया है कि वह किसी पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन माननीय न्यायमंत्री की यह दलील मेरी समझ में नहीं आई कि यह कैसे बाइन्डिग है—हां हमको इसका आदर अवश्य करना चाहिये।

मान्यवर, माननीय दीपनारायणसिंह जी ने यदि मेरा भाषण सुना होता तो उनको मालूम होता कि मैंने सब से पहले कहा था कि मैं उन लोगों में से हूं जो जुडीशियरी की इंडिपेंडेंस को शत प्रतिशत मानते ह। माननीय न्याय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन में दिये हुए विधान पालिका के ग्रेन्डयोर की बात कही है। मैं भी कहना चाहता हूं कि यह हमारा बड़ा गौरव है कि हमने अपने देश म स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की है और हम उसकी मान मर्यादा रखना चाहते ह। हम उसकी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठोकर मारने से इज्जत नहीं होती है।

"Respect for courts should not make us forget our own self-respect."

मान्यवर, सबसे पहले हमारे अधिकारों को चुनौती दी गई उच्चतम न्यायालय द्वारा जब कि उसके डिफस में हम खड़े हुये हैं। यह कहा गया कि आप इतने अधिकार लेना क्यों चाहते हैं? माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा है कि वह मेजोरिटी की ओपीनियन से इत्तिफाक करते हैं और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें एतराज नहीं है कि यदि माइनरिटी का ओपीनियन को ही मान लिया जाय। मगर दोनों ही सही कैसे हो सकती हैं? मेजोरिटी ओपीनियन सही है जसा कि वे कहते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाय ताकि दोनों की मान मर्यादा बनी रहे। मैं समझा नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसको अधिकार है। अगर विधान सभा किसी को जनरल वारंट से कमिट करती है तो उसकी छानबीन कर सकते हैं तो जब तक यह राय वापिस (विद्ड्रा) न हो तब तक बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है? एक उन्होंने कोटेशन पढ़ा। उसमें भी दो बातें कही गयी हैं और माननीय नायर साहब ने भी वही कहा है। पांच सवाल पूछे गये थे उनका जो जवाब दिया गया है वही जवाब बहुमत ने दिया है, वही जवाब जस्टिस सरकार ने भी दिया है। फिर दो राय कैसी मानी जायें? मान्यवर, मुझे यह कहना है कि यह फैक्ट्स एन्ड सरकम्सटेंसेज पर आधारित है। मान्यवर, रिफरेन्स का आधार ही गलत है।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप जरा इसके प्रीफेस को पढ़ें। वह इस प्रकार है कि:

"In rendering our answer to this question which is very broadly worded, we ought to preface our answer with the observation that the

answer is confined to cases in relation to contempt alleged to have been committed by a citizen who is not the member of the House outside the four walls of the Legislative Chambers."

इससे यह साफ स्पष्ट है कि यह राय उन मामलों पर लागू नहीं है जो सदन के अन्दर हों चाहे सदस्यों द्वारा या बाहरी नागरिक द्वारा। नागरिक और सदस्य में भेद भी किया गया है। हालांकि यह कोई महत्व की बात नहीं है कि कन्टेम्प्ट अन्दर हुआ है या बाहर हुआ है और वह किसने किया है–विधान मंडल के सदस्य ने या बाहरी नागरिक ने, क्योंकि इस हाउज का अधिकार है कि अगर कोई कन्टेम्प्ट बाहर भी करता है तो वह उसके लिये दंड दे सकता है। और जब कि केशवसिंह द्वारा हाउस का जो कन्टेम्ट हुआ वह विदिन फोरवाल्स आफ दी हाउस हुआ, सदन के अन्दर हुआ। क्या न्याय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि आखिर जो रिफरेन्स ड्राफ्ट हुआ, जिसमें २ बातें थीं, उसका डाटा गलत था–स्पोकिंग वारण्ट को अनस्पोकिंग बनाया गया और तथ्य भी गलत दिये गये।

मान्यवर, मैं एक बात बहुत समय से कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कहना चाहता हूं कि यू० पी० का न्याय विभाग इस मामले में शुरू से ही फेयर गेम प्ले नहीं कर रहा है, उसने फेयर प्ले नहीं किया है। हम यह अधिकार क्यों चाहते हैं, हम कोई नई बात नहीं चाहते हैं, जो कांस्टीट्यूशन फ्रेमर्स थे, डाक्टर अम्बेदकर जो ड्राफ्ट कमेटी क चेयरमैन थे, उनकी इच्छा के अनुसार हम अधिकार चाहते हैं। कनाडा, इंगलैन्ड, विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया और दक्षिण आस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसा ही प्राविधान किया गया है, तो हमारे संविधान में ही इसका प्राविधान क्यों न माना जाये? इसका प्रावीजन होना परम आवश्यक है और बिना इसके हमारा कार्य सुचारु रूप से चल नहीं सकता है, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। विक्टोरिया ने १८५४, दक्षिणी आस्ट्रेलिया ने १८५५, कनाडा ने १८७४ और आस्ट्रेलिया ने १९०१ में इस तरह के अपने यहां प्रावीजन किये हैं, १०० वर्ष और उससे भी पूर्व उन्होंने इसके महत्व को समझा था और इसीलिये उन्होंने अपने अपने यहां के संविधान में इस चीज को स्थान दिया। यही नहीं, सफलता के साथ उनको कार्यान्वित भी किया।

श्री उग्रसेन—

मान्यवर, नवलकिशोर जी एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, यह बात तो इनकी तरफ से अनेक बार कही जा चुकी है।

श्री नवलकिशोर—

मैं कोई दोहरा नहीं रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कनाडा, इंग्लैन्ड और दक्षिण आस्ट्रेलिया की जनता और वहां की पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को जब इन अधिकारों को एन्ज्वाए करने का अधिकार है, वह इन विशेषाधिकारों को एन्ज्वाय कर सकती हैं तो हिन्दुस्तान में क्या ऐसी खराब बात या परिस्थिति है कि यहां की संसद या विधान पालिका इन अधिकारों को एन्ज्वाय नहीं कर सकतीं?

मान्यवर, दूसरी बात यह है, इसके अन्दर जो कहा गया बड़े गर्व के साथ कि यह तो बड़ी पुरानी हो गयी है, इतनी ज्यादा पुरानी हो गयी कि बेमानी हैं। यहां कई बार कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि १९५५ में जो आस्ट्रेलिया में रिचर्ड का केस हुआ था। उसमें वहां के हाईकोट ने और प्रीवी–कौंसिल ने यह माना कि वह लेजिस्लेचर्स के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मान्यवर, यह इस बात को साबित करता है कि १९५५ तक प्रिवी कौन्सिल ने यह माना है कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अन्दर यह अधिकार था। मान्यवर, मैं इस संबंध म २, ३ बातें रखना चाहता हूं कि यह अधिकार हम क्यों चाहते हैं–– क्यों अधिकार हमें आवश्यक हैं, स्वाभिमान के साथ रहने और काम करने लिये....

श्री उग्रसेन—

तो यह तो रिकार्ड है, इस संबंध में यह बता दीजिये कि जस्टिस स्टीफेंसन ने इस संबंध में क्या कहा है ? वह जजमेंट नहीं है ।

श्री नवलकिशोर—

लेकिन उसका मतलब जजमेंट के बराबर है और यहां मानकर चलना चाहिये कि वह जुडीशियल ऐक्शन है, वह अपनी जगह उसका एन्ट्रेग्रल पार्ट है ।

"Power to commit is the keystone of Parliamentary privilege."

श्री उग्रसेन—

मान्यवर, जरा यह बता दीजिये कि पैनेल जूरीस्डिक्शन कहां है, इसमें ?

श्री नवलकिशोर--

यह जजमेंट है, इसमें लिखा हुआ है....

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या, अध्यक्ष महोदय, अब राष्ट्रपति से लड़ने जा रहे हैं ? यह तो सब बहस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट सब कह चुका है ।

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, भारतीय विधान के आर्टिकिल १९३ में जुडीशियल डिस्क्रीशन इसी माननीय भवन को है । जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें भी यही कहा गया है ।

"It cannot be said that the idea of the exercise of judicial power by the Assembly was abhorent to the constitutional matters."

जस्टिस सरकार ने भी यही कहा है कि माडर्न स्टेट में यह देश के हित में है कि पावर्स डिफरेंट बाडीज को दी जायं ।

स्टीफेंसन ने भी कहा है कि--

"In a modern state it is often necessary for the good of the country that parallel powers should exist in different authorities."

"I do not say that the resolution of the House is a judgement of the court. But it is much in common with such judgements. The House of Commons is not a Court of Justice but the effect of its privilege, practically invests it with a judicial character."

मान्यवर, यह इस बात का सबूत है कि हमारी भी जुडीशियल पावर्स हैं जब कि हम कोर्ट आफ जस्टिस नहीं हैं । लेकिन माननीय उग्रसेन जी समझना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें ?

श्री उग्रसेन—

आप समझने और समझाने का मौका ही नहीं देना चाहते । आप स्पष्ट बताइये कि आपका यह संकल्प विधान सभा के नियमों के अन्तर्गत है या नहीं । आपको पैनल अधिकार जुडीशियरी की तरह से हैं या नहीं, यह सब समझाइये । अभी आपने इनमें से किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया ।

श्री नवलकिशोर—

मैंने दो बातें, श्रीमन्, कही हैं। पहली तो यह कि विधायिका को यह अधिकार होना चाहिये या नहीं। अगर नहीं, तो फिर कानून बनाने, क्वेश्चन करने या दूसरे फंक्शन करने के लिये उसको फुलेस्ट फ्रीडम नहीं मिल सकती। मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन उग्रसेन जी को बतलाऊंगा कि लार्ड एडिनबरा, जस्टिस एडमंड और लार्ड हैलिसबरी ने कहा है कि इनके बिना कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता। मान्यवर, राधेश्याम जी ने और न्याय मंत्री जी ने भी कहा कि हाउस आफ कामन्स के अन्दर यह सब ३०० साल की चीज है उसको आप यहां क्यों उठा रहे हैं? इत्तिफाक की बात है कि १७०४ के बाद जो इंग्लैन्ड की जुडीशियरी है उनको उस बात का ज्ञान हो गया कि पार्लियामेन्ट के कमिटमेंट में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं जानता हूं कि अगर इंगलैन्ड के किसी जज ने आज इस तरह की हिम्मत की होती जो कि हाई-कोर्ट, उत्तर प्रदेश के जजेज ने की है तो स्थिति क्या होती? मुझे जरा भी शक नहीं है कि उनको बांध कर पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता। अब जरूर मैं उनसे कहूं कि आप कोई गलती कीजिये और अपने को बंधवाइये ताकि हमारे यहां उसके लिये कोई परम्परा बन जाय। तो यह चीज तो मैं कर नहीं सकता। यह मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कांस्टीट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, लेकिन उसको अमेंड करने का अधिकार हरगिज नहीं हो सकता, इस कांस्टीट्यूशन को वह रिमेक भी नहीं कर सकती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शर्मा के मामले में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से तय हो गई। यह बात कहना कि इस हाउस को वही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामंस को है लेकिन उसको कमिट नहीं कर सकते थे इसके मानी कांस्टीट्यूशन को नये तरह से बनाने की बात है।

एक बात और कहना चाहता हूं। ऐसा कुछ भाइयों ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया वह तो दिया लेकिन जो इंगलैन्ड का सर्वमान्य विशेषाधिकार है कमिटमेंट का, उसका खयाल न करके जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वह भी बहुत अच्छा सबूत उनके इंटरप्रिटेशन का नहीं मिला। इंग्लैन्ड के लोगों ने भी उसको बहुत पसन्द नहीं किया है। यह कहा जाता है कि यह फन्डामेन्टल राइट्स तो जनता के हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में भ्रम पैदा करने की चेष्टा की गयी है कि शायद यह विधान सभा जनता के अधिकारों को छीनना चाहती है। मान्यवर, जनता के अधिकारों का सवाल नहीं है, व्यक्ति के अधिकारों को हो सकता है जनता के सामूहिक अधिकार ही हो सकते हैं, व्यक्ति के अधिकार तो नहीं हो सकते, जनता का नाम देना भ्रामक है।

श्री उग्रसेन—

व्यक्तिगत अधिकार नहीं, नागरिक अधिकारों की बात है।

श्री नवलकिशोर—

जिस वक्त जनता के अधिकार की बात है उस वक्त यह बात निश्चित रूप से आ जाती है कि जनता के अधिकार सर्वोच्च सत्ता के प्रतिविम्ब पार्लियामेंट और असेम्बलीज में निहित हैं और जो असेम्बली के प्रिविलेजेज हैं वही उसके फंडामेंटल राइट्स भी कहलाते हैं और जो असेम्बली के फंडामेंटल राइट्स हैं वही एक माने में जनता के सामूहिक मौलिक अधिकार हैं। जब जनता के सामूहिक अधिकार असेम्बली और पार्लियामेन्ट के अन्दर प्रतिविम्बित होते हैं तो जब उनके ऊपर कुठाराघात होगा तो किसी व्यक्ति के अधिकार उन सामूहिक अधिकारों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिये यह दलील जो उठाई गई है वह गलत है।

एक बात नायर साहब ने कही कि जजों को यह अधिकार इसलिये है कि वह कानून को इन्टरप्रेट करें क्योंकि वह अंगूठा टेक नहीं होते हैं। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस देश के अन्दर इन अगूंठाटेकों ने ही लड़कर सार्वभौमिक सत्ता को प्राप्त किया है और उन्हीं अगूंठाटेकों ने उस सार्वभौम सत्ता को प्राप्त करके इस देश के लिये एक महत्वपूर्ण विधान दिया है जिसको सर्वमान्य सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है।

[श्री नवलकिशोर]

यड़ी नहीं, श्रीमन्, श्री नायर साहब ने सदन के सामने इस बात की मिसाल दी कि यदि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आ जाय तो क्या होगा और यह भी कहा गया कि अगर पार्लियामेंट किसी कन्टेम्प्ट के केस में किसी का सिर काट दे तो क्या होगा। इस सन्देह की तो दवा नहीं है। इसका एक ही जवाब है। हम यह मानकर चलते हैं कि जितनी जिम्मेदार जुडिशियरी अपने को समझती है ये जनता के चुने हुये नुमाइन्दे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। यह मैं मानता हूं और यह सम्भव है कि जनता के चुने हुये नुमायन्दे गरीब हों, यह सम्भव है कि जनता के नुमायन्दे पढ़े लिखे बहुत कम हों मगर यह बात सही है कि आज इतिहास में और इस देश में उन्होंने एक शानदार तरीके से शानदार काम किये हैं, उनके महत्वपूर्ण कर्त्तव्य व उत्तरदायित्व हैं, वह जनता का विश्वास प्राप्त कर उनके हितों की रक्षा करने और उसको सुविधायें प्रदान कराने के लिये यहां आते हैं, जुडिशियरी प्रायः कन्जरवेटिव होती है— जन प्रतिनिधि प्रगतिशील रहते हैं। परन्तु प्रजातान्त्रिक जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उस कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत जुडिशियरी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है किन्तु उससे अधिक जिम्मेदारी जनता के नुमायन्दों के ऊपर भी आ गई है क्योंकि उनके ऊपर जो काम सौंपा गया है वह काम उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जो कि जुडिशियरी का है। दोनों का अपना अपना क्षेत्र है।

सवाल बहुत छोटा सा है और वह यह है कि विधान सभा और पार्लियामेंट को जो १९४ (३) में अधिकार दिये गये हैं वह हमको प्राप्त होते हैं या नहीं। बहुत से साथियों ने भी कहा है कि प्रिवी कौंसिल, आस्ट्रेलिया और कनाडा और हिन्दुस्तान में भी ऐसे फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस राय को छोड़कर जितने भी और यहां फैसले हुये हैं उन्होंने इसी बात को माना है कि हमको इस बात का अधिकार है। शर्मा जी के केस में ५ जज बैठे थे। उसमें ४ ने यह फैसला दिया था कि फंडामेंटल राइट्स प्रिविलेजेज को ओवर-राइड नहीं कर सकते। केवल एक जज ने अपना नोट आफ डिसेन्ट दिया था। उसके मुकाबले में इस ओपिनियन के मामले में ७ आदमियों ने अपनी ओपिनियन दी है जिसमें ६ ने एक तरफ कहा है और एक ने दूसरी तरफ कहा है। इन दोनों को साथ ले लें तब भी पांच जज हमारी बात मानते हैं और सात दूसरी। इस विषय पर यहां पर बहुत काफी बातें कही गई हैं। हमारे साथियों ने बहुत कुछ उस पर कहा है। इसलिये मैं उस पर कुछ नहीं कहता लेकिन मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने यह भी मान लिया है कि "दिस हाउस इज दि मास्टर आफ इट्स ओन प्रोसीजर।" (This House is the master of its own procedure) यह बात उन्होंने मान ली कि हमको अधिकार है। उन्होंने कह दिया कि हम इसके अन्दर जा नहीं सकते कि क्या कानून है और क्या नहीं है।

"We cannot go into the correctness, propriety or legality of the commitment. This court, in a petition under Article 226, cannot sit in appeal on the decision of the Legislative Assembly committing the petitioner for its contempt. The Legislative Assembly is the master of its own procedure and is the sole judge of the question whether its contempt has been committed or not."

एक बात न्याय मंत्री जी ने कही, और मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, कि इस कंट्रोवर्सी में और इस कनफिलक्ट में जाना देश के हित में नहीं होगा और न प्रदेश के हित में होगा। हम भी यह चाहते हैं कि यह कन्ट्रोवर्सी समाप्त हो। चन्द्रजीत जी ने कहा कि यह प्रस्ताव लचर है। जो भी उनकी शिकायत हो, मान्यवर, हमने इस प्रस्ताव में इस बात की कोशिश की है कि हम जुडिशियरी की शान के खिलाफ कोई बात न कहें। हमने इस बात की पूरी कोशिश की है मगर हमें ऐसा लगता है कि इसमें भ्रान्तियां पैदा हो गयीं। माननीय काशीनाथ जी को भ्रान्ति पैदा हो गयी थी जब उन्होंने कहा कि १९४(३)को हटा दिया जाय। उसके बाद तो उनका अमेंडमेंट कोई मानी नहीं रखता। अगर कोई तरीका और निकल सकता है, प्रेसीडेंट के द्वारा अथवा किसी और तरीके से यदि यह समस्या सुलझ सकती है तो हमें उसमें कोई जिद नहीं है। इस देश में और प्रदेश में जनतंत्र के मजबूती से संचालन के लिये आवश्यक है कि हम जुडिशियरी का

मान भी रखें और उसकी आजादी को कायम रखें, लेकिन इसके साथ ही साथ जन प्रतिनिधियों को भी अपना काम करने की पूरी आजादी होनी चाहिये। एक बात मैं कहना चाहता हूं। कहा गया कि नियम ७४ और ७६ अल्ट्रा वायरस हैं। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं कि एक मनुष्य विजिटर्स गेलरी में आ कर बैठता है और वह जूता फेंक कर मारता है। वह हम में से किसी सदस्य को लगता है, हाउस में कंटेम्प्ट हुआ और हाउस अगर उसे उस के लिये जेल भेजता है तो यह आशा करना कि स्पीकर महोदय दस्तबस्ता अदालतों का दरवाजा खटखटाते घूमेंगे कि इसको पनिशमेंट दिया जाय या नहीं हमारा ऐक्शन सही है या नहीं, यह कहां तक ठीक है ? दुनिया के किसी जनतांत्रिक देश में आज तक यह बात नहीं हुई। न कोई स्वाभिमानी सदन ऐसी जिल्लत बर्दाश्त ही करेगा। May के पन्ना १५९ पर इस प्रकार दिया हुआ है—

"The possession of such powers was essential for the maintenance of the dignity of the Houses and that they would sink into utter contempt and inefficiency without them.".

इंगलैन्ड के झगड़ों की बात कही गयी। हम यह अमेंडमेंट इसीलिये लाये हैं कि यह झगड़ा आइन्दा के लिये खत्म हो। जो झगड़ा वहां हुआ उसका रिपीटीशन हिन्दुस्तान में न हो, इसलिये हम इसे पास कराना चाहते हैं। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संकल्प को पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन—

आपके प्रस्ताव से झगड़ा बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि अनुच्छेद १४३(१) के अधीन रेफरेंस नं० १, सन् १९६४ में जो मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों ने व्यक्त किया है वह संविधान के अनुच्छेद १९४(३) की स्पष्ट भाषा और भावना के विपरीत प्रतीत होता है और साथ ही साथ संविधान के निर्माताओं के अभिप्रायों के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः उच्चतम न्यायालय की राय से उत्पन्न भ्रान्तियों के निवारणार्थ यदि आवश्यकता समझी जाय, तो संविधान में उचित संशोधन या स्पष्टीकरण करने के लिये कार्यवाही की जाये, जिससे कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदनों, समितियों तथा सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां, ब्रिटिश हाउस आफ कामंस, उसकी समितियों तथा सदस्यों के समान बनी रहें तथा प्रवर्तित हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नरूप में विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ।)

पक्ष में

श्री अक्षयवरसिंह, श्री अनीसुर्रहमान, श्री अब्दुल समी, श्री अयोध्या प्रसाद, राजा अवधेश प्रताप, श्री इन्द्रपाल, श्री उमादत्त, श्री ऊदल, श्री कन्हैयालाल, श्री कमलासिंह यादव, श्रीमती कलारानी मिश्रा, श्री काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री किशोरीलाल अग्रवाल, श्री कृष्णचन्द, श्री कृष्णसिंह, श्री कृष्णानन्दराय, श्री केदारनाथ भार्गव, श्री केशव गुप्त, श्री कोतवालसिंह भदौरिया, श्री खुशीराम, श्री खूबसिंह, श्री खेमचद, श्री गंगासिंह विष्ट, श्री गणेशचद्र काछी, श्री गणेशप्रसाद, श्री गनेशीलाल चौधरी, श्री गुप्तारसिंह, श्री गुलाबसिंह, श्री गेंदासिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्रीमती चम्पावती, श्री चुन्नी लाल, श्री छत्रपति अम्बेश, श्री जगदीशनारायण सिनहा, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद), श्री जगदीशशरण रस्तोगी, श्री जमीलुर्रहमान किदवई, श्री जयगोपाल,

काजी जलील अब्बासी, श्री जसरामसिंह, श्री जियाउर्रहमान, श्री जे० पी० मिश्र, श्री ज्वालाप्रसाद, श्री झारखण्डेराय, श्री झिलमिटराम, श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री डल्लाराम, श्री तेजनारायण त्रिवेदी, श्री त्रेपनसिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री दुर्योधन, श्री देशराजसिंह, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री नवलकिशोर, श्री नेकराम शर्मा, श्री पातीराम अहरवार, श्री बंशीधर मिश्र, श्री बंशीलाल, श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री बल्वन्तसिंह, श्री बलवानसिंह, श्री बसन्तलाल, श्री बसन्तलाल शर्मा, श्री बिशनलाल यादव, श्री बृजबिहारी, श्री बृजभूषण शरण, श्री बृजमोहनलाल गुप्त, श्रीमती बृजरानी, श्रीमती बेनीबाई, श्री बैजनाथसिंह वैद्य, श्री बैजूराम, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री भीखालाल, श्री मदनपालसिंह, श्री महरामसिंह, श्री महावीर प्रसाद, श्री महावीरसिंह, श्री माताप्रसाद, श्री माधोनारायण मुद्गल, श्री मुजफ्फर हसन, श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री मुहम्मद हुसैन, श्री मूलचन्द शास्त्री, श्री मैनेजरसिंह, श्री यशपालसिंह बर्मा, श्रीमती यशोदादेवी, श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथप्रसाद, श्री रघुनाथसिंह, श्री रघुबीर, श्री रघुवीरसिंह, श्री रमाकान्तसिंह, श्री राजनारायण, श्री राजनारायणसिंह, श्री राजाराम, श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी, श्री राजेन्द्रसिंह यादव, श्री रामनाथ पाठक, श्री रामपालसिंह, श्री रामप्यारे, श्री रामबली मिश्र, श्री रामभजन, श्री राममूर्ति, श्री राममूर्ति 'अंचल', श्रीमती रामरती, श्री रामलखन शुक्ल, श्री रामलखनसिंह, श्री रामसमझावन, श्री रामसिंह (सहारनपुर), श्री रामसूरतप्रसाद, श्री रामायणराय, श्री लक्ष्मीशंकर यादव, श्री लालबहादुर सिंह (जौनपुर), श्री विजयपालसिंह, श्री विजयशंकरसिंह, श्री वीरसेन, श्री वैजनाथ पांडेय, श्री शंकरलाल, श्रीमती शकुन्तला देवी, श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री शिवराजसिंह, श्री शीतलप्रसाद, श्री शुगनचन्द मजदूर, श्री शुगनचन्द शर्मा, श्री श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री श्रीनिवास, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री श्रीराम तिवारी, श्री सईद अहमद, डाक्टर सियाराम गंगवार, श्री सुक्खनलाल, श्री सुखरामदास, श्री सुखलाल (इटावा), श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री सुरजनराम विशारद, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री हमीद खां, श्री हरिगैनराम, श्री हरीदत्त कांडपाल, श्री हरीसिंह, श्री होतीलाल अग्रवाल, श्री होरी-लाल यादव ।

विपक्ष में

श्री अवधेशकुमार सिनहा, श्री उग्रसेन, श्री उमाशंकर तिवारी, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री गयाप्रसाद, श्री गिरजाप्रसाद, श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री दीपनारायणसिंह, श्री धूमप्रसाद, श्री नाथूराम शिक्षक, श्री नारायणसिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री बाबूसिंह, श्री बिपिन बिहारी तिवारी, श्री भगवानदास बरनवाल, श्री भगवान सहाय, श्री मन्नालाल, श्री मुलतानसिंह, श्री रक्षपालसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री लखीसिंह, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री श्यामलाल, श्री सत्यनारायण पांडेय, श्री सुखदेवप्रसाद, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१ अप्रैल, १९६५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

सन् १९६४ में अहेड़िया जातियों द्वारा किये गये जरायम की थानेवार सूची

क्रम-संख्या	नाम अभियुक्त			जरायम संख्या तथा दफा			नाम थाना
१	शेरा पुत्र अंसारी	निवासी	सिरोरा	१	भारतीय दन्ड विधान की धारा	४५७.	अनूपशहर
२	चुन्नी पुत्र बुद्धा	,,	,,	१	,,	,,	,, ,,
३	हुलासी ..	,,	लघोई	१	,,	,,	धारा २९६. डिवाई
४	सिया पुत्र सरबन	,,	चौडरा	१	,,	,,	धारा ३९५–३९७. पहासू
५	कालीचरन ..	,,	,,	१	,,	,,	,, ,,
६	विपती पुत्र सुखराम		,,	१	,,	,,	,, ,,
७	सरूपा पुत्र चिरंजी	,,	धामनी	१	,,	,,	४५७ जहांगीरा-बाद
८	रम्भू पुत्र पुन्ना	,,	,,	१	,,	,,	,, ,,
९	चुन्नी पुत्र रामू	,,	जलीलपुर	१	,,	,,	३९५ ,,
१०	गुलजारी पुत्र बुद्धा	,,	,,	१	,,	,,	,, ,,
११	कुल्लन ,, ,,	,,	,,	१	,,	,,	२९५–३९७
१२	नत्थुआ पुत्र भगीरथ	,,	,,	१	,,	,,	३९५ ,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८० पर)

मारे गए व्यक्ति का नाम	अभियोगों का विवरण जिनमें वे फरार थे और खोज की जा रही थी
१—बाबा बृज मोहन	१—अपराध सं० ८५, धारा ३९५-३९७ भा० दं० वि०, वर्ष १९६२, थाना नवाबगंज, फर्रुखाबाद ।
	२—अ० सं० २५९, धारा ३९५-३९७ भा० दं० वि०, वर्ष १९५९, थाना कायमगंज ।
	३—अ० सं० ६२ " " १९६२ थाना नवाबगंज ।
	४— " १०८ " ३९६ " १९६२ "
	५— " १०३ " ३६६/३०७ " १९६४ "
	६— " २५४ " २९५/३९७ " १९६४ कोतवाली, फर्रुखाबाद ।
	७— " ७५ " " " १९६४ थाना शमशाबाद, फर्रुखाबाद ।
२—मैकू लोध	१—अं० स० २५४ धारा ३९६/३९६ भा० दं० वि० वर्ष १९६४ थाना फर्रुखाबाद ।
	२— " ७५ " १९६४ थाना शमशाबाद ।
	३— " १०३ " ३६६/३०७ " १९६४ थाना नवाबगंज ।
३—अतवल लोध	१—अ० सं० २५४ धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० वर्ष १९६४ थाना कोतवाली, फर्रुखाबाद ।
	२— " ७५ " " " १९६४ थाना शमशाबाद, फर्रुखाबाद ।
	३—अ० सं० १९१ धारा २५ शस्त्र अधिनियम वर्ष १९६३ थाना अलीगंज, जिला एटा ।
	४—अ० सं० १५ धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० वर्ष १९५९ थाना जैथरा, जिला एटा ।
४—मुंशी लोध	१—अ० सं० २५४ धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० वर्ष १९६४ कोतवाली फर्रुखाबाद ।
	२—अ० सं० ७५ " " " " १९६४ थाना शमशाबाद, फर्रुखाबाद ।
	३— " ६ " " " " १९६४ थाना कायमगंज, फर्रुखाबाद ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५-२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

मामलों की संख्या

थाना	किस्म जुर्म	जिनकी रपट हुई	जो चालान किये गये	जो सजायाब हुए	जो रिहा हुए
हुसेनगंज	डकैती ..	४	१	..	..
	कत्ल ..	४	३	..	१
	चोरी ..	११४	१३	२	२
	बलवा ..	७	३	१	..

विशेष विवरण :—

डकैती—१ न्यायालय में विचाराधीन, ३ में जांच जारी है।

कत्ल—२ न्यायालय में विचाराधीन, १ में जांच जारी है।

चोरी—६ न्यायालय में विचाराधीन, १८ में जांच जारी है, ६१ लापता अंतिम रिपोर्ट। २२ में जांच नहीं की गई।

बलवा—२ न्यायालय में विचाराधीन, २ में जांच नहीं की गई, १ में जांच जारी है। १ में अन्तिम रिपोर्ट।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

तालिका अ

बस्ती, गोरखपुर एवं देवरिया जिलों की चीनी मिलों के विरुद्ध ३१ दिसम्बर, १९६४, तक सेस एवं क्रय-कर का बकाया की स्थिति का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	जिला	१९५९–६० तथा इसके पूर्व के सीजनों का	१९६०–६१ सेस	१९६०–६१ क्रय-कर	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	बाल्टरगंज ..	बस्ती	..	..	..	..	..	०.४२	..	०.४२
२	बस्ती ..	,,	..	..	..	..	..	..	..	..
३	मुन्डेबा ..	,,	..	..	..	२.४६	१.७६	०.१३	०.२५	४.६०
४	खलीलाबाद ..	,,	०.४०	१.८१	०.३३	२.४१	..	०.११	०.१०	५.१६
	योग ..		०.४०	१.८१	०.३३	४.८७	१.७६	०.६६	०.३५	१०.१८
१	सरदारनगर ..	गोरखपुर	..	..	..	..	५.४१	५.४१	..	१०.८२
२	पिपराइच ..	,,	६.७५	५.४३	..	३.२२	२.२५	१.०२	०.३६	१९.०३
३	घुघली ..	,,	..	..	..	..	..	..	..	..
४	फरेन्दा ..	,,	१.०८	३.००	..	..	..	..	..	४.०८
५	सिसवा बाजार	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..		७.८३	८.४३	..	३.२२	७.६६	६.४३	०.३६	३३.९३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	भटनी	..	देवरिया	..	३.१७	१.९१	३.७४	१.९२	३.४४	..	१४.१८
२	देवरिया	..	,,	..	२.००	..	..	..	..	..	२.००
३	बैतालपुर	..	,,	..	१.८७	..	..	..	..	..	१.९७
४	प्रतापपुर	..	,,	..	..	..	..	..	..	..	..
५	गौरीबाजार	..	,,	..	..	..	..	..	..	..	..
६	कैप्टेनगंज	..	,,	..	..	..	..	..	..	..	..
७	खड्डा	..	,,	११.६२	१.३३	२.६०	२.९६	२.३८	..	..	२०.८९
८	छितौनी		,,	३.३१	३.०७	२.८६	३.५१	०.४३	..	..	१३.१८
९	लक्ष्मीगंज	..	,,	७.४४	२.६२	१.९२	४.१९	२.८२	३.५५	०.३६	२२.९५
१०	रामकोला (पी०)		..	..	..	..	..	..	५.१३	..	५.१३
११	रामकोला (खे०)		,,	१३.५९	२.८८	२.४८	५.१८	२.२५	४.३७	०.३३	३१.०८
१२	पड़रौना	..	,,	..	..	..	..	..	४.२३	०.५०	४.७३
१३	कठकुइयां		,,	..	..	..	..	..	..	०.३२	०.३२
१४	सिवराही	..	,,	..	..	..	..	..	०.३७	०.७५	१.१२
			योग	३५.९६	१६.९४	११.७७	१९.५८	९.८५	२१.०९	२.२६	११२.४५

अनुसंधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८९ पर)

हरिजन सेवक संघ, फैजाबाद के पदाधिकारियों की सूची

नाम	पद	नाम	पद
१—श्री श्रीराम	अध्यक्ष	११—श्री राज करन सिंह	सदस्य
२—,, बदली दास	उपाध्यक्ष	१२—,, अशर्फीलाल	,,
३—,, बाबूलाल कनौजिया	,,	१३—,, मनी राम	,,
४—,, उग्रसेन सिंह	,,	१४—,, ब्रज लाल दास	,,
५—,, रामदास	कोषाध्यक्ष	१५—,, मुन्नी लाल	,,
६—,, राम प्रसाद	कोषाध्यक्ष	१६—,, अवध नारायण	,,
७—,, सीताराम निषद	प्रधान मंत्री	१७—,, दौलतराम	,,
८—,, प्रभू राम	मंत्री	१८—,, सुकई भगत	,,
९—,, निरंकारनाथ मेहरोत्रा	,,	१९—,, पुट्टी राम	,,
१०—,, राजाराम रावत	,,	२०—,, पीताम्बर दास	,,
		२१—,, भोला राम	,,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८९ पर)

दिनांक १–८–६४ से ३१–१–६५ तक जिला मिर्जापुर में पड़ी डकैतियों का विवरण

थाने का नाम	डकैतियों की संख्या	डकैतियों की तिथि
लालगंज	१	६–८–६४
पंडरी	२	१—१७–९–६४
		२–१५–१–६५
कोतवाली देहात	१	९/१०–१०–६४
विन्ध्याचल	२	१—२६/२७–१०–६४
	२	२—२७–१–६५
अहरौरा	१	७/८–१–६५
राबर्ट्सगंज	१	१६–९–६४
कछवा	१	२९/३०–१–६५

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९० पर)

दिनांक १–१–६४ से २०–२–६५ तक थाना महोबा, जिला हमीरपुर, के शहरी व देहाती क्षेत्र में हुए अपराधों के संबंध में वांछित सूचना

		रिपोर्ट की गई सं०	चालान किये गये मामलों की सं०	सजायाब अन्तिम हुए मामलों की सं०	अन्तिम रिपोर्ट लगाये गये मामलों की सं०	अन्तिम रिपोर्ट लगने का कारण	विशेष विवरण
शहरी क्षेत्र	कत्ल	..	..	..	..	..	..
	डकैती	..	..	..	..	..	..
	राहजनी	१	१	..	..	..	विचाराधीन न्यायालय ।
	चोरी/नकबजनी	१७	२	..	११ रहे ।	लापता	१ बिचाराधीन न्यायालय । १ रिहा ३ में जांच नहीं की गई । १ में जांच हो रही है ।
देहाती क्षेत्र	कत्ल	१	१	..	..	..	विचाराधीन न्यायालय ।
	डकैती	..	..	..	..	..	..
	राहजनी	१	..	..	१	पता नहीं लगा ।	
	चोरी	१३	३	२	६	लापता रहे ।	
	नकबजनी						१ विचाराधीन न्यायालय । २ में जांच नहीं की गई । २ में जांच जारी है ।

नत्थी 'ज'

बुन्देलखंण्ड क्षेत्र में लघु उद्योग की योजनायें

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९८ पर)

(१) हथकर्घा उद्योग का विकास,
(२) ऋण एवं अनुदान योजना,
(३) प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम (पुनस्संगठन और प्रसार),
(४) ब्लाक प्रसार अधिकारी । सहायक विकास अधिकारी उद्योग,
(५) विद्युत योजनाओं के लिये राज्य सहायता (पावर सब्सिडी स्कीम),
(६) नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना,
(७) हस्त शिल्प सहकारी समितियों के विकास की योजना,
(८) हस्तनिर्मित कागज बनाने की योजना ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२१ पर)

K. N. KAPOOR,
Assistant Govt. Advocate.

HIGH COURT, ALLAHABAD
(*Lucknow Bench*).
April 15, 1964.

Government Advocate]

With reference to Sri R. Chandra's letter no. 1262W/VII—B(I)/F, dated April 14, 1964, to you which was communicated to me on the phone the same evening at 7.45 p.m., I had to bring the following to your notice to be sent as a part of your letter to Sri R. Chandra, Legal Remembrancer, in reply.

On 19th March, 1964, I was entrusted with the petitions and *ex parte* motions, criminal appeals, etc. before Hon'ble Nigam, J., in Court Room no. 3. During lunch hour I came in your chamber as usual. I think it was 1.45 p.m. I was given a copy of the petition of Sri Keshav Singh under section 491 Cr. P. C. With your help I hurriedly prepared myself to meet the same which was to be presented before Division Bench consisting of Hon'ble Beg and Sehgal, J J., in Court Room no. 1.

It was obvious that the writ of *habeas corpus* under section 491 Cr. P. C. did not lie as the detention of Sri Keshav Singh was lawful. he having been imprisoned by way of punishment for committing breach of privilege or contempt of the House. Before going to the court we looked into the relevant articles of the Constitution of India, section 491 Cr. P. C. and also A. I. R. 1959 S. C. p. 395 Sharma *vs.* Sri Krishna.

I reached the Court no. 1 at about 2 p.m. It must have been about 2.05 or 2.10 p.m. when the petition of Sri Keshav Singh was taken up by the Bench.

When asked by Hon'ble Beg, J., as to who represented the State, I stood up (Sri S. N. Trivedi, learned Assistant Government Advocate was also present there in court in connection with a Capital Sentence criminal appeal) and opposed the petition of *habeas corpus*. I brought to the notice of the Hon'ble Judges that the petitioner was sentenced and punished by the U. P. Assembly for committing breach of privilege of the House. His detention in Jail was in no way illegal or improper. Accordingly, the petition under section 491 Cr. P. C. did not lie at all. I further brought to the notice of the Court the relevant articles of the Constitution of India under which the Court could not question the proceedings of the Assembly. I read Article 194 before the Hon'ble Judges and urged that the Hon'ble Court had no jurisdiction to interfere in the matter. I also mentioned the case law reported in A. I. R. 1959, S.C. p. 395 in support of my submission.

The Hon'ble Bench, however, observed that the petitioner may be granted bail and arguments on the merits of the petition may be heard later as otherwise the petition itself would become infructuous after the expiry of the sentence of imprisonment, out of which six days were already over. I was asked if I had any objection to the granting of bail. I submitted that I opposed the bail "tooth and nail", urging before the Hon'ble Bench that since the detention of the petitioner was lawful by a lawful authority under the orders of a competent body, the entire petition under section 491 Cr. P. C. was misconceived and without any justification and

was liable to be dismissed and so there could not be any question of bail at all.

Hon'ble Beg, J. said that he could grant bail under Article 226. I expressed my doubts regarding the jurisdiction of the Court even then. Ultimately, I submitted before the court that *it was a petition under section* 491 *Cr. P. C. only* and not under Article 226. At this His Lordship Mr. Justice Beg observed that the petition could be amended to include Article 226 of the Constitution.

Sri B. Solomon, learned counsel for the petitioner, verbally prayed to be permitted to include Article 226, which was permitted , and Sri Solomon taking back his petition from the Court added Article 226 in the petition along with section 491 Cr. P. C. and returned it to the Court in amended form. He made relevant changes in my copy of the petition also.

I felt that their Lordships were inclined to grant bail to the petitioner in spite of my *vehement* opposition. I then prayed to the Court to allow me time to enable me to seek instructions from the Legal Remembrancer. It was at about 2.20 or 2.25 p.m. The Hon'ble Bench was pleased to fix 3.0 p.m. when it would take the petition again.

While in Court no. 1, I requested Sri T. N. Verma, learned Assistant Government Advocate, to attend to my single Judge cases in Court no. 3 before Mr. Justice Nigam during my absence and jot down notes in Criminal Appeal no. 37 of 1963 Bindeshwari *vs.* State. The moment I was relieved from Court no. 1. I was called in to attend Court no. 3 to answer certain queries by Hon'ble Nigam, J., I immediately went to Court no. 3 and attended the said Crl. Appeal. While the judgement was being dictated I rushed back to the office of the Government Advocate leaving behind Sri T. N. Verma. It was about 2.45 p.m. I contacted the Legal Remembrancer (Sri L. P. Nigam) on phone and apprised him of the situation. Before Sri L. P. Nigam had finished on the phone, I was informed by my junior, Sri Virendra Kumar, whom I had left behind in the court, that the case of Sri Keshav Singh had been taken up. I immediately disengaged myself from the phone and reached Court no. 1 immediately. I reached at about 3.04 p.m. Meanwhile the Hon'ble Bench had already passed the order granting bail to Sri Keshav Singh. *During this time Sri S. N. Trivedi, learned Assistant Government Advocate, was present in Court no.* 1, *attending to an appeal.* I was told that the Hon'ble Bench was requested to send a peon to call me but the Hon'ble Bench did not think that it was necessary. The result was conveyed to you as I was again called back to Court no. 3 to attend another Crl. Appal no. 83 of1963 Madaru and othrs *vs.* State before Mr. Justice Nigam as Sri T. N. Verma could not attend to that appeal because his own son, Sri Bireshwar Nath, was a counsel on behalf of the appellant.

When after 4.0 p.m. I reached the office, you were kind enough to inform me that every thing regarding the petition of Sri Keshav Singh had been conveyed by you to learned Joint Secretary (Sri R. Chandra).

Submitted.

(Sd.) K. N. KAPUR,
Assistant Government Advocate.

पी० एल० यू० पी—२० पी० २१ एल० ए०—१९६५—८६२ ।